156

लोक सभा वाद विवाद का

हिन्दी संस्करण

खण्ड 9

अंक 1-10

8 से 20 नवम्बर

1962

लोक-सभा
वाद-विवाद

तृतीय माला

खण्ड ९, १९६२/१८८४ (शक)

८ से २० नवम्बर, १९६२/१७ से २९ कार्तिक, १८८४ (शक)

3rd Lok Sabha

Preservation 14-5-97
Fumigated On 8.12.85
Parliament Library

तीसरा सत्र, १९६२/१८८४ (शक)

(खण्ड ९ में अंक १ से १० तक हैं)

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय-सूची

[तृतीय माला, खण्ड ६—अंक १ से १०—८ से २० नवम्बर, १९६२/१७ से २९ कार्तिक, १८८४ (शक)]

अंक १—गुरुवार, ८ नवम्बर, १९६२/१७ कार्तिक, १८८४ (शक)	**पृष्ठ**
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १ से १९	१—२६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २० से ३४	२६—३५
अतारांकित प्रश्न संख्या १ से ४१ और ४३ से ६४	३५—६०
निधन सम्बन्धी उल्लेख	६१
सभा का कार्य—	
प्रक्रिया का सरलीकरण	६१—६२
श्री गु० बसु के चुनाव के बारे म	६२—६३
सभा पटल पर रखे गये पत्र .	६३—६९
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	६३—६९
ईसाई विवाह तथा वैवाहिक वाद विधेयक—	
संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को उपस्थापित करने का समय बढ़ाया जाना	
गोपनीय सत्र के बारे में	६९—७०
आपात की उद्घोषणा तथा चीन के आक्रमण के बारे में संकल्प .	७०—९७
कार्य मंत्रणा समिति—	
सातवां प्रतिवेदन	९७
दैनिक संक्षेपिका	९८—१०५
अंक २—शुक्रवार, ९ नवम्बर, १९६२/१८ कार्तिक, १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३५ से ४८	१०८—३३
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ४९ से ८३	१३३—५१
अतारांकित प्रश्न संख्या ६५ से ७० और ७२ से १६४ . .	१५१—९७
श्री कृष्ण मेनन के त्यागपत्र के बारे में . . .	१९७
मंत्रि परिषद् में अविश्वास के प्रस्ताव के बारे में . . .	१९८—२०
सभा पटल पर रखे गये पत्र	२००—०३

विषय	पृष्ठ
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे), १९६२-६३	२०३
समिति के लिये निर्वाचन—	
प्राक्कलन समिति	२०३
कार्य मंत्रणा समिति —	
सातवां प्रतिवेदन	२०४
सभा का कार्य—	
प्रक्रिया का सरलीकरण	२०४—०६
श्री गु० बसु के चुनाव के बारे में	२०७-०८
आपात की उद्घोषणा तथा चीन द्वारा अतिक्रमण के बारे में संक	२०८—३९
दैनिक संक्षेपिका	२४०—४८

अंक ३—शनिवार, १० नवम्बर, १९६२/१९ कार्तिक, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ८४ से ८९, ९१ से ९४ और ९६ से १०७	२४९—८०
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १०८, ११०, १११, ११४, ११५, ११७ से १२२ और १२४ से १२८ . . .	२८१—९०
अतारांकित प्रश्न संख्या १६५, १६६, १६८ से १९७, १९९ से २०१, २०३ से २२३, २२६ से २३०, २३२ से २४०, २४३ से २५६, २५८, २५९ और २६१ से २६४ .	२९०—३२७
रेलवे दुर्घटना समिति के सदस्यों को दिये गये भत्तों के बारे मे	३२७
सभा पटल पर रखे गये पत्र	३२७—२९
राज्य सभा से सन्देश	३३०
विशिष्ट सहायता विधेयक—	
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन	३३०
अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों को उचित स्तर पर बनाये रखने के उपायों के बारे में वक्तव्य	३३०-३१
रेलवे दुर्घटना समिति के सदस्यों को दिये गये भत्तों के बारे में वक्तव्य .	३३१
सभा का कार्य . . .	३३२—३३
महाप्रशासक विधेयक—	
प्रवर समिति के प्रतिवेदन को उपस्थापित करने का समय बढ़ाया जाना .	३३३
आपात की उद्घोषणा तथा चीन के आक्रमण के बारे में संकल्प . .	३३३—८९
दैनिक संक्षेपिका	३९०—९८

विषय	पृष्ठ
अंक ४—सोमवार, १२ नवम्बर, १९६२/२१ कार्तिक, १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १२९ से १४२	३९९—४२६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १४३ से १५३	४२७—३२
अतारांकित प्रश्न संख्या २६७ से २७४ और २७६ से २९८	४३२—४७
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
दिल्ली में पटाखा विस्फोट	४४७—४८
सभा पटल पर रखे गये पत्र	४४८—४९
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
नवां प्रतिवेदन	४५०
प्राक्कलन समिति—	
तीसरा और चौथा प्रतिवेदन	४५०
विधेयक पुरस्थापित—	
(१) धातु के टोकन (संशोधन) विधेयक	४५०—५१
(२) पैट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि के प्रयोक्ता के अधिकार का अर्जन) विधेयक	४५१
आपात की उद्घोषणा तथा चीन के आक्रमण के बारे में संकल्प .	४५१—५१०
दैनिक संक्षेपिका	५११—१४
अंक ५—मंगलवार, १३ नवम्बर, २९६२/२२ कार्तिक, १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १५४ से १६६ और १७३	५१५—३८
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १६७ से १७२	५३९—४१
अतारांकित प्रश्न संख्या २९९ से ३४४ और ३४६ से ३६३	५४१—७१
निधन सम्बन्धी उल्लेख	५७१
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
माझी और बकुलह स्टेशनों के बीच हुई रेल दुर्घटना	५७१—७५
सभा पटल पर रखे गये पत्र	५७५
तारांकित प्रश्न संख्या ११८२ के उत्तर में शुद्धि	५७६

विषय	पृष्ठ
पैट्रोलियम उत्पादों की संभरण स्थिति के बारे में वक्तव्य . .	५७६–७७
विदेशियों सम्बन्धी विधि (लागू करना तथा संशोधन) विधयक—पुरस्थापित	५७७
विदेशियों सम्बन्धी विधि (लागू करना तथा संशोधन) अध्यादेश १९६२ के बारे म वक्तव्य	५७७–७८
समवाय (संशोधन) विधेयक—पुरस्थापित .	५७८
समवाय (संशोधन) अध्यादेश १९६२ के बारे में वक्तव्य	५७९
आपात उद्घोषणा तथा चीन के आक्रमण के बारे में संकल्प	५७९–६३६
कार्य मंत्रणा समिति—	
आठवां प्रतिवेदन	६३६
दैनिक संक्षेपिका .	६३७–४१
अंक ६—बुधवार, १४ नवम्बर, १९६२/२३ कार्तिक, १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १७४ से १७८, १८५, १७९ से १८१, १८३, १८४, १८६ और १८७	६४३–६६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १८२ और १८८ से १९७	६६६–७१
अतारांकित प्रश्न संख्या ३६४ से ४२० और ४२२ से ४२४	६७१–९५
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), १९६२–६३	६९५
आपात की उद्घोषणा तथा चीन के आक्रमण के बारे में संकल्प	६९५–७४५
दैनिक संक्षेपिका	७४६–४९
अंक ७—गुरुवार, १५ नवम्बर, १९६२/२४ कार्तिक, १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १९८ से २०५, २०७, २०८, २०६, २०९, २१०, २१३, २१५ और २१६	७५१–७६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २११, २१४, २१७ और २१८	७७६–७७
अतारांकित प्रश्न संख्या ४२५ से ४६९	७७७–९८
सभा-पटल पर रखे गये पत्र .	७९८–८००
गैर-सरकारी सदस्यों के विधयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति —	
दसवां प्रतिवेदन	८००

विषय	पृष्ठ
सीमा शुल्क विधयक—	
प्रवर समिति का प्रतिवेदन तथा साक्ष्य . . .	८००
कार्य मंत्रणा समिति—	
आठवां प्रतिवेदन	८००–०१
बहु एकक सहकारी समितियों (संशोधन) विधेयक—पुरस्थापित	८०१
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे), १९६२–६३ .	८०१–१५
गैर-सरकारी सदस्यों के विधयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
नवां प्रतिवेदन	८१५–१६
साम्प्रदायिक संस्थाओं पर प्रतिबन्ध के बारे में संकल्प	८१६–१७
अनिवार्य सैनिक शिक्षा के बारे में संकल्प	८१७–५०
दैनिक संक्षपिका	८५१–५६

अंक ८—शुक्रवार, १६ नवम्बर, १९६२ । कार्तिक १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २१९ से २२२, २२४ से २३०, २३६ और २३१ से २३४	८५७–८३
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २२३, २३५ और २३७ से २४२	८८३–८६
अतारांकित प्रश्न संख्या ४७० से ५२६	८८६–९११
सभा पटल पर रखे गये पत्र	९११–१२
राज्य सभा से सन्देश	९१२
भारतीय वस्तु विक्रय (संशोधन) विधेयक—	
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में—सभा पटल पर रखा गया	९१२
सभा का कार्य	९१२–१४
विधेयक पुरस्थापित—	
(१) उपहार-कर (संशोधन) विधेयक	९१४
(२) भारत की प्रतिरक्षा विधेयक	९१४–१५
(३) परिसीमन आयोग विधेयक	९१६
अध्यादेशों के बारे में वक्तव्य	९१६
विनियोग (रेलवे) संख्या ५ विधेयक—पुरस्थापित तथा पारित	९१६–१७
बिजली (संभरण, संशोधन विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	९१७–२२

विषय	पृष्ठ
खंड १ और २	९२२–२४
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	९२४–२६
समवाय (संशोधन) विधेयक	
विचार करने का प्रस्ताव	९२६–३३
खंड १ से ३	९३३
पारित करने का प्रस्ताव	९३३
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति— दसवां प्रतिवेदन .	९३३
गैर—सरकारी सदस्या क विधेयक—पुरस्थापित—	
(१) केन्द्रीय रेशम बोर्ड (संशोधन) विधेयक (धारा ४ और ६ का संशोधन) (श्री श्याम लाल सर्राफ का)	९३३
(२) सिनेमा के फिल्मों की (अधिकतम) लम्बाई विधेयक (श्री रामेश्वर टांटिया का)	९३४
(३) पुस्तकों और समाचार पत्रों (सार्वजनिक पुस्तकालय) का दिया जाना संशोधक विधेयक (धारा २ का संशोधन) (श्री च० का० भट्टाचार्य का)	९३४
(४) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद १३६, २२६ आदि का संशोधन) (श्री श्रीनारायण दास का)	९३४
संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद २२६ का संशोधन) (श्री दी० चं० शर्मा का)—	
विचार करने का प्रस्ताव—स्थगित	९३५
बीड़ी और सिगार श्रमिक विधेयक (श्री अ० क० गोपालन का)— वापस लिया गया—	
विचार करने का प्रस्ताव	९३५–४२
हिन्दू विवाह (संशोधन) विधेयक (धारा २३ का संशोधन) (श्री ज० ब० सिंह बिष्ट का)—वापिस लिया गया—	
विचार करने का प्रस्ताव	९४२–४३
विधि व्यवसायी (संशोधन) विधेयक (धारा १४ और १५ का संशोधन) (श्री हेम राज का)—वापिस लिया गया—	
विचार करने का प्रस्ताव	९४५–४६
दैनिक संक्षेपिका	९४७–५२
अंक ९—सोमवार, १९ नवम्बर, १९६२/२८ तिक १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
अतारांकित प्रश्न संख्या २४३ से २५४, २५६ से २५८, २६१, २५९ और २६०	९५३–७८

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
अतारांकित प्रश्न संख्या ५२७ से ५५७ और ५५९ से ५६१	९७८–९२
स्थगन प्रस्ताव तथा अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने की सूचना के बारे में	९९३
सभा पटल पर रखे गये पत्र	९९३–९४
राज्य सभा से सन्देश	९९५
कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) विधेयक—	
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया	९९५
विधेयक पुरस्थापित—	
(१) पांडिचेरी (प्रशासन) विधेयक	९९५
(२) राज्य सहयोजित बैंक के विविध उपबंध) विधेयक	९९५–९६
(३) अखिल भारतीय सेवायें (संशोधन) विधेयक	९९६
(४) कामगर प्रतिकर (संशोधन) विधेयक	९९६
(५) भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक	९९७
पांडिचेरी (प्रशासन) अध्यादेश के बारे में वक्तव्य	९९७–९९
•नेफा तथा लद्दाख की स्थिति के बारे में वक्तव्य	९९९–१००२
विदेशियों सम्बन्धी विधि (लागू करना तथा संशोधन) विधेयक	१००२
विचार करने का प्रस्ताव	१००२–०६
खंड २ से ४ तथा १	१००६–०७
पारित करने का प्रस्ताव	१००७
धातु के टोकन (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	१००८–०८
पारित करने का प्रस्ताव	१००८
पैट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि के प्रयोग के अधिकार का अर्जन) विधेयक -	
विचार करने का प्रस्ताव	१००८–१५
खंड २ से १८ और १	१०१५–१६
पारित करने का प्रस्ताव	
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) १९६२–६३	१०१६–२६
कार्य मंत्रणा समिति—	
नवां प्रतिवेदन	१०२६
दैनिक संक्षेपिका	१०२७–३१

विषय	पृष्ठ

अंक १०—मंगलवार, २० नवम्बर, १९६२/२९ कार्तिक १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २६२ से २६९, २७२ से २८२, २८४ और २८६ से २८८ . . . १०३३—६०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २७०, २७१, २८३, २८५ और २८९ . . . १०६१—६३

अतारांकित प्रश्न संख्या ५६२ से ६४१ . . . १०६३—९८

नेफा और लद्दाख की स्थिति के बारे में वक्तव्य . . . १०९८—११०३

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . ११०३—०५

राज्य सभा से सन्देश . . . ११०५—०६

परिसीमन विधेयक—

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन . . . ११०६

लोक लेखा समिति—

पहला प्रतिवेदन . . . ११०६

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—

तीसरा प्रतिवेदन . . . ११०६

कार्य मंत्रणा समिति—

नवां प्रतिवेदन . . . ११०६—०७

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), १९६२—६३ . . . ११०७—२९

विनियोग (संख्या ५) विधेयक, १९६२—पुरस्थापित तथा पारित

सीमा शुल्क विधेयक—

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . . . ११२९—३८

दैनिक संक्षेपिका . . . ११३९—४५

नोट : मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह -+- चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था ।

GMGIPND—LS—III—2294 (Ai) LSD—12-1-63—140

तृतीय माला, खण्ड ९—अंक १

गुरुवार, ८ नवम्बर, १९६१

१७ कार्तिक, १८८४ (शक)

लोक-सभा
वाद-विवाद

(तीसरा सत्र)

(खण्ड ९ में अंक १ से १० तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

एक रुपया (देश में)

चार शिलिंग (विदेश में)

विषय सूची पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

*तारांकित प्रश्न संख्या १ से १६ — १–२६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २० से ३४ — २६–३५

अतारांकित प्रश्न संख्या २ से ४१ और ४३ से ६४ — ३५–६०

दिनांक ६ अगस्त, १६६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३५२ के उत्तर में शुद्धि — ६१

निधन सम्बन्धी उल्लेख — ६१

सभा का कार्य—

प्रक्रिया का सरलीकरण — ६१–६२

श्री गु० बसु के चुनाव के बारे में — ६२–६३

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . — ६३–६६

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति — ६३–६६

ईसाई विवाह तथा वैवाहिक वाद विधेयक — ६६

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को उपस्थापित करने का समय बढ़ाया जाना — ६६

गोपनीय सत्र के बारे में — ६६–७०

आपात की उद्घोषणा तथा चीन के आक्रमण के बारे में संकल्प — ७०–६७

श्री जवाहरलाल नेहरू — ७०–८५

श्री ही० ना० मुकर्जी — ८५–८६

श्री रंगा . — ८६–८८

श्री उ० न० ढेबर — ८८–८६

डा० गोविन्द दास — ८६–६२

श्री उ० मू० त्रिवेदी — ६२–६३

श्री फ्रैंक एंथनी — ६३–६४

श्रीमती रेणुका राय — ६५–६६

श्री दासप्पा — ६६

श्री नी० श्रीकान्तन नायर — ६६–६७

कार्य मंत्रणा समिति—

सातवां प्रतिवेदन — ६७

दैनिक संक्षेपिका — ६८–१०५

---

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

लोक-सभा वाद-विवाद

लोक-सभा

गुरुवार, ८ नवम्बर, १९६२
१७ कार्तिक, १८८४ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

जवानों के प्रति श्रद्धांजली

†**श्री हेम बरूआ** : श्रीमान्, इस से पहले कि आप आज का काम शुरू करें . . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : आप के शुरू करने से पहले मैं सभी माननीय सदस्यों से यह प्रार्थना करते हुए आरम्भ करूंगा कि वे उन जवानों की स्मृति में जो देश की सेवा में दिवंगत हुए और जिन्हों ने सभी कठिनाइयों को बर्दाश्त कर अपना जीवन दान दिया है दो मिनट तक मौन खड़े रहें सभी माननीय सदस्यों से मेरी प्रार्थना है कि वे दो मिनट तक मौन खड़े रहें।

[इसके पश्चात् सदस्य दो मिनट तक मौन खड़े रहे]

†**णअध्यक्ष महोदय** : अब, श्री हेम बरुआ।

†**श्री हेम बरुआ** : मैं वही सुझाव देने जा रहा था।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

नेरियामंगलम् में फाइटो-केमिकल प्लांट

†*१. { **श्री प० कु न** :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री वासु देवन नायर :
श्री वारियर :
श्री नी० श्री कान्तन नायर :
श्री मे० क० कुमारनः
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री कोया : }

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल में नैरियामंगलम् में फाइटोकैमिकल्स का निर्माण कार्य रोक

†मूल अंग्रेजी में

दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) जी हां। कारखाने का निर्माण कार्य अभी रोक दिया गया है।

(ख) इस कारखाने में इस्तेमाल की जाने वाली कुछ प्रौद्योगिकीय प्रक्रियाओं पर रूसी विशेषज्ञों के परामर्श से और विचार किया जा रहा है। चूंकि कारखाने की रूपरेखा और आवश्यक मशीनें इन उत्पादन प्रक्रियाओं पर निर्भर होगीं इसलिये निर्माण कार्य तब तक आगे बढ़ाना उपयुक्त नहीं होगा जब तक कि इन मामलों में कोई निश्चित निर्णय न कर लिये जायें।

†**श्री प० कुन्हन**: क्या फायटों केमिकल्स तीसरी योजना के तीसरे साल में स्थापित किया जा रहा है ?

श्री कानूनगो : मूल योजना यह थी कि वह १९६६ तक तैयार हो जाये। अब हम एक नया वह तरीका अपनाने की कोशिश कर रहे हैं जिस के बारे में रूस में छानबीन की जा रही है। जब तक कि पूरी न हो जाये तब तक मैं यह नहीं बता सकता कि कारखाने में उत्पादन कब से होने लगेगा।

†**श्री वारियर** : इस विषय पर विचार कब तक पूरा हो जायेगा।

†**श्री कानूनगो** : मैं नहीं बता सकता लेकिन वह रूस के तकनीकी विशेषज्ञों पर निर्भर है।

†**श्री वासुदेवन नायर** : अखबारों में यह खबर थी कि यह कारखाना नेरियामंगलम् से किसी और जगह संभवतः ले जाया जायेगा। क्या इस समाचार में कोई सचाई है ?

†**श्री कानूनगो** : यह प्रश्न अभी उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री नी० श्रीकान्तन् नायर** : इस बात पर विचार करते हुए कि पहली और दूसरी योजनाओं में केरल की उपेक्षा की गयी है, क्या सरकार जानती है कि इस कारखाने की स्थापना स्थगित कर देने से केरल में काफी क्षोभ और असन्तोष उत्पन्न होगा ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह राय का विषय है।

†**श्री कोया**: क्या यह कारखाने शुरू किये जाने से पहले इस प्रौद्योगिकी प्रक्रिया पर विचार नहीं किया गया था ?

†**श्री कानूनगो** : उस पर विचार किया गया था।

कपड़े की कीमत

+

†*२. { **श्री स० मो० बनर्जी** :
श्री दाजी :
श्री ज० बा० सिं० बिष्ट :
श्री हेमराज : }

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दशहरा और दीवाली में दरम्याने और बारीक किस्म के कपड़े का

†मूल अंग्रेजी में

दाम प्रायः सभी राज्यों में १५ से २० प्रतिशत तक बढ़ गया था; और

(ख) यदि हां, तो यह वृद्धि रोकने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री स० मो० बनर्जी : इस बात की ओर ध्यान देने के लिये कि संकट के कारण खासकर दरम्याने और मोटे कपड़े की कीमतें बढ़ने न पायें, और क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : हम ने काफी कदम उठाये हैं। आयोजन मंत्री कुछ अत्यावश्यक वस्तुओं की कीमतों के बारे में एक वक्तव्य देने वाले हैं लेकिन सभा को मालूम होगा कि हमारे पास मिलों में लगभग ४,५०,००० गांठ कपड़े का अधिकतम स्टाक पड़ा हुआ है।

†**श्री ज० ब० सिं० बिष्ट** : अगर कोई नियंत्रण लागू किया जायेगा तो क्या जांच करने के लिये कोई निश्चित कदम उठाने का सरकार का कोई विचार है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : मैं ने पहले सभा के सामने विस्तृत वक्तव्य दिये हैं। मूल्य ढांचे में कोई रद्दोबदल करने के लिये हम प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस बीच हम इस बात के लिये कार्यवाही कर रहे हैं कि लोकप्रिय किस्मों का कपड़ा पहले से अधिक मात्रा में बनाया जाये।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री: क्या माननीय वाणिज्य मंत्री जी अधिकारपूर्वक इस बात को कह सकेंगे कि संकट की इन घड़ियों में कपड़े के भावों में किसी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं हुई है ?

श्री मनुभाई शाह : जी हां, ऐसा हमारा भरोसा और विश्वास है।

नेपाल में भारत विरोधी प्रदर्शन

+

†*३. **श्री प्र० चं० बरुआ** :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री विभूति मिश्र :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :
श्री यशपाल सिंह :
श्री हेमराज :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ९ तथा १० सितम्बर, १९६२ को नैपाल में भारतीय वाणिज्यिक सहचारी के कार्यालय के सामने भारत विरोधी प्रदर्शन हुए थे तथा जुलूस निकाले गये थे ; और

(ख) यदि हां, तो इन प्रदर्शनों के क्या कारण और प्रयोजन थे ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) जी हां। यह सच है कि ९ और १० सितम्बर को बीरगंज में कुछ स्वर्थरत लोगों ने जुलूस निकाले थे और वहां हमारे वाणिज्यिक सहचारी के कार्यालय के सामने भारत विरोधी प्रदर्शन किये गये थे।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) ये प्रदर्शन रक्सौल के पास भारत नैपाल सीमा पर उस कथित घटना के विरोध में किये गये थे जब कि तथाकथित राष्ट्र विरोधी व्यक्तियों ने, नैपाल सरकार की रेलगाड़ी पर हमला किया था। यह समझा जाता है कि ये व्यक्ति भारतीय क्षेत्र से अपना काम काज करते थे। स्पष्ट रूप से इस प्रदर्शन का प्रयोजन भारतीय क्षेत्र में काम काज करने वाले नैपाली विद्रोहियों पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए भारतीय अधिकारियों की अनिच्छा के कारण उनके विरुद्ध नेपाल की जनता का रोष व्यक्त करना था।

विश्व व्यापार सम्मेलन

+

*४. { **श्री विभूति मिश्र :**
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत विश्व व्यापार सम्मेलन के प्रस्ताव का समर्थन कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे सम्मेलन की क्या आवश्यकता है ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) :** : (क) जी हां।

(ख) संयुक्त राष्ट्र संघ ने यह घोषित किया है कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार आर्थिक विकास का प्राथमिक साधन है और विकासशील देशों की प्राथमिक वस्तुओं तथा निर्मित वस्तुओं के निर्यात तथा निर्यात आय में शीघ्र वृद्धि उनके आर्थिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हाल के वर्षों में विकासशील देशों के सामने कई कठिनाइयां रही जिनके कारण उनकी निर्यात-आय सीमित रही। यह समझा जाता है कि ऐसी कठिनाइयां दूर करने और सामान्य रूप से अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तथा कम विकसित देशों और औद्योगिक देशों के बीच व्यापार बढ़ाने के उपायों को कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में विचार करने के लिए व्यापार तथा विकास सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघ सम्मेलन बुलाना सभी सम्बन्धित देशों के लिए बहुत लाभदायक होगा।

†**श्री विभूति मिश्र** मैं यह जानना चाहता हूं कि अंडरडेवलप्ड कंट्रीज़ को कौन कौन सी सहूलियतें मिलेंगी ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** सम्मेलन का सम्पूर्ण प्रयोजन यह होगा कि कम विकसित देशों को व्यापार के अधिक अवसर दिये जायें।

श्री विभूति मिश्र : उदाहरण के लिए हमारा जूट बाहर जाता है, उसके सम्बन्ध में हमको कौन सी कनसेशन मिलेगी ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : यह मामला कोई जूट से ताल्लुक नहीं रखता है। वर्ल्ड ट्रेड कांफ्रेंस में इस बारे में चर्चा की जायेगी कि विकसित देशों के बाजारों में अविकसित देशों को क्या क्या सहूलियतें मिलनी चाहिए।

†**श्री हरिश्चन्द्र** माथुर: यह परियोजना संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक समिति के सामने रखी गयी थी। क्या हमने इस सम्बन्ध में अपनी सरकार की राय बता दी है और उस स्तर पर क्या प्रगति हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** हमने जेनेवा में आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् की चर्चा में भाग लिया था। हमारी सरकार की क्या राय है यह हर कोई जानता है। इसके अलावा, संकल्प प्रस्तुत करने वालों में भी हम शामिल थे।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :** क्या अगुआपन लेने तथा दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के बीच अधिक घनिष्ट व्यापार सम्बन्ध बढ़ाने के लिए एक सम्मेलन बुलाने की कोई योजना सरकार के सामने है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** वह एक अलग प्रश्न है। यह प्रश्न विश्व व्यापार सम्मेलन के सम्बन्ध में है।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** मुझे आशंका है कि माननीय उपमंत्री ने शायद ठीक से स्थिति नहीं बतायी है। जब यह परियोजना सामने थी तब उनके सामने दो प्रस्ताव थे। एक यह था कि इसे कार्यसूची में शामिल किया जाये और दूसरा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन के बारे में था। जहां तक अखबारों की ख़बरों का सम्बन्ध है, वह कार्यसूची में पहले ही शामिल था। हम यह जानना चाहते हैं कि दोनों स्तरों पर क्या प्रगति हुई है और उन पर सरकार की क्या राय है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** इस सम्मेलन की स्थूल रूप रेखा पर चर्चा करने के लिए १९६३ के आरम्भ में किसी समय एक प्रारम्भिक सम्मेलन करने का निश्चय किया गया है।

†**श्री श्याम लाल सर्राफ :** यदि हम इस सम्मेलन में भाग लेते हैं तो क्या कुछ उद्योगों के लिए अत्यन्त आवश्यक बुनियादी कच्चे माल की उपलब्धि को ध्यान में रखा जायेगा ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** ये ऐसे ब्यौरे हैं जिन पर बाद में विचार करना होगा।

†**श्रीमती सावित्री निगम :** जो सम्मेलन होने जा रहा है उसमें कौन कौन भाग ले रहे हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** प्रशुल्क और व्यापार सम्बन्धी सामान्य करार के अधीन संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में यह विश्व व्यापार सम्मेलन आयोजित किया जायेगा। इसमें दुनिया के सभी देश भाग लेंगे और अविकसित देशों से विकसित देशों के बाजारों में अधिक निर्यात किये जाने पर विशेष बल दिया जायेगा।

महालनोबिस समिति की रिपोर्ट

+

†*५. **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री विभूति मिश्र :
श्री भक्त दर्शन :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री मुरारका :
श्री रा० शि० पांडेय :
श्री का० ना० तिवारी :
श्री वारियर :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री तन सिंह :
श्री रामेश्वर टांटिया :

†मूल अंग्रेजी में

श्री प्र० के० देव :
श्री बसुमतारी :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री बड़े :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महालनोबिस समिति की रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उस समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या अभी कुछ समय पहले स्टेट्समैन में प्रकाशित समाचार ठीक है ? समाचार यह है कि कुछ थोड़े से व्यक्तियों के हाथ में सम्पत्ति और आर्थिक शक्ति के केन्द्रित होने में किसी प्रकार की कमी होने की बहुत कम गुंजाइश है । महालनोबिस समिति का एक निष्कर्ष यह भी बताया जाता है ।

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन**: यह तीसरा विचारणीय विषय है अर्थात् यह पता लगाना कि आर्थिक प्रणाली के कारण सम्पत्ति तथा उत्पादन के साधन किस हद तक केन्द्रित हो गये हैं । संशोधित मसौदे पर विचार किया जा रहा है । काफी आंकड़े इकट्ठे किये जा चुके हैं और उन्हें प्रतिवेदन की छानबीन करनी है । विचार के बाद, मैं समझता हूं कि १० नवम्बर को अन्तिम प्रतिवेदन उपलब्ध हो जायेगा ।

†**श्री बड़े** : यदि अन्तिम प्रतिवेदन नहीं, तो क्या एक अन्तरिम प्रतिवेदन सरकार भेजेगी ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य प्रतिरक्षा तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : हमें रिपोर्ट नहीं मिली है । मैंने वह देखी नहीं है । मैं इस सवाल का जवाब कैसे दे सकता हूं ?

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : वह अखबारों में निकला है । निर्णय समाचार पत्रों में छपे हैं ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरु** : मैं नहीं जानता कि अखबारों में वह कैसे मालूम हो सकता है । वह एक अलग सवाल है । जहां तक मुझे मालूम है, अभी तक उसका फैसला नहीं हुआ है । कम से कम मैंने रिपोर्ट का वह हिस्सा अभी तक नहीं देखा है ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : समिति ने सबूत की छानबीन जैसी अधिक शक्तियां और विभिन्न फर्मों की किताबें भी मांगी हैं ताकि ठीक निर्णय किया जा सके क्या सरकार वह शक्तियां देने के बारे में विचार कर रही है ?

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन** : मैं पहले ही बता चुका हूं कि विचारणीय विषय काफी विस्तृत हैं । उन्हें शक्तियां प्राप्त हैं और वे आंकड़े इकट्ठे कर रहे हैं । सशोधित मसौदा उनके सामने मौजूद है और उस पर विचार किया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**योजना तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नन्दा)** : समिति ने आर्थिक शक्ति के केन्द्रीयभत होने के प्रश्न के अध्ययन के सम्बन्ध में उसका कार्यक्षेत्र कुछ और बढ़ाये जाने की मांग की थी। उसे बढ़ा दिया गया है।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या योजना मंत्री इस समिति के सम्पर्क में हैं और यदि हां तो क्या वे यह बता सकेंगे कि यह समिति दो साल से अधिक समय हो जाने पर भी कोई सिफारिश या अन्तरिम रिपोर्ट तक क्यों पेश नहीं कर सकी ?

†**श्री नन्दा** : अवश्य ही मेरा समिति के अध्यक्ष से सम्पर्क है। मैं जानता हूं कि समिति के सामने कोई मसौदा है। मैं समझता हूं कि इस बात से कोई हानि नहीं होती कि समिति सांख्यिकी तथा दूसरे क्षेत्रों में पहले की अपेक्षा अधिक अच्छा काम करने की कोशिश कर रही है। इस समिति की रिपोर्ट शीघ्र ही हमारे हाथ में होनी चाहिये।

†**श्री बसुमतारी** : इस समिति के विचारणीय विषय क्या हैं ?

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन** : विचारणीय विषय इस प्रकार हैं :—

(१) पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं में रहन सहन के स्तरों में परिवर्तनों की समीक्षा करना

(२) आय और सम्पत्ति के वितरण की वर्तमान प्रवृत्तियों का अध्ययन करना और विशेषकर

(३) यह पता लगाना कि आर्थिक प्रणाली के संचालन से किस हद तक सम्पत्ति और उत्पादन के साधन केन्द्रित हो गये हैं।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : सरकार कब तक यह देश को बता सकेगी कि समिति के निष्कर्ष क्या हैं ?

†**श्री नन्दा** : संभव है कि चालू महीने के अन्त तक हमें उनसे कुछ प्राप्त हो जायेगा।

श्री विभूति मिश्र : क्या यह सही है कि १९५२ में जिन्होंने सौ रुपया इनवेस्ट किया था उनको साढ़े तीन सौ रुपये का मुनाफा मिला और जब यह कमेटी उनके यहां जाती है तो पूरा आंकड़ा मिलने में उसको कठिनाई होती है, इसलिये दो बरस का समय लग गया है ?

श्री नन्दा : मैं नहीं समझता कि यह प्रश्न इससे उत्पन्न होता है।

केन्द्रीय औषधि पुर्ननियंत्रण संस्था

+

†*६. { **श्री श्री नारायण दास** :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री श्याम लाल सर्राफ :
श्री बसुमतारी : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी क्षेत्र के एककों द्वारा तैयार की गई औषधियों की किस्म की दोबारा जांच करने के लिए एक केन्द्रीय औषधि पुर्ननियंत्रण संस्था स्थापित करने की दिशा में क्या कोई प्रगति हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : अभी इस मामले पर विचार हो रहा है ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : वह कब तक पूरा हो जायेगा ?

†**श्री कानूनगो** : हमें उस बारे में कोई जल्दी नहीं है क्योंकि जब तक कि सरकारी क्षेत्र में और अधिक औषधि परियोजनायें न हो जायें तब तक उसकी अत्यधिक आवश्यकता उत्पन्न नहीं होती । मैं समझता हूं कि करीब १९६५–६६ तक वह परियोजनाएं तैयार होंगी ।

†**श्री श्यामलाल सर्राफ** : क्या सरकार इस समस्या की गम्भीरता के बारे में जानती है और क्या वह इस सम्बन्ध में शीघ्र कोई कारगर कार्यवाही करेगी ?

†**श्री कानूनगो** : मैं पहले ही बता चुका हूं कि इस बारे में कोई जल्दी नहीं है ।

अफगानिस्तान के साथ व्यापार करार

+

†*७. **श्री सुरेन्द्र पाल सिंह** :
श्री वासुदेवन नायर :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री यशपाल सिंह :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री रा० गि० दुबे :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री मोहसिन :
श्री बसुमतारी :
श्री सं० ब० पाटिल :
श्री हेमराज :
श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री आगामी वर्ष के लिये अफगानिस्तान के साथ व्यापार करार के सम्बन्ध में बातचीत करने के लिये अभी हाल अफगानिस्तान गये थे; और

(ख) यदि हां, तो अफगानिस्तान सरकार के साथ उस बातचीत का संक्षेप में क्या परिणाम रहा ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी हां ।

(ख) निम्नलिखित बातों के साथ साथ सहमत व्यापार करारों का उल्लेख करने वाले पत्रों का लेन देन हुआ था :—

(१) दोनों देशों के बीच व्यापार की उन्नति तथा उसे विविध प्रकार का बनाना ;

---

†**मूल अंग्रेजी में**

(२) विशिष्ट वस्तुओं के आयात और निर्यात की सुविधाएं; और

(३) एक विशेष प्रक्रिया द्वारा जिसमें विदेशी मुद्रा में भुगतान नहीं करना होता, आयात निर्यात के लिए भुगतान करना ।

यह व्यवस्था १ अक्तूबर, १९६२ से १४ महीने की अवधि तक लागू रहेगी ।

†श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : क्या दोनों देशों के बीच व्यापार की मात्रा बढ़ाने की कोई योजना है ?

†श्री मनभाई शाह : जी हां, जब मैं काबुल गया था तब मैंने इसी बारे में बातचीत की थी ।

†श्री भागवत झा आजाद : इस दौरे के परिणामस्वरूप तथा जिस करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं, उससे दोनों देशों के बीच सरकार के अनुमान के अनुसार लगभग कितनी वृद्धि हुई है ?

†श्री मनुभाई शाह : चालू वर्ष में उसमें एक या दो करोड़ की वृद्धि हो सकती है ।

†श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : क्या दोनों देशों के बीच व्यापार की मात्रा में वृद्धि हमारे लिए लाभदायक है या वह इस सम्बन्ध में अफगानिस्तान की प्रार्थना पूरी करने के लिए है ?

†श्री मनुभाई शाह : दोनों के फायदे के लिये ।

श्री यशपाल सिंह : अफगानिस्तान से आने वाले सामान के दाम जब दुगुने और चौगुने तक हो गये हैं तो उनको रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है ? क्या इन हालात में अफगानिस्तान के साथ कोई ट्रेड कायम रख सकेगा ?

श्री मनुभाई शाह : अफगानिस्तान का जो सामान आता है उसमें बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिन के दाम काफी ठीक हैं । थोड़े से फ्रूट्स ऐसे है जिनके दाम बढ़ गये हैं । हमने काबुल गवर्नमेंट से विनति की है कि वह जल्दी से जल्दी माल भेजना शुरू कर दे ।

†श्री वासुदेवन नायर : इस करार के अनुसार कौन कौन सी मुख्य मुख्य वस्तुएं भारत से अफगानिस्तान भेजी जायेंगी ?

†श्री मनुभाई शाह : मुख्य वस्तुएं हैं सूती कपड़ा, नकली रेयन कपड़ा, कुछ हलकी इंजीनियरी वस्तुएं, साइकिलें, मोटर साइकिलें और इसी तरह की चीजें ।

†श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : भारत और अफगानिस्तान के बीच व्यापार घट गया है या बढ़ गया है ?

†श्री मनुभाई शाह : वह बढ़ा ही है ।

†श्री बसुमतारी : क्या देश की वर्तमान स्थिति के कारण इस करार पर कोई असर पड़ने की आशंका है ?

†श्री मनुभाई शाह : इस स्थिति के होते हुए भी हम अपना व्यापार चलाने और उसे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि समय की मांग यह है कि व्यापार अधिक हो ।

†श्री रा० गि० दुबे : क्या यह सच है कि व्यापार का रास्ता पाकिस्तान से होकर जाता है और इस समझौते को कार्यान्वित करने में असंख्य कठिनाइयां हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मनुभाई शाह** : यह ठीक ऐसा ही है । हमें दुख है कि पाकिस्तान सरकार के दुराग्रह के कारण दोनों देशों के व्यापार में जो काफी अधिक बढ़ सकता था, कठिनाई हो रही है । हम काबुल और दिल्ली के बीच चलाने के लिए माल ढोने वाले कुछ हवाई जहाज लेने की कोशिश कर रहे हैं ।

दिल्ली/नई दिल्ली में पार्कों का विकास

†*८. { **श्री दी० चं० शर्मा** : **श्री सुरेन्द्र पाल सिंह** : **श्री प्र० चं० बरुआ** :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली तथा नई दिल्ली में पार्कों के विकास के लिये कोई बृहत् योजना बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है और इस बारे में क्या प्रगति हुई है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव)** : (क) जी, हां।

(ख) इस काय के लिये एक उपसमिति नियुक्त की गई है और वह विवरण तैयार कर रही है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : विवरण के सम्बन्ध में इस समिति के क्या निदेश निबंधन हैं ?

†**श्री जगन्नाथ राव** : निदेश निबंधन ये हैं : सड़क के किनारे के पार्कों आदि से सम्बन्धित आवश्यकताओं के अनुसार दिल्ली और नई दिल्ली में पार्कों के विकास के लिये एक बृहत्सभा तैयार करना है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : इस समिति के सदस्य कौन है ?

†**श्री जगन्नाथ राव** : यह समिति जुलाई, १९५७ में निर्माण, आवास तथा सम्भरण मंत्रालय के सचिव के सभापतित्व में, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के औद्यानिकी विभाग के निदेशक के साथ बनाई गई थी । इस समिति ने इस मामले पर विचार करने के लिये हाल ही में एक उप समिति नियुक्त की । अस्थायी कार्यक्रम बनाया गया है और शीघ्र ही उस को अन्तिम रूप दिया जायेगा ।

†**श्री सुरेन्द्र पाल सिंह** : क्या पार्कों के ले आउट और विकास का खर्च स्थानीय निकाय देंगे या केन्द्रीय सरकार इस काम के लिये कुछ सहायता देगी ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द्र खन्ना)** : अभी इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन है । दिल्ली और नई दिल्ली में हमारे बहुत से पार्क हैं । निश्चय ही स्थानीय निकायों से परामर्श किया जायेगा, जब हम प्राकृतिक दृश्य के प्रश्न पर विचार करेंगे ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या राष्ट्रीय आपात काल को ध्यान में रखते हुए सौन्दर्य बढ़ाने वाली ऐसी योजनाओं को, अधिक महत्वपूर्ण योजनाओं को चलाने के हेतु, स्थगित कर देने की संभावना है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह कार्यान्विति के लिये सुझाव है ।

---

†**मूल अंग्रेजी में**

†श्री त्यागी : मेरे प्रश्न का आंशिक उत्तर मिला है। क्या सरकार [illegible] योजनाओं में संशोधन करने के लिये कुछ कर रही है ताकि जो खर्च रोका जा सकता है वह रोका जाय और क्या यह काम उस श्रेणी के अन्दर आता है या नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : सुन्दर सुझाव है।

†श्रीमती सावित्री निगम : यह समिति कब नियुक्त की गई थी ? इस के द्वारा कब काय आरम्भ किये जाने की सम्भावना है ?

†श्री मेहर चन्द्र खन्ना : समिति ने अपना कार्य आरम्भ कर दिया है। हम ने ३० अगस्त, १९६२ को, केवल दो महीने पहले एक उप समिति बनाई। वह समिति बड़े परिश्रम के साथ अपना कार्य कर रही है।

विद्युत तथा परिवहन

+

†*९. श्री भागवत झा आजाद :
श्री भक्त दर्शन :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री रा० गि० दुबे :
श्री वासुदेवन मायर :
श्री मती मैमूना सुल्तान :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :
श्री मुरारका :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अर्थ-व्यवस्था में दो कठिनाइयों, विद्युत् तथा परिवहन, पर योजना आयोग ने आगे विचार किया है;

(ख) क्या भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल संघ ने इस बारे में कोई सुझाव दिया है; और

(ग) क्या दो क्षेत्रों में अभाव पूर्ति के लिये निश्चित प्रस्ताव बनाये है ?

†श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे०रा० पट्टाभिरमन) : (क) से (ग). १३ अक्तूबर, १९६२ को हुई बैठक में योजना आयोग ने भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडलों के संघ के प्रतिनिधियों के साथ; २१ सितम्बर से २३ सितम्बर तक संघ के तत्वावधान में हुए परिवहन तथा विद्युत् सम्मेलन द्वारा की गई सिफारिशों के सम्बन्ध में विचार किया। वहां हुई चर्चा को ध्यान में रखते हुए, रेलवे मंत्रालय पूरी गाड़ी भर सामान के ले जाने की व्यवस्था करने के लिये एक योजना बना रही है, जिसके लिये बहुत परिवहन की आवश्यकता होगी, विशेषकर कोयला, सीमेंट, उर्वरक, इस्पात संयंत्रों में बनी चीजें, खाद्य (व्यापार खाते पर) तथा चीनी (निर्यात के लिये)।

बिजली के सम्बन्ध में, पहले से किया जा रहा काम संघ के प्रतिनिधियों को बताया गया था।

†श्री भागवत झा आजाद : : प्रश्न के (ग) भाग का उत्तर नहीं मिला। सरकार ने आर्थिक कार्यों की बढ़ौती को पूरा करने के लिये क्या ठोस कार्य किये है या करेगी, जो अभी तक बिजली तथा परिवहन के अन्तर्गत नहीं आये है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरमन** जहां तक बिजली के सम्बन्ध में वृद्धि का प्रश्न है, बहुत सी चीजें हैं। सम्भावित क्षमता पहली योजना के अन्त में २३ लाख किलोवाट से बढ़ कर दूसरी योजना के अन्त तक ५५ लाख किलोवाट हो गई है। एक बात यह है कि थर्मल बिजली बनाने पर अधिक जोर है। दूसरे, प्रविधिक कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने की जरूरत है, तीसरे मट्टी के तेल की व्यवस्था है। राष्ट्रीय ग्रिड भी है। और बिजली संबंधी शुल्क का भी एक मामला है जिस पर विचार किया जाना है।

†**श्री भागवत झा आजाद** : देश की बढ़ती हुई आर्थिक कार्यों का कितना भाग सरकार के कामों द्वारा पूरा किया जायेगा तथा कितना अंश बिजली तथा परिवहन तथा पूरा नहीं किया जायेगा ?

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरमन** : जहां तक औद्योगिक आवश्यकताओं का संबंध है, बिजली संबंधी मांग जहां तक संभव होती है प्रायः पूरी की जाती है। जहां तक परिवहन का सम्बन्ध है, जो सम्बद्ध विषय है, इस का उत्तर दिया जा चुका है।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि फेडरेशन ने कौन से ठोस सुझाव दिये हैं और वर्तमान कार्यक्रम की उस ने कौन सी आलोचना की है ?

योजना तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नन्दा) : फेडरेशन की एक कांफरेस हुई थी, उस में उन की तरफ से कुछ सुझाव रक्खे गये थे। फिर उन के प्रतिनिधि हम से प्लैनिंग कमिशन में मिले भी। उन के सुझावों पर विचार किया गया, कुछ फैसले भी किये गये, और जो फैसले किये गये उन पर अमल किया जा रहा है। ट्रान्सपोर्ट के सम्बन्ध में यह हुआ है कि हर महीने उन के साथ बातचीत होती है। हर इंडस्ट्री की तरफ से **ए मन्थ इन ऐडवान्स** उनका प्रोग्राम आ जाता है ताकि रेलवे अच्छी तरह से उस का इन्तजाम कर सके। इस तरह से यह काम होता है ताकि बाक्स वैगन्स और ट्रेन लोड फुल जायें और ट्रेन्स में लोडिंग और अनलोडिंग प्वाइंट्स कम हो जायें। इस तरह की बहुत सी बातें हैं।

†**श्री रा० गि० दुबे** : क्या यह तथ्य है कि उचित योजना न होने के कारण कई बार बिजली साधन बेकार रहते हैं। क्या समन्वय मंत्री ने इस समस्या को हल करने के लिये कोई विशेष सुझाव दिया है ?

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरमन** : न केवल समन्वय मंत्री से सुझाव आये हैं किन्तु योजना आयोग की उपसमिति भी इस के बारे में काम कर रही है।

†**श्री वासुदेवन नायर** : क्या उत्पन्न हुई नवीन आपातकालीन स्थिति को ध्यान में रखते हुए किसी बिजली परियोजना के समाप्त किये जाने या उस में कमी किये जाने की कोई संभावना है ? यदि नहीं, तो क्या आरम्भ की गई सभी बिजली परियोजनाओं को तीसरी योजना में आगे बढ़ाया जायगा ?

†**श्री नन्दा** : योजना में केवल कमी करने का कोई प्रश्न नहीं है, किन्तु जहां तक हमारी शक्ति में है, हम अपने बिजली संभरण को बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : संघ द्वारा दिये गये दीर्घ-कालीन सुझावों के अतिरिक्त, कठिनाई को दूर करने के लिये संघ द्वारा अल्पकालीन प्रस्तावों पर क्या विशिष्ट कार्रवाई की गई है ?

†**श्री नन्दा** : वहां दीर्घ-कालीन कार्यक्रम अधिक नहीं थे। तुरन्त कार्रवाई करने की आवश्यकता थी, जिस पर विचार किया जा रहा था। हम आशा करते हैं कि वे सब कदम उठाये जायेंगे और उद्योग के सहयोग के साथ उन को तेज किया जायेगा।

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अ० प्र० जैन** : यदि मैं मा० मंत्री को सही समझ पाया हूं तो उन्हों ने रेलवे के संबंध में कुछ किया है। किन्तु परिवहन रेलवे की अपेक्षा अधिक बड़ा है। क्या तटीय नौवहन, सड़क परिवहन, नदी परिवहन आदि के सम्बन्ध में कुछ किया गया है और यदि हां, तो इन में से कितने कार्यों का समन्वय करने का विचार किया गया है ?

†**श्री नन्दा** : इन बातों पर भी विचार किया जा रहा है। उदाहरणार्थ, कोयले को भेजने की बात को लीजिये। हाल के महीनों में न केवल रेल के द्वारा अपितु सड़क के द्वारा भी कोयले को भेजने की स्थिति में सुधार हुआ है। समुद्रतटीय नौवहन भी अब होने लगा है और लक्ष्यों में वृद्धि की गई है तथा उन के लिये व्यवस्था की गई है।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : बार बार बिजली फेल होने तथा परिवहन की अत्यन्त कमी की दृष्टि से, जिन से दिल्ली तथा अन्य बहुत से बड़े नगर परिचित हैं, राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के इन महत्वपूर्ण पहलुओं को सामरिक स्तर पर लाने के लिये, अब जबकि हम युद्ध के बीच हैं हालांकि अभी तक इस की घोषणा नहीं की गई है, क्या कार्य किये गये हैं अथवा किये जा रहे हैं ?

†**श्री नन्दा** : मुझे समझ में नहीं आया कि मा० सदस्य ने अपने प्रश्न के अन्त में क्या कहा है, किन्तु मैं उन को बता सकता हूं कि हमारे संयंत्रों की संचालन सम्बन्धी कुशलता को बढ़ाने के लिये विविध कार्य किये जा रहे हैं। कई दल देश में गये हैं और सुझाव आये हैं, जिन को कार्यान्वित किया जा रहा है।

†**श्री इकबाल सिंह** : क्या परिवहन सुविधाओं के सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया गया था और क्या केवल ६४ प्रतिशत सड़क परिवहन सुविधाओं का उपयोग किया जा रहा है ? यदि ऐसी बात है तो योजना आयोग ने क्या कदम उठाये हैं ?

†**श्री नन्दा** : जहां तक इस प्रश्न के विस्तारपूर्वक उत्तर का सम्बन्ध है मुझे पूर्वसूचना चाहिये।

†**डा० क० ल० राव** : क्या सरकार वर्तमान प्रक्रियाओं को कम करने का विचार कर रही है जो बिजली परियोजनाओं की प्रगति में विलम्ब के मुख्य कारण हैं ?

†**श्री नन्दा** : जैसा मैं ने कहा, दल देश के भागों में गये थे और उन्हों ने बहुत से सुझाव दिये थे। उन में यह भी एक सुझाव है।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : वास्तविक तथा यथार्थ कमी के अतिरिक्त, जिसे अधिक उत्पादन तथा अन्य चीजों के द्वारा ही पूरा किया जा सकता है, वर्तमान संसाधनों के उत्तम उपयोग का क्या सुझाव दिया गया है तथा क्या किया गया है ? क्या वर्तमान साधनों के उत्तम उपयोग के संबंध में कोई सुझाव दिया गया था, जो प्रशासनिक न्यूनताओं के कारण नहीं हो पाया है ?

†**श्री नन्दा**: जी हां। अत्यन्त महत्वपूर्ण दिशा में से इस ओर भी अब कदम उठाये जा रहे हैं और समन्वय किया जा रहा है, अर्थात् संचालन क्षेत्रों में ग्रिड प्रणाली का विस्तार है तथा अखिल भारतीय ग्रिड प्रणाली की ओर बढ़ना है।

हैदराबाद में संश्लिष्ट औषधि कारखाना

†*१०. **श्री कोल्ला वेंकैया** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद में संश्लिष्ट औषधि कारखाने का निर्माण कार्य आरम्भ हो गया है ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस में उत्पादन कब आरम्भ होगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस का क्या कारण है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो):** (क) जी हां।

(ख) १९६६ के प्रारंभ में ।

(ग) सवाल पैदा नहीं होता ।

†**श्री कोल्ला वेंकैया** : फैक्टरी की क्षमता कितनी है और क्या अफसरों तथा कर्मचारियों की भरती की गई है तथा यदि हां तो प्रत्येक राज्य से कितने व्यक्ति भरती किये गये हैं ?

श्री कानूनगो : प्रशिक्षु भरती किये गये हैं विशेष रूप से इस संयंत्र के लिये नहीं, किन्तु परियोजना के सम्पूर्ण संचालन के लिए । उन के पहले दल को अब प्रशिक्षण दिया जा रहा है और अगले वर्ष के आरम्भ में उन को रूस भेजा जायेगा ।

स्कूलों में टेली वीजन

+

*११. { **श्री भक्त दर्शन :**
श्री भागवत झा आजाद : }

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री ३० अगस्त, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ७०५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में टेलीविजन के द्वारा शिक्षा देने का जो कार्यक्रम चल रहा है क्या उस का वैज्ञानिक अध्ययन इस बीच समाप्त हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस से कौन से निष्कर्ष निकले हैं ; और

(ग) उन निष्कर्षों के अनुसार क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सूचना और प्रसारण मं ालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी हां।

(ख) फ़ोर्ड फाउन्डेशन के सलाहकार से जिन्हों ने इस बारे में अध्ययन कार्य किया है, रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है ।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

श्री भक्त दर्शन : मैं यह जानना चाहता हूं कि फोर्ड फाउन्डेशन की रिपोर्ट के आने की कब तक उम्मीद की जाती है ।

†**श्री शाम नाथ** : मुझे आशा है कि रिपोर्ट लगभग दो महीनों में हमारे पास आ जायेगी ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या फोर्ड फाउंडेशन के अतिरिक्त कोई अनुमान लगाया गया है और क्या उस रिपोर्ट के आधार पर सरकार अन्य बड़े नगरों में भी इस के उपयोग को बढ़ाने की वांछनीयता का विचार करती है ?

†**श्री शाम नाथ** : जी हां, प्रारंभिक अनुसंधान के अतिरिक्त जो किया जा चुका है, हमें श्रेणियों के अध्यापकों से रिपोर्टें मिली हैं और उन के आधार पर तथा स्कूलों के अध्यापकों के साथ व्यक्तिगत सम्पर्क के आधार पर हमारा यह मत है कि यह टेलीविजन सेवा बड़ी उपयोगी रही है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

श्री कछवाय : मैं जानना चाहता हूं कि इस काम में अब तक कितना खर्च हुआ है ।

श्री शाम नाथ : इस में गवर्नमेंट आफ इंडिया को ४ लाख, २६ हजार रु० खर्च करना है और जहां तक फोर्ड फाउन्डेशन ग्रान्ट का ताल्लुक है वह ४ लाख, ७४ हजार ५०० डालर्स है ।

किराये की बकाया रकम

+

†*१२. { **श्री कृ० चं० पन्त :**
श्री मुरारका :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी कर्मचारियों, सरकारी विभागों, विदेशी मिशनों आदि से लगभग ३२ लाख रु० किराये की रकम बकाया है ;

(ख) यदि हां, तो यह राशि कब से बकाया है ;

(ग) इसके क्या करण हैं ; और

(घ) राशि वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १] :

†**श्री कृ० चं० पन्त** : इतना अधिक क्यों बकाया रहने दिया जाता है विशेषकर सरकारी कर्मचारियों तथा सरकारी विभागों के मामले में जब कि उनके वेतनों से या पुस्तखाता मिलान के द्वारा समायोजन करना अधिक सरल होता है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : विवरण में कहा है कि बकाया राशि उनके मासिक वेतन से काटी जा रही है ।

†**श्री कृ० चं० पन्त** : कुछ राशि १९५५ से बकाया है ।

†**श्री पू० शे० नास्कर** : विवरण में बताया गया है कि अधिकतम राशि सरकारी कर्मचारियों से बकाया है किन्तु यह वास्तव में बकाया नहीं है । यह पुस्त समायोजन का मामला है और उसके लिये हम सब संभव कदम उठा रहे हैं ।

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द्र खन्ना)** : मैं यह भी बता दूं कि श्री पन्त के प्रश्न का उत्तर इस प्रकार भी दिया जा सकता हैं । तब ८.२० करोड़ रुपये की रकम बकाया थी । उसमें अब केवल ३ लाख रुपये बकाया है, जब कि अन्य मामले में, जहां अब बकाया केवल १८–२० लाख रुपये हैं, कुल मांग १४ करोड़ रुपया था । बहुत कम बकाया रह गया है ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या मैं यह जान सकता हूं कि इन सरकारी कर्मचारियों, सरकारी विभागों और विदेशी मिशन्स के अतिरिक्त देश के कुछ प्रमुख व्यापारियों और प्रमुख संस्थाओं की ओर भी इस प्रकार का पैसा बकाया है ? यदि हां तो उसकी संख्या क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : यह इस सवाल से नहीं उठता ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : सरकार की ओर से किराये पर दिये गये मकानों के लिये भी किराय क्यों बकाया हैं ? उदाहरण के लिये, कलकत्ता नगर में बहुत से मकान हैं जिनके किराये सरकारी विभागों ने नहीं दिये हैं ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : यह केवल पुस्त समायोजन का प्रश्न है । धन राष्ट्रीय कोष में जाता है । चाहे मुझे धन सूचना या प्रसारण मंत्रालय से मिले चाहे बकाया रहे, इस में कोई बड़ी बात नहीं । वास्तविक बात यह है कि जहां गैर सरकारी कर्मचारियों से रकम बकाया होती है हम प्रत्येक प्रयत्न करते हैं कि रकम वसूल हो जाए और यदि रकम वसूल नहीं होती तो मैं कड़ी कार्रवाई करता हूं ।

†**श्री मुरारका** : माननीय मंत्री ने बताया है कि कुछ रकमों को पुस्त समायोजन बकाया है । अभी तक किस प्रकार का पुस्त समायोजन नहीं किया गया ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : मैंने ऐसा है । १४ करोड़ रुपया से अधिक मांग में से आज केवल कुछ लाख रुपये की रकम बकाया है ।

†**श्री मुरारका** : प्रश्न यह नहीं है । विवरण में कहा है कि कुछ रकमों का पुस्तक समायोजना अवशिष्ट है । वास्तव में राशि वसूल नहीं करनी है । किस प्रकार का पुस्तक समायोजन करना है ?

†**श्री त्यागी** : क्लर्की संबंधी गलती ।

†**श्री मेहरचन्द खन्ना** : प्रश्न में जिस अवधि का उल्लेख है उस के लिये सरकारी कर्मचारियों से बकाया कुल राशि १८.६० लाख रुपये है ।

†**श्री मुररका** : ऐसा क्यों है ? कितना पुस्त समायोजन बकाया है ?

†**श्री मेहरचन्द खन्ना** : मैं यह कह रहा हूं कि हमें विभिन्न मंत्रालयों से य समायोजन आदेश प्राप्त करने हैं । सरकारी कर्मचारियों की संख्या ३०,००० से अधिक है, जो कम संख्या नहीं है, जिसमें संसद सदस्य भी शामिल हैं ।

†**श्री त्यागी** : मैं यह बात स्पष्ट करना चाहता हूं ताकि संसद सदस्यों के बारे गलतफहमी न हो कि प्रति मास यह हमारे वेतन बिलों से काटी जाती है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : शांति शांति । माननीय मंत्री प्राप्त समायोजन की बात कर रहे हैं यह बात नहीं कि उसको ओर रकम बकाया है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : संसद सदस्यों के बारे में माननीय मंत्री का कथन सर्वथा अनुचित है ।

†**श्री श० ना० चतुर्वेदी** : यदि पुस्त समायोजना नियमित रूप से किया जा रहा है तो इतनी बड़ी रकम क्यों जमा हो गई ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : मैं कह रहा हूं कि बकाया रकम बहुत कम है मांग की तुलना में ।

†**श्री श्या० ना० चतुर्वेदी** दो शीर्षों के अन्तर्गत ८ करोड़ और १४ करोड़ हैं ।

†मूल अंग्रेजी में

†श्री मेहर चन्द खन्ना : यह कुल है . . .

†अध्यक्ष महोदय : जिस प्रश्न की मने अनुमति नहीं दी, उस का उत्तर माननीय मंत्री को नहीं देना चाहिये । वह पहले मुझे देखें ।

†श्री सिंहासन सिंह : किन श्रेणियों के सरकारी कर्मचारियों की रकम अभी बकाया है : प्रथम या द्वितीय या चतुर्थ श्रेणी ?

†श्री मेहर चन्द खन्ना : मुझे इस का पता नहीं । उन सब को मकान अलाट किये गये हैं उनमें चारों श्रेणियों के कर्मचारी हो सकते हैं ।

†डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : विवरण में बताया है कि ३१-३-५५ तक ०.०२ रुपये को रकम बकाया है । संसद के भूतपूर्व सदस्यों से यह क्यों वसूल नहीं की गई ?

†श्री मेहरचन्द खन्ना : संसद के भूतपूर्व सदस्यों की संख्या लगभग ११ है जो अब सदस्य नहीं हैं । उन्होंने अपने क्वार्टर खाली नहीं किये । मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी ।

†श्री जयपाल सिंह : उन ११ भूतपूर्व संसद सदस्यों का दलवार ब्योरा क्या है ?

†श्री हरि विष्णु कामत : विवरण सभा पटल पर रखा जाए ।

†अध्यक्ष महोदय : सब दल समान रूप से उत्तरदायी हैं । हमें इस ब्योरे में नहीं पड़ना चाहिये ।

श्री रामसेवक यादव : मैं चाहता हूं कि यह बता दिया जाए कि किन किन दलों के लोग कब्जा किए हुए हैं और नहीं छोड़ रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : यह सवाल तो किया जा चुका है । माननीय उदस्य ने कोई नया सवाल नहीं किया है ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री: मैं ने पहले जो प्रश्न किया था कि क्या इन के अतिरिक्त देश के किन्हीं प्रमुख व्यापरियों और संस्थाओं के ऊपर भी पैसा बकाया है, उसके लिए आपने कहा कि प्रश्न नहीं उठता । लेकिन इसमें जो विवरण दिया गया है उस में जो "आदि" शब्द आया है, उसके गर्भ में यह प्रश्न आ सकता है ।

अध्यक्ष महोदय : अगर मुझ से गलती भी हुई है तो वह वैसी ही रहेगी ।

श्री रामेश्वरानन्द : अध्यक्ष महोदय से जो गलती हुई है वह वैसे हो क्यों रहेगी, इसका क्या कारण है ?

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर, आप बैठ जाएं ।

जब इस सदन में मुझे इस कुर्सी पर बिठाया है तो जो फैसला मैं करूंगा वह उस वक्त के लिए मानना पड़ेगा, कभी वह गलत होगा कभी दुरुस्त होगा, वह सब ठीक मानना पड़ेगा ।

कांगो की स्थिति

+

†*१३. { श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री दाजी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कांगो की स्थिति में कितना सुधार हुआ है ; और

†मूल अंग्रेजी में

2414 Ai LSD—2

(ख) समन्वय के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का नया सूत्र लागू करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्रीमती लक्ष्मी मेनन)**: (क) कांगों की स्थिति में अभी हाल कोई सुधार नहीं हुआ। वस्तुतः यह ज्ञात होता है कि मि० शोम्बे बातचीत लम्बी करने की पुरानी चाल चल रहा है जिससे कि उसके विरुद्ध कार्य करने का निर्णय न हो सके तथा इस बीच वह सैनिक तथा राजनैतिक दृष्टियों से अपनी शक्तियां बढ़ाना चाहता है।

(ख) २० अगस्त १९६० को योजना की क्रियान्विति कांगों गणतंत्र और संयुक्त राष्ट्र संघ के हाथों में है। भारत सरकार को यह ज्ञात नहीं है कि इसे अमल में लाने के लिये क्या क्या कदम उठाये गये हैं। यह ज्ञात हुआ है कि तीन आयोग एक सैनिक और दो वित्तीय स्थापित कर दिये गये हैं। ये कटांगा के कांगों में एकीकरण की शर्तें निश्चित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। कुछ मामले सिद्धांत रूप से दोनों पक्षों द्वारा मान लिये गये हैं। इन समझौतों को अमल में लाये जाने पर ही यह कहा जा सकता है कि वास्तविक प्रगति कितनी हुई।

†**श्री हरिश्चन्द्र मथर** : मंत्री जी द्वारा दिये गये इस उत्तर को ध्यान में रख कर स्थिति अभी अस्पष्ट है तथा अभी बहुत दिन तक ऐसी स्थिति चलेगी तथा देश में आपातकालीन स्थिति को देखते हुए क्या हमने भारतीय सैनिकों को वापस बुलाने के लिये कोई कार्यवाही की है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन**: हमने महा-सचिव को इस संकट से अवगत कर दिया है तथा हमने उनसे भी पूछा है कि स्थिति कब तक सामान्य हो जायेगी ?

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या सभी देश, विशेषतः रूस, अमेरिका और ब्रिटेन महासचिव के नये सूत्र से सहमत हो गये हैं, यदि हां तो उसके अमल में लाये जाने में क्या क्या बाधायें हैं ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन**: मैंने मुख्य प्रश्न के उत्तर में कहा था कि इस प्रश्न का निपटारा कांगो की सरकार और संयुक्त राष्ट्र संघ ने करना है। इस योजना को यू थान्ट योजना भी कहते हैं किन्तु जब तक कटांगा सरकार इससे सहमत नहीं होती है कुछ नहीं किया जा सकता है।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या राष्ट्र-मंडल के प्रधान मंत्रियों के सम्मेलन में जो सर्व सम्मत विज्ञप्ति निकाली गयी थी उसने इस प्रस्ताव के संबंध में ब्रिटिश सरकार की नीति का समर्थन किया तथा क्या इससे यू० थान्ट के दृढ़ रवैये को कोई प्रोत्साहन नहीं मिला।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य प्रतिरक्षा तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू)** मैं नहीं समझ सका कि माननीय सदस्य ब्रिटेन की सरकार की किस विज्ञप्ति का उल्लेख कर रहे हैं?

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : मैं उस विज्ञप्ति का उल्लेख कर रहा हूं जो राष्ट्रमण्डलीय प्रधान मन्त्रियों के सम्मेलन के पश्चात् जारी किया गया था।

†**श्री जवाहर लाल नेहरू**: उसमें कुछ उल्लेख अवश्य है जहां तक मुझे याद आता है, वह यह है कि सम्मेलन यू० थांट के प्रस्तावों का समर्थन करती है तथा आशा करती है कि उन्हें तत्सम्बन्धी सभी पक्षों द्वारा अमल में लाया जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : कांगो में इस समय भारतीय सैनिकों की कितनी संख्या है ?

†श्री जवाहर लाल नेहरू : मुझे ठीक संख्या ज्ञात नहीं है तथापि यह पांच हजार से छः हजार तक है।

†श्री हरि विष्णु कामत : क्या यह सच है कि हमारे सेनाओं की एक टुकड़ी पिछले महीने बम्बई से रवाना हुई, यदि हां, तो क्या सरकार देश की रक्षा करने से कांगों के गृह युद्ध को निपटाना अधिक आवश्यक समझती है ?

†श्री जवाहर लाल नेहरू : : जहां से सेनायें गाजा भेजी गयीं जिससे वे उन सैनिकों का स्थान ले सकें जो वहां मौजूद थे।

†श्री हरिविष्णु कामत : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। मेरा प्रश्न यह था कि क्या सरकार की दृष्टि में गाजा या कांगों का कार्य देश की रक्षा से अधिक महत्वपूर्ण है। हम अपनी सेनायें क्यों विदेश भेज रहे है ?

†श्री जवाहर लाल नेहरू : निसंदेह अपनी अखंडता बनाये रखने से अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। तथा हमें संयुक्त राष्ट्र संघ तथा अन्य स्थानों में दिये गये काम का भी पालन करना है। हम संयुक्त राष्ट्र की अनुमति के बिना स्थिति में अकस्मात परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। जितनी भी जल्दी संभव होगा हम उन्हें वापस बुला सकते हैं।

†श्री हेम बरुआ : क्या यह सच नहीं है कि गाजा में भेजे गये ११०० सैनिक वहां सीमा संबंधी पुलिस कार्य ही करेंगे ?

†श्री जवाहर लाल नेहरू : उन्हें वहां युद्ध नहीं करना है। वे युद्ध विराम रेखा के निकट हैं। वे वहां न केवल संयुक्त राष्ट्र संघ भेजे गये हैं अपितु संयुक्त अरब गणराज्य की इच्छा पर भेजे गये हैं। अतः हम संबंधित पक्षों की सहमति के बिना कोई कार्यवाही नहीं कर सकते हैं।

†श्री रंगा : सुरक्षा परिषद् तथा संयुक्त राष्ट्र महासचिव को यह बताने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है कि भारत के लिये हम स्थानों में सैनिक रखना संभव नहीं होगा, अतः संयुक्त राष्ट्र को उन्हें शीघ्रातिशीघ्र वापस भेजना चाहिये।

†श्री जवाहर लाल नेहरू : हमने महासचिव को यह लिखा है कि हम उन्हें शीघ्रातिशीघ्र वापस बुलाना चाहते हैं। अब इस पर निर्णय करना महासचिव के ऊपर निर्भर है।

†श्री दाजी : प्रधान मन्त्री को यह ज्ञात है कि राष्ट्रमण्डलीय प्रधान मन्त्रियों की विज्ञप्ति में यू थांट के प्रस्तावों का आधार रूप में समर्थन किया गया। शोम्बे ने भी इसी शब्द का प्रयोग किया है। तथा इसे प्रस्तावों का समर्थन नहीं कहा गया है अपितु इसे ब्रिटिश शोम्बे नीति का समर्थन कहा गया है। इस नीति की कई समाचार पत्रों ने जिनमें स्टेट्समैन भी शामिल है निन्दा की है यदि हां तो भारत सरकार की इस सम्बन्ध में क्या नीति है ?

†श्री जवाहर लाल नेहरू : मैं नहीं जानता कि समाचार पत्रों में क्या कहा गया है। तथापि मेरे विचार से उस विज्ञप्ति में यू० थांट के प्रस्तावों का समर्थन किया गया था। इन विस्तृत विवरणों पर विचार नहीं करते हैं। मैं भी जानता कि माननीय सदस्य इसे अन्यथा किस प्रकार समझ रहे हैं ?

†श्री दाजी : मैं इसे पढ़ सकता हूं।

†श्री जवाहर लाल नेहरू : मैं स्टेट्समैन या किसी अन्य पत्र की समालोचना में विश्वास नहीं करता। मैं उनसे अधिक जानता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री रामेश्वरानन्द : कांगो आदि देशों में जो भारतीय सेनायें गई हैं, देश की ऐसी स्थिति होने पर क्या उन्हें भारत वापिस बुलाने का कोई विचार है या नहीं ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि देश की वर्तमान स्थिति कैसी है ?

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये, अपने पड़ौसी से यह जान लीजिये ।

†**डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी :** हम कब तक अपने सैनिकों के लौटने की आशा कर सकते हैं क्या हमने इसके लि। कोई निश्चित तारीख निश्चित की है ?

†**श्री जवाहर लाल नेहरू :** हमने कोई अवधि निश्चित नहीं की है । हम अन्तर्राष्ट्रीय वचनों और व्यवस्था का पालन करते हैं । हम संयुक्त राष्ट्र संघ की व्यवस्था में गड़बड़ी नहीं पैदा कर सकते हैं । तथापि हमने उन्हें यह बता दिया है कि हम उन्हें शीघ्र से शीघ्र वापस बुलाना चाहते हैं ।

†**श्री हनुमन्तैया :** क्या यह सही नहीं है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अधीन अपनी सेनाओं को हटाने से हमें भी अपने संकटकाल में सहायता मिलेगी ?

†**श्री जवाहर लाल नेहरू :** विश्व की व्यापक राजनैतिक पृष्ठभूमि में यह हमारे लिये सहायक सिद्ध हो सकती है ।

†**श्री जोकीम अल्वा :** हमने गाजा में अधिक समय काम किया है और कांगों में कम समय तक क्या उनकी वापसी के सम्बन्ध में अवधि निश्चित नहीं की जा सकती है जिससे हम यथा समय उन्हें वापस बुला लेवें ।

श्री राम सेवक यादव : देश के सामने जो वर्तमान संकट मौजूद है उसको देखते हुए क्या भारत सरकार ने यूनाइटेड नेशन्स को लिख दिया है कि भारतीय ट्रुप्स रिलीव कर दिये दिये जायं ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो उन्होंने जवाब दे दिया है ।

पटसन की वस्तुओं का निर्यात

†*१४. +
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री इन्द्र जीत गुप्त :
श्री दाजी :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मि० बम के सभापतित्व में एक समिति बनाने का है जो पटसन की वस्तुओं के समस्त विदेशी विक्रय ठेकों की जांच तथा पंजीयन करेगी; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) और (ख) पटसन की वस्तुओं के समस्त विदेशी विक्रय ठेकों की जांच तथा पंजीयन के लिये एक समिति बनाने का विचार है । विस्तृत ब्यौरे पर विचार किया जा रहा है ।

†**श्री दीनेन भट्टाचार्य :** हमारे ब्यौरों की जांच कब तक हो जायेगी ।

†**श्री मनुभाई शाह :** जांच की जा रही है । हम इस समिति को यथाशीघ्र स्थगन की कोशिश करेंगे ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या इस प्रस्ताव में यह भी व्यवस्था है कि समिति की स्थापना होने पर निर्यात किये जाने वाले माल की सीमा शुल्क विभाग द्वारा वास्तविक जांच नहीं की जायेगी ।

†मूल अंग्रेजी में

श्री मनुभाई शाह : जी नहीं। यह जहाज पर लादे जाने के पूर्व निरीक्षण का स्थान नहीं ले रहा है। ऐसा ठेकों का पंजीयन करने के लिये किया जा रहा है। जिससे कि इनवाइस से माल कम भेजना सम्भव नहीं हो सके।

†श्री प्र० चं० बरुआ : विदेशी मुद्रा की इस हानि को रोकने के लिये समिति किस प्रकार कार्य करेगी ?

†श्री मनुभाई शाह : यह व्यवस्था की गई है कि ठेका तय होने के २४ घंटे के भीतर ही उसका पंजीयन कर दिया जायेगा इसमें के समय कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

†श्री रामेश्वर टांटिया : माल कम भेजने के आधार पर सीमा शुल्क विभाग द्वारा जब्त किये माल का क्या किया जाता है ?

†श्री मनुभाई शाह : दो मामलों में हमें ज्ञात हुआ है कि माल जब्त करना उचित नहीं था तथा हमारी भ्रांति निराधार थी। अतः माल वापस कर दिया गया। एक मामला विचाराधीन है।

गोआ की जेलें

†*१५. { श्री मुहम्मद इलियास :
श्री दाजी :
श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :
श्री विशन चन्द्र सेठ :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक मजदूर नेता द्वारा गोआ की जेलों में सुधार करने के बारे में एक ज्ञापन दिया गया था ;

(ख) क्या उन्होंने गोआ की जेलों की स्थिति की जांच करने के लिये आयोग बनाने का सुझाव दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या कोई कार्यवाही की गई है ?

†वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) और (ख). जी हां।

(ग) गोआ प्रशासन ने गोआ खान श्रमिक कल्याण संघ के अध्यक्ष श्री जार्ज द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन पर सावधानी से विचार किया तथा वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि संघ राज्य क्षेत्र के जेलों की व्यवस्था की जांच करने के लिये विशेष आयोग नियुक्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रशासन गोआ दमन और दीव के सभी जेलों की अवस्थाओं में सुधार करने का प्रयत्न कर रही हैं।

†श्री दाजी : क्या यह सच है कि वहां अभी भी वही पुरानी पुर्तगाली जेल नियमावली काम में आती है। वहां की जेलों की अवस्था में सुधार कर उन्हें भारत के जेलों की अवस्था के अनुरूप करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†श्रीमती लक्ष्मी मेनन : मैं कह चुकी हूं कि जेलों की अवस्था सुधार करने के लिय तथा उन्हें भारत की जेलों के अनुरूप बनाने के लिये यथा सम्भव सभी उपाय किये जा रहे हैं।

†श्री दाजी : क्या कुछ आपत्तिजनक उपबन्धों में परिवर्तन करने के आदेश पारित किय जा चुके हैं।

†श्रीमती लक्ष्मी मेनन : इसके लिये मुझे पृथक् सूचना की आवश्यकता होगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री वासुदेवा नायर : क्या अभी भी गोआ की जेलों में कुछ राजनैतिक कैदी हैं।

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : मुझे इसके लिये भी पृथक् नोटिस की आवश्यकता होगी।

†श्री त्रिदिब कुमार चोधरी : क्या इस सम्बन्ध में उन कतिपय सुविधाओं पर विचार किया गया है जो सामान्य कैदियों को प्राप्त थीं ?

†श्रीमती लक्ष्मी मेनन : मैं बता चुकी हूं कि गोआ में जेलों की दशा सन्तोषजनक नहीं है। तथापि हमारे विचार से उसके लिये आयोग बिठाने की आवश्यकता नहीं है। तथापि कदाचित भारत सरकार किसी व्यक्ति को वहां भजेगी जो वहां की जेलों की अवस्था, भारत के जेलों की अवस्था के अनुरूप बनाने के सम्बन्ध में सलाह देगा।

†श्री हरि विष्णु कामत : औचित्य प्रश्न पर, क्या मैं यह जान सकता हूं कि गोआ अभी भी वैदेशिक कार्य मन्त्रालय के अधीन क्यों है तथा गृह मन्त्रालय के अधीन क्यों नहीं रखा गया है ?

†अध्यक्ष महोदय : इसका निश्चय प्रश्नकाल में नहीं दिया जा सकता है।

†श्री दाजी : क्या यह सच है कि ज्ञापन में दुर्व्यवहार करने की जो शिकायतें की गयी हैं वे ठीक हैं।

†श्रीमती लक्ष्मी मेनन : दुर्व्यवहार के कोई आरोप नहीं हैं। ज्ञापन में जेलों में स्थान, भोजन तथा उनको मिलने वाले भत्ते इत्यादि की मानयनीय अवस्था के सम्बन्ध में बताया गया है।

औद्योगिकों श्रमिकों के लिये उपभोक्ता सहकारी संस्थायें

†*१६. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औद्योगिक श्रमिकों को उपभोक्ता सहकारी संस्थाएं बनाने को प्रोत्साहन देने के लिये योजना तैयार की है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कारखानों के मालिकों के मत प्राप्त हो चुके हैं ;

(ग) क्या सहकारी संस्थाओं के प्रबन्ध में मालिकों को शामिल करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(घ) क्या इन सहकारी संस्थाओं के विकास के लिये कर्मचारी भविष्य निधि और कोयला खान भविष्य निधि के धन का उपयोग करने का विचार है ?

†श्रम और रोजगार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (घ). जी हां।

†श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : मालिकों की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है ?

†श्री हाथी : उन्होंने यह योजना स्वीकार कर ली है।

†श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या सरकार ने राज सरकारों का मत जानने के लिये यह योजना उन्हें परिचालित की थी ?

†श्री हाथी : जी हां। हमें राज्य सरकारों की रायें प्राप्त हो गयी हैं।

वियना में भारतीय राजनयाधिकारी की मृत्यु

†*१७. श्री हरि विष्णु कामत : क्या प्रधान मंत्री ६ अगस्त १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वियना (आस्ट्रिया) स्थित भारतीय राजदूतावास के तत्कालीन प्रथम सचिव श्री ए० के० मित्रा की दिसम्बर, १९६१ में हुई मृत्यु की जाच पूरी हो चुकी है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उस जांच से क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) जी हां ।

(ख) आस्ट्रिया के विदेश कार्यालय ने जो प्रतिवेदन भेजा है वह अपूर्ण है । उन्होंने इस संभावना को गलत बताया है कि श्री मित्रा की मृत्यु किसी अपराध के फलस्वरूप हुई है । प्रतिवेदन में कहा गया है कि परिपस्थिति जन्य प्रमाणों के आधार पर यह आत्म हत्या का मामला हो सकता है । हमें यह बताया गया है कि यही पुलिस की अन्तिम रिपोर्ट है तथा इसके पश्चात् कुछ जांच करने को बाकी नहीं रह जाता है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : श्री. मित्रा की मृत्यु की किन किन एजेंसियों ने जांच की ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : आस्ट्रिया एजेन्सी ने ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या यह सच नहीं है कि आस्ट्रिया सरकार के अतिरिक्त जैसा कि सभा में पिछले सत्र में बताया गया था, इन्टरपोल तथा वियना में भारतीय दूतावास के भारतीय प्रतिनिधि ने भी मि० मित्रा की मृत्यु की जांच के सम्बन्ध में आस्ट्रिया, एजेन्सी के साथ सहयोग किया था, तो क्या यह उन तीनों का ही सम्मिलित प्रतिवेदन है अथवा अकेले आस्ट्रिया की सरकार का?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य प्रतिरक्षा तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू :)** हमने उन्हें यथासंभव सहायता और जानकारी दी । तथापि जांच आस्ट्रिया की सरकार की पुलिस तथा उनके प्रतिनिधियों द्वारा की गयी ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या सरकार को यह ज्ञात है कि एक उत्तरदायी अंग्रेजी पत्र 'टापिक' ने इस दुःखद घटना पर विस्तृत लेख लिखा तथा उसमें यह बताया गया है कि इस मामले की अग्रेतर जांच करने का कोई विचार नहीं है ।

†**श्री जवहार लाल नेहरू** : माननीय सदस्य को यह ज्ञात होना चाहिये कि यह दुःखद घटना विदेश में हुई है । तथा उस की वही देश जांच करेगा । हम इसकी जांच के लिये यहां से कोई पुलिस दल नहीं भेज सकते हैं । ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हम किसी अन्य देश की पुलिस को यहां जांच करने की अनुमति नहीं देंगे । मुझे उस पत्र का पता नहीं है जिसका माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : मैं उसकी एक प्रतिलिपि भेज सकता हूं ।

†**श्री हेम बरुआ** : मेरे पास इसकी एक प्रति है । इस बात को ध्यान में रखते हुए कि लन्दन के इस पत्र **टापिक** में सोने के तस्कर व्यापार में शामिल कुछ लखपतियों के जिनको श्री मित्रा की दुखद मृत्यु का उत्तरदायी समझा गया है उनके ऊपर गम्भीर आरोप लगाये गये हैं, क्या इस पहलू की भी जांच की गयी थी ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : इन सभी आरोपों की जांच की गयी थी तथा उन्हें निराधार समझा गया ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सन्थाल शरणार्थियों का पुनर्वास

†*१८. श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या २१ सितम्बर, १९६२ के 'स्टेट्समैन' के कलकत्ता संस्करण में प्रकाशित उस रिपोर्ट की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है कि पूर्वी पाकिस्तान के राजशाही जिला से माल्दा में आने वाले कुल ४५० सन्थाल शरणार्थियों को आसाम के कामरूप जिला में बसाया जा रहा है ;

(ख) क्या उनको केन्द्रीय सरकार के कहने पर या दोनों सम्बद्ध राज्य सरकारों के बीच पारस्परिक समझौते के द्वारा आसाम ले जा कर वहां बसाया गया है ; और

(ग) उनको दण्डाकारण्य क्यों नहीं भेजा गया ?

†निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) हां, श्रीमान ।

(ख) तथा (ग). असम सरकार ने गत जुलाई में यह सूचना दी थी कि लगभग ४८० संथाल पश्चिम बंगाल के रास्ते उस राज्य में घुस आये थे और कामरूप जिले में कई स्थलों पर रहने लगे थे । उस सरकार से कहा गया है कि वे उन परिवारों को पुनर्वास सहायता देने के बारे में अपनी प्रस्तावनाएं पेश करे । ये प्रस्तावनाएं अभी नहीं मिलीं ।

†श्री त्रिदिब कुमार चौधरी : क्या केन्द्रीय सरकार का मूल प्रस्ताव यह था कि इन शरणार्थियों को दण्डकारण्य भेजा जाना था ? किस कारण उन्हें नीति बदल कर शरणार्थियों को असम भेजना पड़ा ?

†श्री पू० शे० नास्कर: ये लोग असम में दाखिल हुए थे, उन्हें असम में भेजा नहीं गया ।

†श्री त्रिदिब कुमार चौधरी : इन ४५ शरणार्थियों के अतिरिक्त अन्य सन्थाल शरणार्थियों का क्या हुआ ? क्या उन्हें वास्तव में दण्डकारण्य भेज दिया गया और वहां बसा दिया गया ?

†निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : अभी केवल तीन या चार दिन पूर्व में पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री और पुनर्वास मंत्री से मिला था और हमने निश्चय किया था कि इस बार लगभग ३००० परिवार दण्डकारण्य भेजे जायें और आशा है कि इन में से ५०० परिवार सन्थाल लोगों के होंगे जो पूर्व पाकिस्तान से पश्चिमी बंगाल में आये हैं ।

†श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि असम सरकार ने भारत सरकार को लिखा है कि जो शरणार्थी वहां नहीं बसाये जा सके उन्हें भारत सरकार ले, क्या असम सरकार का बोझ बढ़ाना उचित होगा ?

†श्री मेहर चन्द खन्ना : हमें दण्डकारण्य की उस भूमि को दृष्टिगत रखना है जिसे कृषि योग्य बनाया गया है । मेरे अनुमान के अनुसार वहा इतनी भूमि को कृषि योग्य नहीं बनाया जा सकेगा कि ५००० से अधिक परिवारों को बसाया जा सके और यदि आदिम जाति के लोगों को दृष्टिगत रखा जाये जिसके लिये २५ प्रतिशत अभ्यंश निश्चित है तो मैं ३,००० या ३,५०० परिवारों से अधिक

† मूल अंग्रेजी में

नहीं ले सकता। पश्चिमी बंगाल में इसे इससे अधिक परिवार हैं और मुझे उन सब अभागे लोगों को बसाना है। यदि यह असम सरकार के बल से असम में किया जा सके तो उन्हें दण्डकारण्य में ले जाने का प्रश्न पैदा नहीं हो सकता।

†श्री अ० चं० गुह : क्या सन्थालों के अतिरिक्त पूर्वी बंगाल से आने वाले अन्य बहुत से लोगों को बसाने के लिये सरकार के पास कोई योजना है ?

†अध्यक्ष महोदय : हमें केवल सन्थाल शरणार्थियों को लेना चाहिये जो इस प्रश्न का विषय हैं।

†श्री इन्द्रजीत गुप्त : राजशाही से आने वाले शरणार्थियों की ठीक स्थिति के बारे में—कि क्या वे पुनर्वास सम्बन्धी सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं अथवा नहीं—केन्द्रीय सरकार और पश्चिमी बंगाल सरकार के दृष्टिकोणों में कई मास तक जो उलझन बनी रही क्या वह अब सुलझ गई है और अब स्थिति क्या है ?

†श्री मेहर चन्द खन्ना : जैसा मैंने गत अधिवेशन में उत्तर दिया था उसे ही मैं आज भी दोहराता हूं कि पूर्वी बंगाल से आने वाले लोगों और सन्थालों के बारे में हमारे और पश्चिमी बंगाल के बीच कोई मतभेद नहीं है। हम ऐसी नीति को अपना रहे हैं जिस पर हम दोनों सहमत हैं।

†श्री रा० चो० बनर्जी : क्या कुछ सन्थाल लोगों ने बिहार के सन्थाल परगना में जाने की इच्छा प्रकट की है, और यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में बिहार सरकार से कहा गया है और उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

†श्री मेहर चन्द खन्ना : यदि माननीय सदस्य मुझे लिखें तो मैं इसका पता लगाऊंगा।

†श्री बहुअतारी : अब तक असम में कितने शरणार्थी बसाये गये हैं ?

†अध्यक्ष महोदय : क्या सन्थालों के बारे में ?

†श्री बहुअतारी : सभी शरणार्थी।

†अध्यक्ष महोदय : जी नहीं। श्री त्रिदिव कुमार चौधरी।

†श्री त्रिदिव कुमार चौधरी : मंत्री ने अभी बताया कि व पश्चिमी बंगाल सरकार से सहमत हो गये हैं कि लगभग २००० परिवारों को इस मौसम में शीघ्र पुनर्वास के लिये दण्डकारण्य भेजा जायेगा। क्या ये २००० लोगों में, जो सन्थालों के अतिरिक्त हैं केवल पुराने शरणार्थी हैं या नये आप्रवासी भी ?

†अध्यक्ष महोदय : सन्थालों के अतिरिक्त ?

†श्री त्रिदिव कुमार चौधरी : कुछ नये लोग भी आये हैं।

†अध्यक्ष महोदय : प्रश्न सन्थालों के सम्बन्ध में है। डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी।

†डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या ये सन्थाल दण्डकारण्य में पूरी तरह बसाये गये हैं या किसी और प्रदेश में ?

†श्री मेहर चन्द खन्ना : हम उन लोगों के पुनर्वास का ध्यान रखते हैं जिन्हें हमने लिया है। जिन्होंने आने से इन्कार कर दिया है उनके लिये मैं कुछ नहीं कर सकता।

---

†मूल अंग्रेजी में

आयात प्रतिबन्ध

†*१९. { **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्रीमती मैमूना सुल्तान :
श्री दाजी :
श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आयातों पर अधिक प्रतिबन्ध लगाने का विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का अन्तिम निर्णय क्या है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) तथा (ख). अक्तूबर १९६२—मार्च, १९६३ की छमाही में विदेशी मुद्रा की सारी राशि वाणिज्यिक आयात के लिये नियत कर देने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : अन्तिम निर्णय कब किया जाना है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जैसा कि सभा को विदित है गत अवधि में हमने वास्तव में १५ अगस्त के बाद आयात की अनुज्ञप्तियां जारी की थीं । हमें वर्तमान आयात की स्थिति और विदेशी मुद्रा बचाने की आवश्यकता तथा उन प्रयोजनों पर सावधानी से ध्यान देना है । अतः गहरी जांच करनी होगी और उसमें कुछ समय लगेगा ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

कढ़ाई किये गये कपड़े का निर्यात

†*२०. { **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री बसुमतारी :
श्री बाल्मीकी : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** ६ अगस्त, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे कढ़ाई किये गये कपड़े को विश्व बाजार में अधिक प्रतियोगी बनाने के लिये कोई उपाय सोचे गये हैं;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस समय ऐसे कपड़े का कितना निर्यात किया जाता है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). मूल सामग्री के रूप में कढ़ाई किये हुए सूती कपड़े के निर्यात के लिए प्रोत्साहन देने की योजना की हाल ही में घोषणा की गई है । इस योजना के अधीन निर्यातकर्ताओं को उनके

---

†मूल अंग्रेजी में

निर्यात के एफ ओ बी मूल्य के १५ प्रतिशत तक कृत्रिम रेशम/संश्लिष्ट कपास, कढ़ाई की मशीनें, तारकोल के रंग, गोंद और वस्त्रों सम्बन्धी रसायन आयात करने का अधिकार दिया जाता है और कुछ रुई सम्बन्धी सहायता दी जाती है। ये निर्यात प्रति वर्ष २ से २.५ लाख गज़ कपड़े के होते हैं।

रुई का भाव

†*२१. श्री स० ब० पाटिल :
श्री प्र० चं० बरुग्रा :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले मौसम में रुई के भाव सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक हो गये थे;

(ख) क्या भारतीय सूती मिल संघ ने अब सरकार से कहा है कि वह रुई के भावों को सीमा के अन्दर रखने के लिये पक्के उपाय करे; और

(ग) सरकार का इस सम्बन्ध में क्या उपाय करने का इरादा है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) वस्त्र आयुक्त को बाज़ार के ये समाचार मिले हैं कि गत अवधि में भारतीय कपास के मूल्य विदित सीमा से अधिक बढ़ गये थे।

(ख) इस सम्बन्ध में कुछ अभ्यावेदन मिले थे।

(ग) मिलों द्वारा कपास को खरीद पर अधिक सख्त नियंत्रण के हेतु नियुक्त की गई प्रादेशिक समितियों द्वारा जिनका अध्यक्ष वेतन प्राप्त सर्वेक्षक होता है, अनिवार्य सर्वेक्षण, मिलों को समय समय पर क्रमवार भारतीय कपास देने, सर्वेक्षण के हेतु नमूने लेने की जांच करने के लिए और मिलों द्वारा कपास के लेन देन, कभी कभी अधिग्रहण, और काफी मात्रा में विदेशी कपास के आयात की व्यवस्था, जैसे कुछ उपाय हैं जो सरकार ने मूल्यों को सीमाओं में रखने के लिये किये हैं।

नेपाल को माल का भेजा जाना

†*२२. श्री प्र० कु० घोष :
श्री यो० ना० सिंह :
श्री विभूति मिश्र :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री कौल्ला वेंकैया :
श्री विश्वनाथ राय :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री यशपाल सिंह :
श्री प्र० क० देव :
श्री त्रिदिव कुमार चौधरी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेपाल भेजा जाने वाला माल सितम्बर-अक्तूबर, १९६२ में

†मूल अंग्रेजी में

कलकत्ता या रक्सौल में बहुत अधिक देर तक पड़ा रहा; और

(ख) यदि हां, तो इस का कारण क्या है ?

†वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) तथा (ख). सितम्बर-अक्तूबर, १९६२ के दौरान कलकत्ता या रक्सौल में नेपाल को जाने वाला सामान नहीं रोका गया, किन्तु २८ सितम्बर को सशस्त्र नेपाली पुलिस कर्मचारियों के हाथों पांच भारतीयों को गोलियां लगने से उनके जख्मी हो जाने पर जो रक्सौल दुर्घटना हुई थी उस के बाद बीरगंज से यातायात अवरुद्ध हो जाने के कारण सामान के जाने में विलम्ब हो गया था ।

पुर्तगाल में भारतीय राष्ट्रीयता प्राप्त गोआनी

†*२३. श्री यशपाल सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुर्तगाल में कुछ गोआनी लोगों को भारतीय राष्ट्रीयता दी गई है;

(ख) यदि हां, तो किस अभिकरण के द्वारा राष्ट्रीयता का यह परिवर्तन किया गया था ?

†वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) तथा (ख). भारतीय नागरिकता अधिनियम, १९५५ के अन्तर्गत जारी किये गये आदेश के अनुसार गोआ के सब लोग सिवाय उनके जिन्होंने पुर्तगाली नागरिक रहने की इच्छा प्रकट की है, भारतीय नागरिक समझे जाते हैं । दो गोआ निवासी जो पुर्तगाल में रहते थे और पारपत्र चाहते थे उन्हें बता दिया गया था कि वे विदेश में किसी भी भारतीय राजदूतावास में पुर्तगाली पारपत्र लौटा कर भारत का पारपत्र प्राप्त कर सकते हैं ।

पाकिस्तानी समाचार पत्रों में भारत के विरुद्ध प्रचार

*२४. { श्री मोहन स्वरूप :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री उमानाथ :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री दाजी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान में निराधार और अतिरंजित समाचारों के प्रकाशन द्वारा भारत को बदनाम करने का योजनाबद्ध आंदोलन चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो यह कार्य दोनों देशों के बीच तय की गई सम्मिलित आचार संहिता के कहां तक अनुकूल है;

(ग) क्या पाकिस्तान सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) अप्रैल, १९६० में भारत-पाकिस्तान सूचना सलाहकार समिति की जो बैठक दिल्ली में हुई थी, उसमें दोनों सरकारों ने आपस में एक मिली-जुली प्रेस संहिता (कोड) तैयार की थी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पाकिस्तानी अख़बारों में जो लेख लिखे जाते हैं, वे इस संहिता ी व्यवस ाओं के बहुत कम अनुकल होते हैं ।

(ग) पाकिस्तान सरकार का ध्यान इस तथ्य ी ोर बराबर दिलाया जाता है ।

(घ) इसका कुछ खास नतीजा नहीं निकला है ।

रक्सोल में नेपाली नागरिकों द्वारा गोली चलाना

*२५. श्री योगेन्द्र झा :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री विभूति मिश्र :
श्री प्र० कु० घोष :
श्री कपूर सिंह :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :
श्री कोल्ला वेंकेटया :
श्री यशपाल सिंह :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :
श्री प्र० के० देव :
श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री का० ना० तिवारी :
श्री बालकृष्ण वासनिक :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २९ सितम्बर, १९६२ को पांच सशस्त्र-नेपालियों ने रक्सौल के एक जलपान-गृह में पांच व्यक्तियों को गोली चला कर घायल कर दिया था; ौर

(ख) क्या यह भी सच है कि घायल व्यक्तियों में भारतीय गुप्तचर विभाग के एक अधिकारी भी थे ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी हां । यह सच है कि नेपाली पुलिस के तीन कर्मचारी भारतीय इलाके में घुस आये थे । ये लोग रिवाल्वरों से लैस थे और इन्होंने २९ सितम्बर, १९६२ को रक्सौल में चाय की एक दुकान पर तीन आदमियों को घायल कर दिया था । वापस जाते हुए उन्होंने फिर गोली चलाई और दो और आदमियों को घायल कर दिया ।

(ख) इन घायल आदमियों में बिहार पुलिस का एक सब-इन्सपैक्टर और दो सिपाही थे । यह मालूम नहीं है कि इनमें से किसी का सम्बन्ध अपराधी जांच विभाग से था ।

चीनियों के प्रचार का प्रत्युत्तर

†*२६. श्री बूटा सिंह :
श्री हम बरुग्रा ।
श्री प्र० चं० बरुग्रा :
श्री प्र० के० देव :
श्री प्र० कु० घोष:
श्री गुलशन :
श्री बाल्मीकी :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत को बदनाम करने ग्रौर गलत रूप में पेश करने के लिये पीकिंग द्वारा किये जा रहे प्रचार का प्रत्युत्तर देने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**वैदशिक कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : सरकार ने भारत के विरुद्ध पीकिंग के प्रचार का भंडा फोड़ करने का पूरा प्रयास किया है। भारतीय ग्रौर विदेशी समाचारपत्रों को नियमितरूप में सीमा की घटनाग्रों के बारे में बताया जाता रहा है। जिन देशों में हमारे राजदूतावास हैं वहां की सरकारों ग्रौर वहां के लोगों के समक्ष सीमा की स्थिति के सब तथ्य रखे गये हैं। हमारे प्रदेश पर चीनियों के लगातार ग्राक्रमणों के बारे में कुछ प्रकाशन विदेश में विभिन्न भाषाग्रों में बांटे गये हैं। हमारे राजदूतावासों द्वारा निकाले जाने वाले नियमित समाचारों में पूरी जानकारी दी जाती है। पीकिंग के प्रचार का प्रत्युत्तर देने के लिए ग्राकाशवाणी के विदेशों के निमित्त कार्यक्रमों में वार्ताग्रों का प्रसारण होता रहा है। विदेशी समाचारपत्रों में हमारे पक्ष में बहुत सी टिप्पणियां ग्राती रही हैं जिससे पता लगता है कि भारत के विरुद्ध चीनी प्रचार से विदेश के लोग धोखे में नहीं ग्राये। बहुत से देशों से सरकार को सहानुभूति ग्रौर सहायता प्रदर्शन के बहुत से पत्र ग्राये हैं ग्रौर यह भी इस बात का प्रमाण हैं कि भारत को ग्राक्रमणकारी दिखाने में चीन का प्रचार ग्रसफल रहा है।

सूती कपड़ों का ग्रदन को निर्यात

†*२७. **श्री प्र० चं० बरुग्रा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्रदन को सूती कपड़ों के निर्यात में जापान भारत से ग्रागे बढ़ रहा है; ग्रौर

(ख) यदि हां, तो निर्यात व्यापार में इस कमी का क्या कारण है ग्रौर इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल ग्रंग्रेजी में

भारतीय फिल्मों का निर्यात

†*२८. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चलचित्र संबंधी निर्यात संवर्धन समिति ने भारतीय फिल्मों के निर्यात संबंधित समस्याओं पर ध्यान देने के लिये एक केन्द्रीय अभिकरण स्थापित करने की सिफारिश की है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी)** (क) तथा (ख). चलचित्रों की निर्यात संवर्धन समिति ने अपनी १७ सितम्बर १९६२ की सभा में यह सिफारिश की है कि चलचित्र उद्योग को चलचित्रों के निर्यात का व्यापार करने के लिय एक कन्द्रीय अभिकरण बनाने की योजना तैयार करनी चाहिय ताकि सरकार उस पर विचार करे ।

ग्रामीण उद्योग

†*२९. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री ब० कु० दास :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सु० चं० हंसदा :
डा० प० मंडल :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री भक्त दर्शन :
श्री गो० महन्ती :
श्री कोल्ला वेंकय्या :

क्या **योजना** मंत्री १४ अगस्त, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ३०४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चुनी हुई ग्रामण औद्योगिक परियोजनाओं के लिये अतिरिक्त राशि का निर्धारण करन के संबंध में योजना आयोग की ग्रामोण उद्योग योजना समिति की सिफारिश पर विचार कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उप-मंत्री तथा योजना उप-मंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन)**: (क) तथा (ख). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ठ १, अनुबन्ध सख्या २]**

हस्त शिल्प की वस्तुओं का विपणन

†*३०. **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री भक्त दर्शन :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हस्तशिल्प की वस्तुओं के विवरण के लिये कच्चे माल की स्थिति पर विचार करने के लिये गत सितम्बर में नई दिल्ली में कोई सम्मेलन बुलाया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन की क्या सिफारिशें थीं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३]

वस्तु विनिमय समझौते

†*३१. श्री कृ० चं० पन्त :
श्री मुरारका :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्ष में कुल कितने वस्तु विनिमय समझौते हुये है;

(ख) इन समझौतों के अधीन कितने मूल्य की तथा कौन सी वस्तुओं का निर्यात किया गया है; और

(ग) प्रत्येक वस्तु का मूल्य निश्चित करने का आधार क्या है?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) गत तीन वर्षों में कुल १०२ वस्तु विनिमय समझौते किये गये।

(ख) इन समझौतों के अधीन बहुत सी परम्परागत एवं परम्पराविहीन वस्तुएं जो ४९·७१ करोड़ रुपये के मूल्य की है, निर्यात की गई है।

(ग) मूल्य निश्चित करने का आधार सामान्यतः अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य या मूल्यों के अनुसार निर्धारित होता है। किसी विनिमय के समय विद्यमान परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न वस्तुओं के लिए वह आधार भिन्न भिन्न रहता है।

वस्तु विनिमय की वस्तुए संलग्न सूची में उल्लिखित है।

सूची

वस्तु विनिमय समझौते के अधीन आयात की मुख्य वस्तुयें

वस्तु विनिमय के समझौतों के अधीन आयात की मुख्य वस्तुएं निम्नलिखित अनुसार मुख्यतः औद्योगिक कच्चे माल से सम्बन्धित रखी गई है:

उर्वरक

औषधियां और औषध सम्बन्धी वस्तुएं

रंग और रंगों सम्बन्धी वस्तुएं

मशीनी औजार

औद्योगिक उपकरण

मुद्रण और स्वचालित करघों आदि सम्बन्धी मशीनें

लकड़ी का गूदा

अखबारी कागज

इस्पात

कृत्रिम रेशमी धागा

ट्रेक्टर

---

†मूल अंग्रेजी में

बड़े टायर

कच्चा रेशम

कागज

घर्रा

अलौह धातुएं

वस्त्रोद्योग का धागा

कच्ची कपास

निर्यात की मुख्य वस्तुएं है मेंगनीज़, अयस्क, फरोमेंगनीज, इस्पात का कचरा, करोम, बढ़िया लौह अयस्क आदि।

पाकिस्तान से फिल्मों का आयात

†*३२. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि पाकिस्तान द्वारा भारत की फिल्मों के आयात पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा देने पर भी यह देश पाकिस्तान से फिल्मों का अब भी आयात कर रहा है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : पाकिस्तान सरकार ने जनवरी, १९६२ में भारतीय या पाकिस्तानी भाषाओं के या भारतीय अथवा पाकिस्तानी जीवन चर्या दर्शाने वाले चलचित्रों के आयात पर रोक लगा दी थी। चूंकि यह जी० ए० टी० टी० के विरुद्ध था उक्त पाकिस्तान सरकार को एक विरोधपत्र भेजा गया था और हम उसका उत्तर पाने का प्रयत्न कर रहे हैं। हमने यह अनुभव किया था कि पाकिस्तान की कार्यवाही का उत्तर देना उचित नहीं। इसलिए यह निश्चय किया गया कि पाकिस्तान से चलचित्र आयात करना बंद न किया जाये।

पाकिस्तान तथा भारतीय सीमा पुलिस के बीच गोली चलना

†*३३. **श्री प्र० चं० बरुआ** :
श्री विभूति मिश्र :
श्री राम रतन गुप्त :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री यशपाल सिंह :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री भक्त दर्शन :
श्री लखमू भवानी :
श्री यो० ना० सिंह :
श्री प्र० कु० घोष :
श्री प्र० क० देव :
श्री कजरोलकर :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जलपाईगुड़ी जिल में दाईखाता भारत-पाक सीमा पर १७ सितम्बर,

†मूल अंग्रेजी में

१९६२ को पूर्व पाकिस्तानी राइफलमैनों तथा भारतीय सीमा पुलिस दल के बीच तेजी से गोलियां चली थीं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस दुर्घटना में कुछ व्यक्ति हताहत हुये थे; और

(ग) दुर्घटना किन परिस्थितियों में हुई थी?

†**वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** (क) से (ग). १७ सितम्बर, १९६२ को कुछ पाकिस्तानी राष्ट्रजनों ने पूर्वी पाकिस्तान राइफलमैन की सहायता से दायीखाता के निकट के भारतीय क्षेत्र में पटसन की फसल काटने का प्रयत्न किया था। भारतीय सीमा पुलिस ने इन लोगों को चेतावनी दी कि वे भारतीय क्षेत्र से निकल जायें किन्तु पूर्वी पाकिस्तान राइफलमैन ने इसका उत्तर अकस्मात गोली चला कर दिया। भारतीय सीमा पुलिस ने आत्म रक्षा के लिए गोली चलाई। हमारी ओर कोई हताहत नहीं हुआ।

गैर-योजना व्यय में वृद्धि

†*३४. **श्री विभूति मिश्र।**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री तर्नसिंह :
श्री प्र० के० देव :
श्री प्र० कु० घोष :

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र तथा राज्यों में गैर-योजना व्यय में वृद्धि हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो १९६१-६२ में १९६०-६१ से केन्द्र तथा राज्यवार कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है ; और

(ग) इस वृद्धि को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चं० रा० पट्टाभिरम) :** (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

१९६०-६१ में केन्द्र और राज्यों का योजना से भिन्न कुल खर्च लगभग १५३० करोड़ रुपये था। १९६१-६२ के लिये पुनरीक्षित प्राक्कलनों के अनुसार योजना से भिन्न कुल खर्च लगभग १९०० करोड़ रुपया था। किन्तु इन दो आंकड़ों की तुलना नहीं की जा सकती। पहले तो १९६२-६३ के प्राक्कलन में दूसरी योजना की ऐसी योजनाओं का लगभग १४० करोड़ रुपये का निश्चित खर्च शामिल हैं जो १९६०-६१ के अन्त में पूरी हो चुकी थी। दूसरे शब्दों में १४० करोड़ रुपये का जो खर्च १९६०-६१ में योजनागत खर्च दिखाया गया था वह १९६१-६२ में योजना से भिन्न दिखा दिया गया है। दूसरे जहां १९६०-६१ के आंकड़े वास्तविक खर्च के रूप में दिखाये गये, १९६१-६२ के आंकड़ पुनरीक्षित प्राक्कलनों से सम्बन्धित हैं जो सामान्यतः अन्तिम लेखों की तुलना में अधिक

†मूल अंग्रेजी में

व्यय दर्शाते हैं । यदि इन दोनों बातों को दिखाया जाये तो १९६१-६२ का योजना से भिन्न खर्च तुलनात्मक आधार पर लगभग १६६० करोड़ रुपये होगा जिस से १९६०-६१ के आंकड़े की तुलना में लगभग ८ करोड़ रुपये की वृद्धि लक्षित होती है ।

इस समय जबकि १९६१-६२ के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं प्रत्येक राज्य पर या केन्द्र और राज्यों के लिये अलग अलग योजना से भिन्न खर्च की प्रतिशत वृद्धि के तुलनात्मक निश्चित आंकड़े बताना संभव नहीं । किन्तु मोटे आधार पर यह प्रतीत होता है कि सभी राज्यों में योजना से भिन्न खर्च में कुल मिला कर (तुलनात्मक आधार पर) केवल सीमांतिक वृद्धि हुई है । वृद्धि का बड़ा भाग केन्द्र से सम्बन्धित था जोकि प्रतिरक्षा, ऋण सेवाओं और कम आय वाले कर्मचारियों के वेतन आदि में अनिवार्य वृद्धि के कारण है ।

योजना से भिन्न खर्च दो मोटे शीर्षकों अर्थात् (१) विकास कार्यों से भिन्न और (२) विकास सम्बन्धी शीर्षकों के अन्तर्गत रखा जा सकता है । विकास कार्यों से भिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत प्रतिरक्षा, ऋण सेवाएं, प्रशासन, न्याय, जेलें आदि आती हैं । ऋण सेवाओं पर व्यय सीधा विकास संबधी व्यय से सम्बन्धित है । विकास कार्यों से भिन्न अन्य मदों के अधीन व्यय सुरक्षा विधि तथा व्यवस्था आदि बातों को दृष्टिगत रखते हुए निर्धारित किया जाता है । जहां तक विकास कार्यों के अन्तर्गत योजना से भिन्न व्यय का सम्बन्ध है यह दूसरी योजना के अन्त तक उपलब्ध विकास सेवाओं के स्तर के सधारण के लिए है अतः योजना के व्यय की तरह ही अत्यावश्यक है । योजना से भिन्न खर्च की जांच, चाहे विकास कार्यों से सम्बन्धित हो या उन से भिन्न, प्रतिवर्ष, योजना आयोग द्वारा संघ को वित्त मंत्रालय और राज्य वित्त तथा योजना विभागों के सहयोग से इस विचार से की जाती है कि कम से कम और केवल आवश्यक खर्च किया जाये ।

पाकिस्तानी राष्ट्रजनों की भारत यात्रा और भारतीय राष्ट्रजनों की पाकिस्तान यात्रा

†१. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में अब तक कितने पाकिस्तानी राष्ट्रजन भारत आये हैं ; और

(ख) उसी अवधि में कितने भारतीय राष्ट्रजन पाकिस्तान गाये ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य, प्रतिरक्षा और अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू)** : (क) जनवरी से सितम्बर, १९६२ तक की अवधि में कुल २,७३,५५४ पाकिस्तानी राष्ट्रजन भारत आये ।

(ख) उसी अवधि में १,५६,४४७ भारतीय राष्ट्रजन पाकिस्तान गए ।

नोट :—इन आंकड़ों में १५ से ३० सितम्बर, १९६२ तक की अवधि के लिए गुजरात और आसाम राज्यों से प्राप्त परिवहन विवरण नहीं हैं ।

तृतीय योजना में राज्यों की सहायता

†२. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तृतीय पंचवर्षीय योजना में विभिन्न राज्यों के वित्तीय सहायता देने के प्रश्न पर अन्तिम निर्णय हो चुका है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो पंजाब को क्या सहायता दी गई है ; और

(ग) पंजाब की असली मांग क्या थी ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) :** (क) तृतीय योजना के लिए कुल उद्व्यय, प्रत्येक राज्य द्वारा एकत्रित किये जाने वाले संसाधन और केन्द्रीय सहायता की राशि पर मोटे रूप से समझौता हो गया है ।

(ख) वार्षिक योजना १९६१-६२ और १९६२-६३ के लिये निर्धारित केन्द्रीय सहायता १९ करोड़ और २२.२ करोड़ है ।

(ग) कई तत्सम्बन्धी बातों पर जोकि प्रत्येक राज्य में एक दूसरे से भिन्न होती है विचार करने के बाद राज्य योजनाओं के लिये केन्द्रीय सहायता निर्धारित की जाती है ।

पंजाब में गन्दी बस्तियो का हटाया जाना

†३. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०-६१ और १९६१-६२ में राज्य में गन्दी बस्तियों को हटाये जाने के लिये केन्द्र द्वारा पंजाब को कुल कितनी वित्तीय सहायता दी गई ;

(ख) क्या मंजूर की गई राशि का पूर्ण रूप से प्रयोग किया गया है ; और

(ग) तृतीय पंचवर्षीय योजना में गन्दी बस्तियों के हटाये जाने के लिये कितनी राशि निर्धारित की गई है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) :** (क) और (ख) अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ठ, १, अनुबन्ध संख्या ४]**

(ग) तृतीय योजना में पंजाब राज्य में गन्दी बस्तियों को हटाने की योजना के लिये ५० लाख रुपये निर्धारित किये गये हैं । इस में से ३७.५० लाख रुपये केन्द्रीय सहायता होगी और इतने लाख रुपये पंजाब सरकार अपने अन्य संसाधनों से खर्च करेगी ।

कार्यक्षमता और कल्याण संहिता

†४. **श्री० दी० चं० शर्मा :** क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि कार्यक्षमता और कल्याण संहिता के प्रारूप पर चर्चा करने के लिये नियुक्त की गई त्रिदलीय समिति ने क्या प्रगति की है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी) :** कार्यक्षमता और कल्याण संहिता के प्रारूप पर चर्चा करने के लिये नियुक्त की गई त्रिदलीय समिति की बैठक अभी होनी है ।

पक्षियों और पशुओं का निर्यात

†५. **श्री प्र० के० देव :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८-५९, १९५९-६० और १९६०-६१ में देश ने **वन्य प्राणियों के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा** कमाई है ;

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) किन किस्मों के पक्षियों और पशुओं का निर्यात किया जाता है और किन देशों को निर्यात किया जाता है और पिछले तीन वर्षों (वर्षानुसार) में निर्यात किये गये पशुओं और पक्षियों की क्या संख्या है ;

(ग) प्रत्येक वर्ष प्रत्येक किस्म के प्राणियों द्वारा कितनी विदेशी मुद्रा कमाई जाती है ; और

(घ) किस काम के लिये उन का निर्यात किया जाता है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) से (ग). १९५८-५९, १९५९-६० और १९६०-६१ में वन्य प्राणियों के देशानुसार निर्यात दिखाने वाला एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५]**

सरकारी आंकड़ों में निर्यात किये गये पक्षियों की किस्मों के बारे में ब्योरा नहीं दिया जाता है ।

(घ) विदेशी मुद्रा कमाने के लिये उन का निर्यात किया जाता है । जो देश उन का आयात करते हैं वे उन के विभिन्न प्रयोग करते हैं जैसा कि चिड़ियाघरों में उन पशुओं का दिखाना और वैज्ञानिक और औषधि सम्बन्धी अनुसंधान के लिये प्रयोग में लाना ।

पांडिचेरी में नशीली दवाइयों का उत्पादन

६. **श्री माते :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि किसी प्राइवेट फर्म ने पांडिचेरी में नशीली दवाइयां बनाने के बारे में सरकार को सुझाव दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या निश्चय किया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

नमक उद्योग

†७. **श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय नमक का वार्षिक उत्पादन क्या है और नमक की कुल आवश्यकता कितनी है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो):** १९६१ में नमक का उत्पादन ३४.८ लाख टन था । १९६२ में अगस्त के अन्त तक उत्पादन ३४.६ लाख टन हुआ है। १९६२-६३ में खाने के लिये, उद्योग के कामों के लिये और निर्यात के लिये लगभग ३१ लाख टन नमक की कुल आवश्यकता है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

निर्बाध व्यापार क्षेत्र

†८. { **श्री मे० क० कुमारन :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री ब० कु० दास : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री तारांकित प्रश्न संख्या १६२ के उत्तर के सबन्ध में यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या सरकार ने देश में निर्बाध व्यापार क्षेत्र बनाने के बारे में कोई निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनूभाई शाह)** : (क) और (ख). इस मामले में सरकार न कोई निर्णय नहीं किया है।

आकाशवाणी के त्रिवेंद्रम केन्द्र पर ट्रांसमिटर

†९. **श्री मे० क० कुमारन** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आकाशवाणी के त्रिवेन्द्रम स्टेशन पर एक २० किलोवाट ट्रांसमिटर स्थापित करने की प्रस्थापना किस स्थिति पर है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ)**: वर्तमान संकटकालीन स्थिति के कारण इस काम को फिलहाल स्थगित कर दिया है।

त्रिपुरा प्रशासन का उद्योग विभाग

†१०. **श्री बीरेन्द दत्त** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा प्रशासन का उद्योग विभाग स्थायी विभाग है;

(ख) उस में कितने व्यक्ति काम करते हैं ; और

(ग) क्या वे सब अस्थायी कर्मचारी हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रखी जायेगी।

उड़ीसा के अभावग्रस्त क्षेत्र

†११. **श्री मलिक** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभावग्रस्त क्षेत्रों में विकास के कामों के लिये उड़ीसा सरकार ने केन्द्रीय सरकार से विशेष निधियां मांगी हैं।

(ख) यदि हां, तो हम ने कितनी राशि मांगी है और केन्द्रीय सरकार ने कितनी राशि दे दी है या देन का विचार रखती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन):

(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उद्योगों में सरकारी क्षेत्र का अंश

†१२. डा० रानेन सेन : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६०-६१ की निम्नलिखित उद्योगों के प्रत्येक के उत्पादन की सकल कीमत में सरकारी क्षत्र का क्या अंश है :—

(१) रसायन
(२) उर्वरक
(३) औद्योगिक यन्त्र
(४) सामान्य इंजीनियरी
(५) बिजली इंजीनियरी
(६) अलुमिनीयम
(७) जहाज बनाना

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो): वर्ष १९६० और १९६१ के लिये उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण अभी हो रहे हैं। अतः अपेक्षित जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है।

बिना रोजगार के पंजीबद्ध व्यक्ति

†१३. श्री अ० व० राघवन : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में विभिन्न काम दिलाऊ दफ्तरों में पहली नवम्बर, १९६२ को चालू रजिस्टर में बिना रोजगार के कितने मैट्रिक पास, कितने हायर सैकन्डरी पास और कितने स्नातक थे उन में से कितने पुरुष हैं और कितनी महिलायें ; और

(ख) १९५८ से ले कर प्रति वर्ष कितने उम्मीदवारों को नौकरी मिली है ?

†श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी) : (क) हर तीन महीनों के बाद जानकारी एकत्र की जाती है। इसलिये १ नवम्बर, १९६२ के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। ३० सितम्बर, १९६२ की जानकारी दनीचे दी गई है :—

श्रेणी	३० सितम्बर, १९६२ को चालू रजिस्टर में संख्या	
	पुरुष	महिलायें
१	२	३
मैट्रिक पास	५७,२१३	२४,५४२
इन्टरमीडिएट*	१,२७५	४०५
स्नातक	२,८७७	१,२६९
कुल	६१,३६५	२६,२१६

†मूल अंग्रेजी में

*हायर सैकेन्ड्री पास उम्मीदवारों के बारे में अलग जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ख)

वर्ष	रोजगार दिये गये व्यक्तियों की संख्या					
	मैट्रिक		इन्टरमीडिएैट*		स्नातक	
	पुरुष	महिलायें	पुरुष	महिलायें	पुरुष	महिलायें
१	२	३	४	५	६	७
१९५८	२,८०६	९४१	१६४	५१	४७९	२३७
१९५९	२,७५३	१,४४८	१२८	३०	४०७	१४७
१९६०	३,२४३	१,३७३	९९	२६	७१९	२३३
१९६१ .	४,५९८	१,९६७	१४४	६१	१,०९५	५१४
(जनवरी-सितम्बर)						
१९६२ .	५,११०	२,०८५	१३५	२६	६७४	३९९

हायर सेकेन्डरी पास उम्मीदवारों के बारे में अलग जानकारी उपलब्ध नहीं है।

बंगलौर में शराब बनाने का कारखाना

†१४. { **श्री प० कुन्हन :**
श्री अ० क० गोपालन :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर में शराब बनाने के लिये कारखाना स्थापित करने के लिये सरकार ने लाइसें जारी किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो किस को दिये गये हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

शैलक्रीट मकान निर्माण योजना

†१५. { **श्री प० कुन्हन :**
श्री अ० क० गोपालन :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने "शैलक्रीट" मकान निर्माण योजना को मंजूर कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उस का क्या ब्यौरा है ?

†**निर्माण, आवस और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) नहीं, इस पर अभी तजुरबा ही किया जा रहा है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

---

†मूल अंग्रेजी में

टिटेनियम प्रोडक्ट्स लिमिटेड, त्रिवन्द्रम

†१६. { श्री ईश्वर रेड्डी :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री प० कुन्हन :
श्री नम्बियार :
श्री वाटियार :
श्री प्र० के० देव :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को टिटेनियम कर्मचारी संघ, त्रिवेन्द्रम में टिटेनियम प्रोडक्ट्स लिमिटेड को सरकारी से गैर-सरकारी क्षेत्र में लाने के लिये कोई प्रस्तावना के बारे में ज्ञापन मिला है;

(ख) यदि हां, तो सरकारी से गैर-सरकारी क्षेत्र को ले जाने के विरुद्ध संघ ने क्या महत्वपूर्ण तर्क दिये हैं ; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने ज्ञापन का उत्तर दे दिया है और यदि हां, तो क्या उत्तर है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी हां।

(ख) कर्मचमरी संघ ने मुख्यत: यह बात कही कि त्रावनकोर टिटेनियम प्रोडक्ट्स, लिमिटेड जो कि सरकारी उपक्रम है, को गैर-सरकारी निकाय को देना सरकार की बुनियादी नीति के विरुद्ध होगा।

(ग) जी, नहीं। केरल सरकार से यह पता चला था कि उन्होंने कारखाने को गैर-सरकारी क्षेत्र को देने के बारे में कोई निर्णय नहीं किया था।

चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये पंखे

†१७. { श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री ७ सितम्बर, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या २५२४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चतुर्थ श्रेणी के उन सरकारी कर्मचारियों को जिन के पास बिना पंखे के क्वार्टर हैं पंखे खरीदने के लिये पेशगी देने के बारे में निर्णय किया गया है ;

(ख) क्या इस योजना के अन्तर्गत पंखों के लिये दी जाने वाली पेशगी अगले गर्मियों के मौसम से पहले चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को दे दी जायेगी; और

(ग) क्या यह सहूलियत अन्य कर्मचारियों की तरह उन्हें दिये गये निवास स्थान का अंग समझी जायेंगी ?

†**निर्माण, आवस और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) से (ग). मामला अभी भी विचाराधीन है। आशा है कि अगले गर्मियों के मौसम से पहले ही निर्णय किया जायेगा।

†मूल अंग्रेजी में

सरकारी कर्मचारियों के लिये मकानों का आवंटन

†१८. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या निर्माण, आवास और संभरण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में श्रेणी १ और श्रेणी २ की ऐसे सरकारी कर्मचारियों की प्रतिशतता क्या है, जिन्हें अपने अपने कार्यालयों से ३ मील की दूरी के अन्दर सरकारी क्वार्टर दिये गये हैं ; और

(ख) इस प्रकार के श्रेणी ३ और श्रेणी ४ के कर्मचारियों की संख्या क्या है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)**: (क) और (ख) . जहां तक श्रेणी १, २ और ३ के पदाधिकारियों का सम्बन्ध है, मकानों का आवंटन श्रेणी-वार नहीं, बल्कि वेतन के आधार पर किया जाता है। केन्द्रीय सरकार के कार्यालय दिल्ली/नई दिल्ली में बिखरे हुए हैं। श्रेणी १, २ और ३ के लिये मकानों की संख्या लगभग २२,००० है। श्रेणी ४ के लिये ८४०० हैं। ये मकान श्रेणी ३, ४ के कर्मचारियों के कार्यालय, दिल्ली/नई दिल्ली में बिखरे हुए हैं। इसलिये उन पदाधिकारियों के व्यौरे का पता लगाने के लिये, जिन के कार्यालय तीन मील या उससे अधिक दूरी पर हैं, उन ३०,००० कर्मचारियों के बारे में जिन्हें दिल्ली।नई दिल्ली में सरकारी मकान दिये गये हैं, एक विस्तृत जांच करनी होगी। इस जानकारी को इकट्ठा करने में जो समय और श्रम लगेगा, उससे उतना लाभ नहीं होगा।

संसद् सदस्यों के लिये फ्लैट

१९. { श्री भक्त दर्शन :
श्री भागवत झा आजाद :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मन्त्री ६ अगस्त, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ५३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि नौर्थ एवेन्यू नई दिल्ली में संसद् सदस्यों के लिये नये फ्लैट बनाने के कार्य में इस बीच और क्या प्रगति हुई है ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : नौर्थ एवेन्यू में उस स्थान को सैन्य परिवहन कम्पनी (आर्मी ट्रांसपोर्ट कम्पनी) ने खाली कर दिया है और इस समय विद्यमान बैरकों को गिराने का काम चालू है। आशा है कि इन फ्लैटों के निर्माण का कार्य अगले महीने शुरू हो जायेगा।

भूटान में डाक व्यवस्था

२०. श्री भक्त दर्शन : क्या **प्रधान मंत्री** २७ अगस्त, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ६३६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भूटान में डाक व्यवस्था का विकास करने में इस बीच और क्या प्रगति हुई है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य, प्रतिरक्षा तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): २७ अगस्त, १९६२ को तारांकित प्रश्न संख्या ६३६ का उत्तर दिये जाने के बाद, भारत और भूटान के डाक विभागों के बीच पत्रों का आदान-प्रदान करने के बारे में एक करार पर ११ सितम्बर १९६२ को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किये गये। १० अक्तूबर, १९६२ को भूटान के डाक विभाग का सरकारी तौर पर उद्घाटन किया गया।

---

†मूल अंग्रेजी में

टाट के बोरों का निर्यात

†२१. { **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में पालीथीन युक्त टाट के बोरों का वार्षिक उत्पादन क्या है ;

(ख) क्या अमेरिका, आस्ट्रेलिया, मिश्र, लंका आदि में उनके लिये अच्छी मण्डी है;

(ग) यदि हां, तो क्या हमारा निर्यात सम्भरण विदेशी मांग से कम है;

(घ) इस समय कितनी फर्में ऐसे बोरे बना रही हैं ; और

(ङ) क्या भारत में और फर्म बनाने का विचार है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) वास्तविक उत्पादन आंकड़े तुरन्त उपलब्ध नहीं हैं। उत्पादन क्षमता लगभग १६६० लाख बोरे हैं।

(ख) जी हां।

(ग) जी नहीं।उत्पादन क्षमता बहुत है।

(घ) नौ अभिज्ञात फर्में।

(ङ) दो और फर्मों के मामले विचाराधीन हैं।

माल का आयात

†२२. { **डा० पू० ना० खां :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २० अगस्त, १९६२ को योजना आयोग के साथ अपनी बैठक में भारतीय व्यापार मण्डल संघ ने शिकायत की थी कि कुछ वस्तुएं जो बाहर से आयात की जाती हैं, देश में बनायी जा सकती हैं और इस प्रकार बहुत सी विदेशी मुद्रा बचाई जा सकती है ;

(ख) यदि हां, तो वे वस्तुएं कौन सी हैं ; और

(ग) इस विषय में योजना आयोग का विचार क्या है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उप मंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे०रा० पट्टाभि रामन)**: (क) और (ख). इस बैठक में संघ ने सुझाव दिये थे कि देशी क्षमता को बढ़ा कर आयात कम किये जायें। संघ ने इन वस्तुओं की देश में बनाये जाने के लिये सुझाव दिये थे फालतू पुर्जे, औद्योगिक डीज़ल इंजन, कन्वेयिंग, हायस्टिंग, खोदने और सड़क बनाने का सामान तैयार रंग रौगन इत्यादि।

(ग) योजना आयोग सहमत था कि उन वस्तुओं के उत्पादन को प्राथमिकता दी जाये, जो मितव्ययता से बनाई जा सकें। आयात स्नापन्न सम्बन्धी प्रविधिक तालिका स्थापित की गई है, ताकि सम्बन्धित उद्योगों के सहयोग से विस्तृत प्रस्ताव बनाये जायें।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

विदेश कार्यालय के लिये इमारत

†२३. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मन्त्री २२ अगस्त, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या १४४३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या विदेश मन्त्रालय के लिये एक इमारत बनाने के प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ख) तो क्या प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है और निर्माण कार्यक्रम क्या हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहरचन्द्र खन्ना)** : (क) और (ख). अब यह निर्णय किया गया है कि विदेश कार्यालय के लिये कोई अलग इमारत न बनाई जाये। जब कार्यालयों की नई इमारतें बनाई जायेंगी और उनमें मन्त्रालयों को स्थान दिया जायेगा, तो नार्थ और साउथ ब्लाक में वैदेशिक कार्य, प्रतिरक्षा, गृह-कार्य और वित्त मन्त्रालय को स्थान दिया जायेगा।

फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा अस्वीकृत फिल्में

†२४. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१–६२ में फिल्म सेंसर बोर्ड ने कितनी फिल्में अस्वीकार की हैं;

(ख) कितनी फिल्मों में बड़े परिवर्तन किये गये हैं ; और

(ग) कितनी फिल्मों में छोटे परिवर्तन किये गये हैं ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ)** : (क) भारतीय फिल्में ३
विदेशी फिल्में ६५ ।
(३६ फीचर)
(२७ ट्रेलर)
(२ शार्ट)

(ख) और (ग). केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड जनता को दिखाई जाने वाली उन फिल्मों के सम्बन्ध में जिनमें बड़े या छोटे परिवर्तन किये गये हों, कोई आंकड़े नहीं रखता। इस लिये खेद है यह जानकारी उपलब्ध नहीं है।

पंजाब में कुटीर उद्योग

†२५. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देने और शत प्रतिशत रोजगार उपलब्ध करने के लिये पंजाब सरकार द्वारा शुरू किये गये दो करोड़ रुपये की अग्रिम योजनाओं में योजना आयोग का अंश क्या है ?

†**योजना तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नन्दा)** योजना आयोग को पंजाव सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ। तथापि योजना आयोग ने सारे भारत में ४६ चुने हुए क्षेत्रों में ग्रामीण उद्योगों के सघन विकास की योजना के अंश के रूप में पंजाब राज्य के लिये दो ग्रामीण उद्योग परियोजनाएं आवंटित की हैं। राज्य सरकार ने इन को मालेर कोटला और पालमपुर पर स्थापित करने का प्रस्ताव किया है इन क्षेत्रों के लिये राज्य की और केन्द्रीय योजनाओं में उपलब्ध धन, और अन्य संस्थात्मक अभिकरणों से उपलब्ध धन के अतिरिक्त, ग्रामीण उद्योगों के सघन विकास के हेतु एक विशिष्ट उपबन्ध किया जा सकता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

कानपुर में कपड़े का स्टाक जमा होना

२६. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्हें विदित है कि लगभग १६ करोड़ रुपये के मूल्य का कपड़ा कानपुर के कपड़ा मार्केट (फुटकर) में जमा हो गया है जिसके कारण कपड़े के व्यापारियों और उद्योगपतियों में काफी चिन्ता बढ़ रही है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : जी, नहीं। कानपुर जिले में कपड़े के फुटकर व्यापारियों के पास कपड़े का सामान्य स्टाक बताया जाता है।

दण्डकारण्य में सरकारी फार्म

†२७. { **श्रीमती सावित्री निगम** :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **निर्माण आवास औरसंभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **१९६१-६२ में** दंडकारणय योजना में विस्थापित व्यक्तियों के लिए कितने सहकारी फार्म शुरू किये गये है ?

†**निर्माण, आवस और संभरण मंत्री (श्री मेहरचंद्र खन्ना)** : शून्य।

कपड़े का आयात

†२८. { **श्री उमानाथ** :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्रीमती रेणुका राय :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दर्मियाने और मोटे कपड़े के निर्यात सम्बन्धी स्थिति में सुधार हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो किस हद तक ;

(ग) १९६१ के निर्यात आंकड़े १९६० के आंकड़ों की तुलना में कैसे है ; और

(घ) निर्यात और बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : कई कारणों से, जिन में से प्रमुख ये है कि आयात करने वाले देशों में सूती कपड़ा उद्योग का निरन्तर विस्तार किया जाता है, और सूती कपड़ा पैदा करने वाले प्रमुख देशों के साथ हमारे निर्यातों की प्रतिस्पर्द्धा है, यह अच्छी तरह मालूम है कि हमारा मिल के बने हुए सूती कपड़े का निर्यात कई वर्षों से प्रतिवर्ष कम होता जा रहा है।

१९६० में मिल के बने हुए सूती कपड़े का निर्यात ६९४.८३० लाख गज़ था जब कि १९६१ में यह ५०४.३ लाख गज़ हो गया था। मोट और दर्मियानी कपड़े के अलग अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं है किन्तु ९० प्रतिशत निर्यात इन्हीं श्रेणियों का है।

चालू वर्ष की पहली तिमाही में सूती कपड़ का निर्यात २७ करोड़ रुपये कम हो गया था और दूसरी तिमाही में यह ३.१ करोड़ रुपये कम होगया था। तथापि सूती कपड़ा उद्योग के सहकारी प्रयत्न से इस के निर्यात में कमी को रोक दिया गया है और वर्ष की तीसरी तिमाही में यह बढ़ा है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

जुलाई–सितम्बर, १९६२ में सूती कपड़े का निर्यात १२४७.८ लाख गज़ तक, जिसका मूल्य १०.१ करोड़ था बढ़ा और १९६१ की तीसरी तिमाही में यह ११९० लाख गज़ जिसका मूल्य ९.८ करोड़ रुपये था।

इस बात को ध्यान में रखने के लिए कि निर्यातक दीर्घकालीन आधार पर कर सकें ; यह घोषणा की गई है कि सूती कपड़ा निर्यात संवर्धक योजनायें वर्तमान रूप में चालू रहेंगी। इन में आवश्यकतानुसार सुधार भी कर दिया गया है। प्रोत्साहन मांगने की प्रक्रियाएं सरल बना दी गई है। उत्पादन बढ़ाने के लिए, इस शर्त पर कि ७५ प्रतिशत उत्पादन निर्यात किया जायेगा, तीसरी योजना की अवधि में कपड़ा मिलों को २५,००० स्वचालित कर्घों के लिए लाइसेंस दिया जायेगा।

गन्दी बस्तियां हटाने की योजना

†२९. { **श्री उमानाथ :**
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री राम रतन गुप्त :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री यश पाल सिंह :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री भक्त दर्शन :
श्री दाजी : }

क्या **निर्माण आवास और सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गन्दी बस्तियां साफ करने की योजना में कम प्रगति की चर्चा करने के लिए बड़े बड़े शहरों के मेयरों का एक सम्मेलन दिल्ली में हुआ था ; और

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या निर्णय किया गया था ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : (क) और (ख). जी हां, इस बैठक में जो मेयरों को राज्यों के आवास मंत्रियों से मिलाने के लिए की गई थी अन्य बातों के अलावा यह सिफारिश की गई थी कि राज्य सरकारों को ये पग उठाने चाहियें :

(१) गन्दी बस्तियों को साफ़ करने के काम को उच्च प्राथमिकता दी जाये ;

(२) ऐसे विधान जल्दी बनाये जायें, जिन से गन्दी बस्तियों वाले क्षेत्र को अर्जित किया जा सके ;

(३) योजना के अन्तर्गत बनाई गई नई आवास बस्तियों में बुनियादी सुविधाओं की योजना के अन्तर्गत आवंटनों के एक भाग का उपयोग किया जाये ; और

(४) पटरियों पर रहने वालों के लिए रेन-बसेरे बनाने के लिए कार्यक्रम बनाया जायें।

इन सिफारिशों को सामान्य रूप से स्वीकार कर लिया गया था।

---

†मूल अंग्रेजी में

बिजली के डिटोनेटर

†३०. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री ब० कु० दास :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयला खान में प्रयोग के लिए बिजली के डिटोनेटरों की कमी है; और

(ख) यदि हां, तो किस हद तक?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री काननगो)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

लद्दाख भेजा गया संवाददाताओं का दल

†३१. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री राम रतन गुप्त :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर, १९६२ में एक प्रेस दल को लद्दाख भेजा गया था; और

(ख) उन में से कितने विदेशी थे।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य, प्रतिरक्षा तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) जी हां। दस संवाददाताओं के एक दल को १५ सितम्बर को श्रीनगर से लेह और वापस ले जाया गया था।

संधारण आयात

†३२. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री विभूति मिश्र :
श्री श्याम लाल सर्राफ :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री बसुमतारी :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री यशपाल सिंह :
श्री महेश्वर नायक :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उस विशेषज्ञ दल ने जो कि संधारण आयातों को बन्द करने की प्रविधिक और अन्य समान्यताओं के क्षेत्र की जांच करने के लिए स्थापित किया गया था, कोई सिफ़ारिश की है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो वे क्या हैं; और

(ग) उन को क्रियान्वित करने के लिए क्या पग उठाये गये हैं या उठाने का विचार है?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन)** : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

पत्रकारिता संस्था

३३. { **श्री भक्त दर्शन :**
श्री भागवत झा आजाद :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री १८ अगस्त, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ४३३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पत्रकारिता संस्था स्थापित करने के जिस सुझाव पर विचार किया जा रहा था, उसके बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) उसके कब तक स्थापित कर दिये जाने की आशा की जाती है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शामनाथ) : (क) और (ख). प्रस्ताव अभी विचाराधीन है ।

शरणार्थी बस्तियों से किराये की वसूली

†३४. { **श्री राजेश्वर पटेल :**
श्री रा० शि० पांडेय :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगस्त १९६१ तक भारत भर की शरणार्थियों की बस्तियों में वसूल किये जाने वाले किराये की कुल राशि कितनी है; और

(ख) इसकी वसूली के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : (क) जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) बकाया किराया वसूल करने के लिए अपेक्षित कार्यवाही की जा रही है ।

पिम्परी में स्ट्रेप्टोमाइसीन का संयन्त्र

†३५. { **श्री राजेश्वर पटेल :**
श्री मरारका :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिप्परी में लगाये जा रहे स्ट्रैपटोमाइसीन संयंत्र की लागत का मूल प्राक्कलन क्या था;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या संयंत्र की लागत में कुछ वृद्धि हो गई है ; और

(ग) यदि हां, तो कितनी और इस के क्या कारण हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)**: (क) शुरू में ोटे तौर पर प्राक्कलन १,७०,१०,००० रुपये था ।

(ख) जी हां, पुनरीक्षित प्राक्कलन २,१०,३०,००० रुपये हो गया है ।

(ग) पुनरीक्षित प्राक्कलन मोटे तौर पर मूल रूप से लगाये गये अनुमान से ४०,२०,००० रुपये अधिक है । इस के निम्नलिखित कारण हैं :

(१) स्ट्रैपटोमाइसीन तथा हाईड्रो स्ट्रैपटोमाइसीन का उत्पादन अनुपात, मूल अनुपात २० : ८० से बदल कर क्रमशः ५० : ५० कर दिया गया था ताकि यह इन दो प्रकार की औषधियों की मांग के अनुमान के अनुरूप हो जाय । इसी कारण अतिरिक्त व्यवस्था करने की आवश्यकता हुई ।

(२) अभी हाल ही में जो कुछ तकनीकी विकास हुआ है उसे भी अतिरिक्त व्यवस्था करते हुए ध्यान में रखना है ताकि उत्पादन की जाने वाली स्ट्रैपटोमाइसीन की कोटि में सुधार किया जा सके ।

(३) पुनरीक्षित अनुमान संसार भर से आये मूल्य कथनों के आधार पर बनाया गया था और सामान का अन्तिम ठेका दिया गया था ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना का पुनरीक्षण

†३६. **श्री मुरारका** : क्या **योजना** मंत्री १४ अगस्त १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ६८६ के उत्तर के उल्लेख से यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दूसरी पंचवर्षीय योजना की समीक्षा सभा पटल पर रखने का निश्चय किया है ;

(ख) यदि हां, तो कब ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन)**: (क) जी हां ।

(ख) पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है और प्रयत्न किया जा रहा है कि यह कार्य वर्ष के अन्त तक समाप्त हो जाय ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

सुन्दर चर्खा केन्द्र

†३७. **श्री गो० महन्ती** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा स्थापित किये गये सुन्दर चर्खा केन्द्रों की संख्या क्या है ;

(ख) प्रत्येक केन्द्र में कताई करने वालों की संख्या क्या है ; और

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ग) अक्तूबर १९६२ में प्रति कताई करने वाले की औसतन कताई कितनी रही ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) १४ ।

(ख) ५ ।

(ग) २२७ अट्टियां ।

पश्चिमी बंगाल की ग्रामीण अर्थ व्यवस्था

†३८. **श्री मुहम्मद इलियास** : क्या **योजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें सितम्बर १९६२ में पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री की ओर से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था, जिस में पश्चिमी बंगाल की ग्रामीण अर्थ व्यवस्था की गम्भीर स्थिति का विवरण तथा राज्य की आर्थिक समस्याओं के अन्य अंगों पर प्रकाश डाला गया था ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने केन्द्र से सहायता की मांग की है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन)** : (क) और (ख) पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री ने १२ सितम्बर को केन्द्रीय योजना मंत्री को एक पत्र लिख कर ग्रामीण कार्यक्रम को बड़े पैमाने पर बढ़ाने का सुझाव दिया था, ताकि कृषि श्रमिकों के लिये, अपने गुजारे के लिये ही उत्पादन करने वाले उत्पादकों के लिये जोकि पश्चिमी बंगाल में काफी संख्या में हैं, रोजगार के अधिक अवसरों की व्यवस्था की जा सके । केन्द्रीय योजना मंत्री ने इस पत्र के उत्तर में कहा है कि इस मामले में योजना आयोग पश्चिमी बंगाल सरकार की सहायता करने को तैयार है । अगली पारी में ग्रामीण कार्यक्रम का विस्तार करने का विचार है परन्तु शर्त यह है कि राज्य सरकारें तकनीकी तथा प्रशासनिक तौर पर उसे वहन कर लें ।

बर्मा में भारतीय

†३९. **श्री कोया** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) दोहरे कराधान के कारण बर्मा में रहने वाले भारतीयों की शिकायतों की ओर सरकार का ध्यान गया है ;

(ख) इस दोहरे कराधान को हटाने के लिये सरकार बर्मा से कोई करार करने वाली है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य, प्रतिरक्षा तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) जी, हां । बर्मा के भारतीय व्यापारी संघ की ओर से सरकार को अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ।

(ख) अभी बर्मा से दोहरे कराधान सम्बन्धी कोई करार करने का विचार नहीं । निकट भविष्य में इस पर शायद विचार किया जा सके । इस बीच बर्मा के भारतीय व्यापारी जिन की आय पर दोहरा कर लगता रहेगा, उन्हें भारत सरकार ने ४९ घ (नये अधिनियम की धारा ९१ के अनुरूप) और आयकर अधिनियम, १९६१ की धारा २२० के अन्तर्गत एकपक्षीय रूप में राहत दे दी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

त्रिपुरा के बीड़ी श्रमिकों की मजूरी

†४०. **श्री बीरेन दत्त** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या २७ अगस्त, १९६२ को अगरतला में बीड़ी श्रमिकों का कोई सम्मेलन हुआ था ;

(ख) मजूरी की वृद्धि के सम्बन्ध में उन की खास मांगें क्या थीं ;

(ग) क्या सरकार मांगों को कार्यान्वित करने के लिये त्रिपुरा में बीड़ी का आयात बन्द करने का विचार रखती है ;

(घ) अभी हाल एक बीड़ी श्रमिक को कम से कम कितनी मजूरी दी जाती है ; और

(ङ) क्या यह न्यूनतम मजूरी अधिनियम के उपबबन्धों के अनुसार ही है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी)**: (क) से (ङ): त्रिपुरा प्रशासन से जानकारी मांगी गई है और उसे सभा पटल पर रख दिया जायगा ।

सेंट्रल विस्टा और सचिवालय

†४१. { **श्री मोहसिन** :
सं० ब० पाटिल

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने एक अध्ययन दल की स्थापना की है जो कि सैन्ट्रल विस्टा और सचिवालय के हरम के विकास के बारे में सरकार को सलाह देगा ;

(ख) इस अध्ययन दल का गठन और काम क्या होगा ; और

(ग) क्या उन के द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने की सम्भावना है और यदि हां तो कब तक ?

†**निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : (क) से (ग). विशेषज्ञ वास्तुकारों और नगर आयोजकों का एक अध्ययन दल स्थापित किया गया है, जिस का गठन निम्न प्रकार होगा :—

(१) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के मुख्य वास्तुकार तथा नगर आयोजक—सभापति ।

(२) चेयरमैन, नार्दन चैप्टर, इंण्डियन इंस्टीट्यूट आफ़ आर्किटेक्ट्स ।

(३) नार्दन चैप्टर, इण्डियन इंडियन इंस्टीट्यूट आफ आर्किटेक्ट्स का एक प्रतिनिधि ।

(४) भारतीय नगर आयोजकों की संस्था के प्रधान ।

(५) भारतीय नगर आयोजकों की संस्था का एक प्रतिनिधि ।

(६) और (७) नगर तथा ग्राम योजना संगठन के दो प्रतिनिधि ।

(८) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के वरिष्ठ वास्तुकार ।

कुछ विशिष्ट समस्याओं के लिये उन से सलाह मांगी गयी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

टैगोर के गीत

†४३. **श्री नि० र० लास्कर** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संगीत सलाहकार बोर्ड ने यह फैसला किया है कि टैगोर के गीतों का सभी क्षेत्रीय भाषाओं में रूपान्तर किया जाय ।

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय को कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ)** : (क) और (ख). संगीत सम्बन्धी केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड ने ऐसी कोई सिफारिश नहीं की । परन्तु रवीन्द्र नाथ टैगोर की जन्म शताब्दी के सिलसिले में ८० गीतों का हिन्दी में रूपान्तर किया गया और २५, २५ गीतों का रूपान्तर शेष भाषाओं में करने का लक्ष्य रखा गया है ।

भारतीय क्षेत्र का एक पाकिस्तानी सैनिक द्वारा अतिक्रमण

†४४. **श्री नि० र० लास्कर** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १४ सितम्बर, १९६२ को एक पाकिस्तानी सिपाही ने भारतीय क्षेत्र में शिबरामपुर सीमा के निकट अतिक्रमण किया और एक महिला को उस के घर से उठाने का यत्न किया ;

(ख) क्या सम्बद्ध सिपाही को गिरफ्तार कर लिया गया था; और

(ग) यदि हां, तो विस्तार से मामला क्या है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य, प्रतिरक्षा तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) से (ग). १४ सितम्बर, १९६२ को पाकिस्तान राइफल्ज़ के एक हवालदार ने भारतीय क्षेत्र में पश्चिमी बंगाल के पश्चिम दिनाजपुर के पुलिस स्टेशन ब्लूरघाट के पास शिबरामपुर में सीमा का अतिक्रमण किया, इस हवलदार ने सन्थाल महिला के घर में घुस कर उसका शीलभंग करने का यत्न किया ।

हवालदार को भारतीय पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया ।

शीरे से अल्कोहल का निर्माण

†४५. **श्री भा० दा० देशमुख** :
श्री शिवाजी राव शं० देशमुख :
श्री जेंधे :
श्री रावन दले :
श्री बि० तु० पाटिल :
श्री जु० श० पाटिल :
श्री किशन वीर :
श्री तुलशी दास जाघव :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंग कि क्या गन्ने के शीरे से अल्कोहल (पीने के लिये) निर्माण करने पर सरकार विचार कर रही है ?

---

†मूल अंग्रजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : नहीं।

पीने के लिए अल्कोहल पहिले ही मुख्यता शीरे से ही देश में निर्माण हो रही है। पेय अल्कोहल का जितना उत्पादन देश में है उससे देश की वर्तमान आवश्यकतायें पूरी हो रही है।

औद्योगिक लाइसेंस

†४६. **श्री सोलांकी :**
श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :
श्री यश पाल सिंह :
श्री बूटा सिंह :
श्री गुलशन :
श्री अ० ना० विद्यालंकार :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक लाइसेंस देने के बारे में अन्तिम निर्णय करने म केन्द्रीय सरकार आवेदन पत्र देने की तिथि से लेकर औसतन कितना समय लगाती है;

(ख) क्या यह सच है कि ये शिकायतें आम हैं कि औद्योगिक लाइसेंस देने में असाधारण देर लगाई जाती है; और

(ग) यदि हां, तो इस देरी को दूर करने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) एक आवेदन पत्र को निपटाने के लिए औसतन ४ से ५ मास तक लगाये जाते हैं।

(ख) और (ग). प्रायः शिकायतें आती हैं कि लाइसेंस देने में बहुत देरी लगाई जाती है। इस देरी को कम करने के लिए निम्नलिखित कार्यवाही की गयी है :

(१) निम्नलिखित श्रेणी के आवेदन पत्रों को प्रायः लाइसेंसिंग समिति को पूछे बिना ही निपटा दिया जाया करेगा, परन्तु शर्त यह है कि सम्बद्ध राज्य सरकारों को इस पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए और योजनायें तकनीकी छानबीन में ठीक निकलनी चाहिए ;

(क) जहां औद्योगिक निकाय के लिए अपना वर्तमान उत्पादन कार्य नियमित करना आवश्यक हो अर्थात् जो लोग अधिनियम के लागू होने से पहिले काम तो कर रहे हों परन्तु निर्धारित अवधि के बीच रजिस्टर न हुए हों। अथवा वे निकाय जिन पर मूल रूप में अधिनियम के उपबन्ध लागू न हों और बाद में किसी कारण से लागू हो गये हों;

(ख) जहां तक राज्य से औद्योगिक निकाय को उठा कर दूसरे राज्य में ले जाने की प्रस्थापना हो;

(ग) जहां, 'नई चीज़ों' के उत्पादन का प्रश्न हो और उनके लिए नयी अतिरिक्त मशीनरी लगाने का कोई प्रश्न न हो और आयात की जाने वाली कोई वस्तु अपेक्षित न हो;

†**मूल अंग्रजी में**

(२) उद्योगों की दो सूचियां बनाई गयी है, एक में यह दिखाया गया है कि इन उद्योगों में आगे और अभी हाल लाइसेंस देने की कोई गुंजाइश नहीं । और दूसरी सूची वह है जिसमें स्पष्टतः क्षमता वृद्धि अपेक्षित है । इन उद्योगों से सम्बन्धित आवेदन पत्रों को लाइसेंसिंग कमेटी से पूछे बिना निपटा दिया जायगा, जब तक कि कोई विशेष बात न हो । इन सूचियों का पुनरीक्षण निरन्तर होता रहेगा ।

इन सभी उपरोक्त मामलों में आवेदन पत्रों को पहिले निपटा दिया जायेगा और बाद में तत्सम्बन्धी तथ्यों की सारी जानकारी लाइसेंसिंग कमेटी को दे दी जायेगी ।

संश्लिष्ट रबड़ संयंत्र

†४७. **श्री द्वा० ना० तिवारी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दो और संयंत्रों के लिये लाइसेंस मंजूर करके संश्लिष्ट रबड़ के निर्माण की अधिक क्षमता करने के लिये प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो स्थान और पक्ष के क्या नाम है जिनके लिये लाइसेंस दिये जा रहे है अथवा दिये गये है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योक मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) कुछ प्रकार के संश्लिष्ट रबड़ के निर्माण की अग्रेतर क्षमता स्थापित करने के लिये सात आवेदन-पत्र प्राप्त हुए है, परन्तु इस बात को देखते हुए कि अभी तक इस निर्माण के लिये अपेक्षित कच्चे माल की उपलब्धता के बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं है, इन पर विचार स्थगित कर दिया गया है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

कर्मचारियों की भविष्य निधि

†४८. { **डा० रानेन सेन** : / **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : }

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता स्थित बर्मा शेल कम्पनी ने सरकार को अभी तक वह रकम नहीं दी है जो उनके पास अक्तूबर, १९६१ से पूर्व उनके कर्मचारियों ने कम्पनी की भविष्य निधि योजना के कारण जमा करायी थी;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार कितना धन रुका पड़ा है और उसको रोक रखने के क्या कारण है; और

(ग) कम्पनी से रुपया वसूल करने के लिये सरकार ने क्या ठोस कदम उठाये है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). कम्पनी ने भविष्य निधि की रकम को केन्द्रीय और राज्य सरकार की प्रत्याभूतियों में लगा दिया है । इन प्रत्याभूतियों को कर्मचारी भविष्य निधि को हस्तान्तरित करने के लिये कार्यवाही की गयी है । हस्तान्तरित किये जाने वाली रकम के ठीक आंकड़ों का अभी पता लगाया जाना है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मुद्रण उद्योग के लिये विकास परिषद्

†४६. **श्री अ० सिं० सहगल :**
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :
श्री प्र० कु० घोष :
श्री कपूर सिंह :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री बसुमतारी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री कजरोलकर :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या मुद्रण उद्योग के लिये एक विकास परिषद् स्थापित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : जी, नहीं।

जूतों का निर्यात

†५०. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम द्वारा जूतों के संभरण के बारे में विदेशी क्रेताओं से शिकायतें मिली है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या व्योरा है और निर्यात के लिये जूतों की किस्म सुधारने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). जी, नहीं।

पंजाब में हस्त शिल्प उद्योग

†५१. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पंजाब राज्य सरकार से वर्ष १९६२–६३ में राज्य में हस्तशिल्प उद्योग को सहायता देने के लिये कोई प्रस्ताव मिले हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या व्योरा है और उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). वर्तमान प्रक्रिया के अन्तर्गत राज्य सरकारों के हस्तशिल्प समेत विभिन्न उद्योगों के विकास के लिये प्रति वर्ष भेजी गयी वार्षिक योजनाओं के आधार पर निधि का आवंटन किया जाता है। उनको वर्ष के अन्त में राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित आवंटन के भीतर किये गये वास्तविक व्यय के आधार पर वित्तीय सहायता मंजूर की जाती है। तदनुसार, पंजाब सरकार को वर्ष १९६२–६३ में हस्तशिल्प के विकास के लिये १४.६४ लाख रुपये आवंटित किये गये हैं। उनको यथा समय वास्तविक व्यय के आधार पर वित्तीय सहायता मंजूर की जावेगी। इस आवंटन में राज्य सरकार का अंश भी शामिल है।

†मूल अंग्रेजी में

चाय उद्योग के लिये रासायनिक खाद

†५२. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६२ में देश में चाय उद्योग के लिये रासायनिक खाद की कितनी आवश्यकता है;

(ख) क्या पूरी मात्रा उपलब्ध कर दी गयी है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) वर्ष १९६२–६३ में १,५१,९०२ टन।

(ख) और (ग). दिसम्बर, १९६२ को समाप्त होने वाली तीन तिमाहियों के लिये १,११,९२४ टन आवंटित किये गये हैं। संभरण जारी है। जनवरी-मार्च, १९६३ के लिये आवंटन दिसम्बर, १९६२ में किया जायेगा।

पंजाब सम्बन्धी प्रलेखीय चलचित्र

†५३. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री ७ अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब सम्बन्धी प्रलेखीय चलचित्र के निर्माण में इस बीच कितनी प्रगति हुई है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ)** : फिल्म का शूटिंग इस बीच पूरा हो गया है। अब इसकी एडिटिंग कमेन्टरी हो रही है और इसके शीघ्र ही पूरे हो जाने की आशा है।

स्थानीय विकास कार्य योजना

†५४. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार द्वारा पंजाब राज्य सरकार को स्थानीय विकास कार्य योजना के अन्तर्गत तृतीय पंचवर्षीय योजना-काल के प्रथम वर्ष में कितनी वित्तीय सहायता दी गयी है ?

†**श्रम और योजना मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन)** : वर्ष १९६१–६२ में स्थानीय विकास कार्य कार्यक्रम के अन्तर्गत पंजाब सरकार के लिये २२·५० लाख रुपये का आवंटन किया गया। अब तक १३·७० लाख रुपये दिये गये हैं और वर्ष के लिये वास्तविक व्यय विवरण प्राप्त होने पर अन्तिम रूप से समायोजन किया जायेगा।

पंजाब का औद्योगिक विकास

†५५. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९६२–६३ में अब तक पंजाब राज्म सरकार को राज्य के औद्योगिक विकास के लिये कुल कितना धन दिया गया है ?

---

†**मूल अंग्रेजी में**

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : वर्तमान प्रक्रिया के अन्तर्गत किसी एक वित्तीय वर्ष के लिये केन्द्रीय सहायता की मंजरी वर्ष के अन्त में राज्य सरकार द्वारा पहली तीन तिमाहियों के लिये वास्तविक व्यय और अन्तिम तिमाही के लिये पूर्वेक्षित व्यय बनाये जाने के आधार पर की जाती है । अतः वर्ष १९६२–६३ में पंजाब राज्य को अभी तक मंजूर किये गये धन के बारे में बताने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

वर्ष १९६२–६३ में पंजाब में ग्राम और छोटे उद्योगों के विकास के लिये १६३ लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता का उपबन्ध किया गया है ।

लाहौल और स्पिति को भारतीय फिल्म्स डिवीजन का दल

†५६. **श्री हेम राज** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सितम्बर, १९६२ में लाहौल और स्पीती घाटी में शूटिंग के लिये गये भारतीय फिल्म्स डिवीजन के दल के सदस्यों की क्या संख्या है ;

(ख) क्या वे सुरक्षित पहुंच गये हैं ; और

(ग) उनको क्या हानि हुई ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ)** : (क) चार।

(ख) जी, हां ।

(ग) शून्य ।

पाकिस्तानियों का राजस्थाम में घुस आना

†५७. **श्री यो० ना० सिंह** :
श्री प्र० कु० घोष :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ पाकिस्तानी राष्ट्रजन ३ अक्तूबर, १९६२ को भारतीय प्रदेश में घुस आये और बीकानेर डिवीजन के सत्तासर गांव में कुछ दुकानों को लूटा ; और

(ख) यदि हां, तो घटना का क्या ब्यौरा है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य, प्रतिरक्षा तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) और (ख). २–३ अक्तूबर, १९६२ की रात्रि को चार पाकिस्तानी अपराधियों ने गांव सत्तासर, पुलिस थाना पुगाल, बीकानेर के दो भारतीय राष्ट्रजनों की दुकानों में चोरी की और अपने साथ नकदी, जवाहरात और लगभग ५००० रुपये का अन्य सामान और लगभग ४०० रुपये मूल्य का एक ऊंट ले गये । भारतीय सीमान्त पुलिस ने पाकिस्तानी सीमान्त पुलिस को कुछ सुराग दिये हैं जिनसे चोरों का पता लगाने में सहायता मिल सकती है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

जम्मू के निकट पाकिस्तानी सेना द्वारा गोली वर्षा

†५८. { श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ६ अक्तूबर, १९६२ को जम्मू के निकट अखनूर क्षेत्र में पाकिस्तानी सेना ने ख्वामखाह गोली चलाई ;

(ख) यदि हां, तो क्या पाकिस्तान से कोई विरोध प्रकट किया है ;

(ग) उनसे प्राप्त उत्तर का क्या ब्यौरा है ; और

(घ) इस गोलीकांड के कारण कितने व्यक्ति हताहत हुए ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य, प्रतिरक्षा तथा अणु-शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) ६ अक्तूबर, १९६२ को १६.४५ बजे पाक/पोक सेना ने छाम्ब के ४ मील पश्चिम में हमारी पीरजामल चौकी पर १८ गोलियां चलायीं । उत्तर में हमारी पुलिस को आत्मरक्षा के लिये गोली चलानी पड़ी । संयुक्त राष्ट्र के सैनिक प्रेक्षक को युद्ध-विराम उल्लंघन की शिकायत कर दी गयी है जिसका उत्तर प्रतीक्षित है ।

(ख) मुख्य सैनिक प्रेक्षक का उत्तर प्राप्त होने के बाद इस प्रश्न पर विचार किया जायेगा ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(घ) कोई व्यक्ति हताहत नहीं हुआ बताया जाता है ।

तांबा के लिये आवश्यकता प्रमाणपत्र[1] का जारी किया जाना

†५९. { श्री प्र० के० देव :
श्री प्र० कु० घोष :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के उद्योग निदेशक द्वारा वास्तविक उपभोक्ताओं को तांबा के लिये आवश्यकता प्रमाणपत्र जारी किये जाने की क्या प्रक्रिया है ;

(ख) क्या यह सच है कि वर्ष १९५७ में चालू की गई कुछ यनिटों को अभी तक आवश्यकता प्रमाणपत्र जारी नहीं किये गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री काननगो)** : (क) तांबा के लिये आवश्यकता प्रमाणपत्र दिल्ली के उद्योग निदेशक द्वारा जारी नहीं किये जाते । तांबा के अभ्यंश का आवंटन सामान्यतः उद्योगों के निदेशक द्वारा, मई, १९५९ से पूर्व अभ्यंशधारियों के रूप में पंजीकृत, पंजीकृत उपभोक्ताओं को उन की मूल्यांकित क्षमता के आधार पर किया जाता है । संभरण की कठिन स्थिति को देखते हुए उसके बाद आवेदन करने वालों का नाम लिखना संभव नहीं हो सका ।

(ख) सरकार को ऐसे किसी मामले का पता नहीं है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Essentiality Certificate.

टेलीविजन सेटों का निर्माण

†६०. { **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री राम रतन गुप्त :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में टेलीविजन सेटों का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो यह सरकारी क्षेत्र में होगा अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). समय समय पर टेलीविजन सेटों के निर्माण के लिये प्रस्ताव आते रहे हैं परन्तु इनको इसलिये क्रियान्वित नहीं किया गया क्योंकि :

(१) भारत में टेलीविजन के बारे में भावी विकास-कार्य को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है ; और

(२) विदेशी मुद्रा की वर्तमान कठिन स्थित में टेलीविजन के निर्माण को स्पष्टतः कोई प्राथमिकता नहीं दी गयी है ।

केरल के लिये आवास बोर्ड

†६१. { **श्री अ० व० राघवन :**
श्री पोट्टेकाट्ट :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के लिए आवास बोर्ड बनाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : (क) और (ख). मामले से सम्बन्धित राज्य सरकार ने यह निर्णय किया है कि केरल के लिए आवास बोर्ड बनाने के प्रश्न पर एक वर्ष बाद विचार किया जाना चाहिए क्योंकि तब तक अन्य राज्यों में बने आवास बोर्ड के कार्य के बारे में जानकारी हो जायेगी ।

मोटर परिवहन कर्मचारी अधिनियम

†६२. **श्री कोया** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी राज्यों ने मोटर परिवहन कर्मचारी अधिनियम, १९६१ को लागू कर दिया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो किन राज्यों में उपरोक्त अधिनियम लागू नहीं किया गया है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी)** : अधिनियम विभिन्न राज्यों में ३१ मार्च, १९६२ के बाद विभिन्न तिथियों को लागू किया गया था ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

औद्योगिक बस्तियां

†६३. {**श्री मानसिंह पृ० पटेल :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री सेझियान :}

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में कितनी औद्योगिक बस्तियां स्थापित की जानी हैं ;

(ख) उनमें से अब तक कितनी स्थापित की जा चुकी हैं और गुजरात राज्य में उनमें से कितनी स्थापित की जा चुकी हैं ; और

(ग) तीसरी पंचवर्षीय योजना में कुल उपलबन्ध में से अब तक कुल कितना व्यय किया गया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) तीसरी पंचवर्षीय योजनावधि में लगभग ४०० औद्योगिक बस्तियां स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(ख) अब तक प्रविधिक रूप से १२० औद्योगिक बस्तियों की योजनायें हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजनावधि में १२ औद्योगिक बस्तियां स्थापित होनी हैं जिनमें गुजरात में प्रविधिक रूप से दो औद्योगिक बस्तियों की योजनायें स्वीकार की गई हैं।

(ग) १.८१ करोड़ रुपये (१९६१–६२ तक) ।

इन्द्रा मार्केट, दिल्ली में फ्लैट

†६४. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री ९ सितम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १३०२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फ्लैट नं० ६ आर, इन्द्रा मार्केट, सब्जी मंडी का कब आवंटन किया गया था ; और

(ख) फ्लैट नं० ४, ६, १०, १३, २२, २४ और २८ का कब आवंटन किया गया था ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : (क) २७ फरवरी, १९५९।

(ख) आवंटन की तिथियां नीचे दी जाती हैं :—

फ्लैट संख्या	आवंटन की तिथि
आर/४	११–९–१९५६
आर/६	२४–१२–१९५६
आर/१०	३०–१०–१९५६
आर/१३	३१–१२–१९५६
आर/२२	१७–१०–१९५६
आर/२४	२९–३–१९५७
आर/२८	१९–४–१९५९

†मूल अंग्रेजी में

दिनांक ९ अगस्त, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३५२ के उत्तर में शुद्धि

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य, प्रतिरक्षा तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : दिनांक ६ अगस्त, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३५२ के भाग (ग) और (घ) के उत्तर के अन्तिम वाक्य को संशोधित रूप में नीचे लिखे अनुसार पढ़ें :—

"अब तक जिन क्षेत्रों में रेडियोमेट्रिक सर्वेक्षण हो गया है उनमें पाये गये यूरेनियम निक्षेपों से इस बात का पता नहीं चला है कि निक्षेपों का लाभप्रद रूप से खनन किया जा सकता है ।"

निधन सम्बन्धी उल्लेख

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे सभा को सूचित करना है कि हमारे तीन मित्रों अर्थात् श्री ब्रह्मजीत सिंह, डा० पे० सुब्बरायन और श्री कामेश्वर सिंह का निधन हो गया है।

श्री ब्रह्मजीत सिंह वर्तमान लोक सभा के सदस्य थे । डा० सुब्बरायन मद्रास के तिरुचंगोड निर्वाचन क्षेत्र से चुने गये थे और उनके महाराष्ट्र के राज्यपाल नियुक्त होने पर यह स्थान रिक्त हो गया था । वे दूसरी लोक सभा के सदस्य थे । श्री कामेश्वर सिंह भारत की संविधान सभा के सदस्य थे ।

हम अपने इन मित्रों के निधन पर भारी शोक प्रकट करते हैं और वंचित परिवारों को सांत्वना सन्देश भेजते हैं ।

सभा के सदस्य दिवंगत आत्माओं के सम्मान में मौन खड़े रहे ।

इसके बाद सदस्य कुछ समय के लिए मौन खड़े रहे

सभा का कार्य

प्रक्रिया का सरलीकरण

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे सभा को सूचित करना है कि कल मैं सब विरोधी दलों के नेताओं और प्रतिनिधियों तथा संसद कार्य मंत्री से मिला था और लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के अन्तर्गत प्रक्रिया के सरलीकरण के संबंध में चर्चा की गई थी।

बैठक में निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले गये :—

(१) **प्रश्न**

(क) प्रश्नों के क्रमवार उत्तर देने के लिय विभिन्न मंत्रालयों को वर्तमान तीन वर्गों की बजाय पांच वर्गों में बांटा जाये ।

(ख) एक दिन की सूची के लिये एक सदस्य के तारांकित और अतारांकित प्रश्न कुल मिलाकर पांच से अधिक नहीं होने चाहियें और मौखिक प्रश्नों की सूचि में उसके तीन से अधिक प्रश्न नहीं होने चाहियें ।

---

†मूल अंग्रजी में

[अध्यक्ष महोदय]

(ग) किसी दिन की मौखिक प्रश्नों की सूची में ३० से अधिक प्रश्न नहीं रखने चाहियें ।

ये परिवर्तन सोमवार, १२ नवम्बर, १९६२ से लागू होने चाहिये ।

(२) **गैरसरकारी सदस्यों के संकल्प**

जो सदस्य संकल्प पेश करना चाहता हो वह संसद सूचना कार्यालय में लिखित सूचना छोड़ जाये । ऐसे सदस्यों के नामों पर मतदान होगा और मतदान के परिणाम में पहले चार सदस्य एक एक संकल्प की सूचना दे सकेंगे जो गृहीत होने पर कार्य सूची में रखे जायेंगे ।

(३) **प्रस्तावों, संकल्पों आदि में संशोधन**

प्रत्यक वर्ग या दल यदि चाहे तो एक सदस्य या अनेक सदस्यों के नाम एक संशोधन पेश करे ।

मैं समझता हूं कि सभा प्रक्रियागत इन परिवर्तनों से सहमत है और सदस्यों से निवेदन है कि वे इसे लागू करने में सहयोग दें ।

†**श्री हरिविष्णु कामत** (होशंगाबाद) : श्रीमान् मैं एक बात स्पष्ट करवाना चाहता हूं कि यदि एक दिन के लिये सचिवालय में ३० से अधिक प्रश्न प्राप्त होंगे तो अतिरिक्त प्रश्नों का क्या होगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्हें अतारांकित प्रश्न मान लिया जायेगा ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** (जालोर) : अध्यक्ष महोदय, ये परिवर्तन श्लाघनीय हैं किन्तु यदि इन्हें स्वीकृति देने के लिये कल का दिन रखा जायें तो हम कुछ सुझाव दे सकेंगे ।

†**अध्यक्ष महोदय** : संसद कार्य मंत्री बैठक में उपस्थित थे और यदि कांग्रेस के किसी सदस्य को कोई शिकायत हो तो संसद कार्य मंत्री को बता दें । वे मुझ से बातचीत कर लेंगे ।

†**श्री बड़े** (खारगौन) : इन संशोधनों को स्वीकार करने के लिये कुछ समय देना चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : नियम तो वही हैं । इनमें कुछ सुधार किया गया है, प्रक्रिया को केवल सरल बनाया गया है । यदि सभा समय चाहती है तो इसे बेशक कल ले लिया जाये ।

श्री गु० बसु के बारे में

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)** : श्रीमान्, निर्वाचन न्यायाधिकरण ने श्री बसु का निर्वाचन रद्द कर दिया था । उस आदेश कलकत्ता के विरुद्ध के उच्च न्यायालय में अपील की गई थी और उच्च न्यायालय ने ११ अगस्त, १९६२ की अपील पर आदेश का प्रवर्तन रोक दिया और अपील की जांच होने तक उसे लोक सभा में उपस्थित होने दिया । इसका यह अभिप्राय है कि अपील की सुनवाई होने तक अन्तरिम रूप से आदेश को रोक दिया था । अपील को २७ सितम्बर १९६२ को खारिज कर दिया गया था जिस पर मूल रोक आदेश अपने आप रद्द हो गया था । अतः श्री बसु के वकील ने अपील खारिज करने के आदेश का प्रवर्तन रोकने के लिये उच्च

†मूल अंग्रेजी में

न्यायालय से प्रार्थना की जिससे उसका प्रवर्तन अगले २० नवम्बर तक के लिये रोक दिया गया और जब तक कोई उससे उच्च न्यायालय निषेधाज्ञा न दे श्री बसु को लोक सभा में उपस्थित होने का अधिकार मिल गया।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं यह स्पष्टीकरण चाहता हूं कि क्या दूसरे रोक आदेश से पहला रोक आदेश पुनः बहाल हो गया था।

†**श्री अ० कु० सेन** : नहीं बहाली का सवाल नहीं क्योंकि यदि न्यायालय अपील को खारिज करने के आदेश पर रोक न लगाता तो पहले रोक आदेश का प्रवर्तन न होता। अपील के खारिज होने तक आदेश की बहाली का प्रश्न पैदा नहीं होता और अपील को खारिज करने के आदेश पर रोक लगा दी गई है।

†**श्रीमती रेण चक्रवर्ती** (बैरकपुर) : हमें यह कानून की बारीकियां समझ में नहीं आयीं।

†**अध्यक्ष महोदय** : तब तो माननीय सदस्यों को पत्र भेज दिये जायेंगे ताकि वे विषय की जटिलता को समझ सकें।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** (मन्दसौर) : पत्र भेजते हुये यह बता दिया जाय कि उच्च न्यायालय ने वे आदेश किस उपबन्ध के अधीन किये थे।

†**अध्यक्ष महोदय** : पत्रों के साथ उच्च न्यायालय के आदेश की प्रति भी भेजी जायेगी।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

श्वेत पत्र संख्या ७ जिसमें वे टिप्पण, ज्ञापन और पत्र शामिल हैं जिनका भारत और चीन के बीच आदान प्रदान हुआ

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य, प्रतिरक्षा तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) श्वेत पत्र संख्या ७, जिसमें जुलाई, १९६२ से अक्तूबर, १९६२ के बीच भारत और चीन की सरकारों द्वारा एक दूसरे को भेजे गये टिप्पण, ज्ञापन और पत्र दिये हुये हैं।

[पुस्तकालय में रखो गई। देखिये संख्या एल० टी० ४४७/६२]

(दो) भारत के प्रधान मंत्री के नाम चीन के प्रधान मंत्री का दिनांक २४ अक्तूबर, १९६२ का पत्र।

(तीन) चीन के प्रधान मंत्री के नाम भारत के प्रधान मंत्री का दिनांक २७ अक्तूबर, १९६२ का पत्र।

(चार) राज्याध्यक्षों के नाम भारत के प्रधान मंत्री का दिनांक २६/२७ अक्तूबर, १९६२ का सन्देश।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

(पांच) प्रेसीडेंट गमाल अब्दुल नासर के नाम भारत के प्रधान मंत्री का दिनांक २७ अक्तूबर, १९६२ का पत्र ।

(छै) संयुक्त अरब गणराज्य की अध्यक्ष परिषद् का दिनांक ३१ अक्तूबर, १९६२ का वक्तव्य । **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल०टी० ४४८/६२]**

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : क्या प्रधान मंत्री विभिन्न सरकारों से प्राप्त उनके पत्रों के उत्तर सभा पटल पर नहीं रखना चाहते ?

श्री रामेश्वरानन्द (करनाल) : प्रधान मंत्री जी ने जो कुछ कहा है, उसको हिन्दी में भी समझा दिया जाय ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने और कुछ नहीं कहा सिवा उसके जो कि आर्डर पेपर पर लिखा हुआ है ।

श्री त्यागी उठे

अध्यक्ष महोदय : आपने सवाल किया है, अब यह प्राइम मिनिस्टर साहब के लिये है कि वह क्या जवाब देते हैं ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : आम तौर से जो जवाब आय हैं वह अखबारों में छपे हैं, वह खुद पूरे या उनका खुलासा और भी आते जाते रहते हैं । अगर वह सभी यहां रखे जायें तो शायद यहां के कागज़ बहुत बढ़ जायेंगे ।

†**श्री प्रिय गुप्त** (कटिहार) : अभी प्रधान मंत्री ने कहा कि सदस्य समाचारपत्रों में उन पत्रों का प्रकाशन देख लें किन्तु कुछ ही मिनट पूर्व उन्होंने कहा था कि वे समाचारपत्रों की बात को स्वीकार नहीं करते । इनमें से ठीक क्या है ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : दोनों ठीक हैं । समाचारपत्रों को सरकार जो भेजती है और प्रकाशित होता है वह सच है अनधिकृत लोगों द्वारा कहा गया ठीक नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : ऐसे तो नहीं चलेगा कि हर एक मैम्बर जहां चाहे वहां खड़ा हो जाये ।

श्री बागड़ी (हिसार) : मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है । मैं यह कहना चाहता हूं कि अखबारों के अन्दर सारी खबर आई है, लेकिन मेरे जैसा आदमी जो कि जेल में था और जिसे अखबार नहीं मिलते थे, वह क्या करे ?

अध्यक्ष महोदय : जब कोई मैम्बर जेल से बाहर आये तो जितने वक्त वह जेल में रहा हो उसके अखबार वह पढ़ ले ।

श्री रामेश्वरानन्द : देहातों में तो अखबार भी नहीं मिलते, वहां के लोग क्या करें ?

अध्यक्ष महोदय : आप ऐसे देश में चले गये जहां अखबार भी नहीं हैं ?

श्री रामेश्वरानन्द : ऐसा ही देश है यह तो ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अधिसूचना जिस में आपातकाल तथा भारत के प्रतिरक्षा नियम, १९६२ का प्रख्यापन प्रकाशित है

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : श्रीमान् मैं श्री लाल बहादुर शास्त्री की ओर से निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) संविधान के अनुच्छेद ३५२ के खंड (२) के उपखंड (ख) के अन्तर्गत दिनांक २६ अक्तूबर, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १४१५ की एक प्रति, जिसमें उक्त अनुच्छेद के खंड (१) के अधीन २६ अक्तूबर, १९६२ को राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई आपात की उद्घोषणा प्रकाशित की गई है । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल०टी० ४४९/६२]**

(२) संविधान के अनुच्छेद ३५९ के खंड (३) के अधीन दिनांक ३ नवम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १४६४ की एक प्रति, जिसमें उक्त अनुच्छेद के खंड (१) के अधीन राष्ट्रपति द्वारा निकाला गया एक आदेश प्रकाशित किया गया है । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल०टी० ४५०/६२]**

(३) दिनांक ५ नवम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १४६५ में प्रकाशित भारत का प्रतिरक्षा नियम, १९६२ । **[पुस्तकालय मे रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० ४५१/६२]**

दिल्ली निर्वाचन मंडल (सदस्यों का निर्वाचन संशोधन) नियम, १९६२ और निर्वाचन संचालन नियम, १९६१ मे संशोधन

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)** : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० की धारा २८ की उप-धारा (३) के अधीन दिनांक २८ सितम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ३०३० में प्रकाशित दिल्ली निर्वाचक मंडल (सदस्यों का निर्वाचन) संशोधन नियम, १९६२ की एक प्रति । **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० ४५२/६२]**

(२) लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम २३९ के अधीन संसद की दोनों सभाओं द्वारा पास किये गये संशोधनों के सार रूपभेद किये गये रूप में निर्वाचनों का संचालन नियम, १९६१ के नियम ९३ की एक प्रति । **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल०टी० ४५३/६२]**

सिनेमेटोग्राफ (विवाचन) दूसरा संशोधन नियम, १९६२

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० ब० गोपाल रेड्डी)**: मैं सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, १९५२ की धारा ८ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक ८ सितम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १२०८ में प्रकाशित सिनेमैटोग्राफ (सेनसरशिप) दूसरा संशोधन नियम, १९६२ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिय संख्या एल० टी० ४५४/६२]**

†मूल अंग्रेजी में

तीसरी लोक सभा के दूसरे अधिवेशन की समाप्ति के बाद प्रख्यापित अध्यादेश

†**संसद कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : मैं संविधान के अनुच्छेद १२३(२)(क) के उपबन्धों के अन्तर्गत तीसरी लोक-सभा के दूसरे अधिवेशन की समाप्ति के पश्चात् राष्ट्रपति द्वारा जारी किये गये निम्नलिखित अध्यादेशों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) भारत की प्रतिरक्षा अध्यादेश, १९६२ (१९६२ की संख्या ४) **[पुस्तकालय मे रखी गई । देखिये संख्या एल०टी० ४५५/६२]** ।

(दो) विदेशियों संबंधी विधि (लागू करना तथा वंशोधन) अध्यादेश, १९६२ (१९६२ का संख्या ५) । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल०टी० ४५६/६२]**

(तीन) भारत की प्रतिरक्षा (संशोधन) अध्यादेश, १९६२ (१९६२ का संख्या ६) **[पुस्तकाल में रखी गई । देखिये संख्या एल०टी० ४५७/६२]**

(चार) समवाय (संशोधन) अध्यादेश, १९६२ (१९६२ का संख्या ४) **[पुस्तकालय मे रखी गई । देखियें संख्या एल०टी० ४५८/६२]** ।

(पांच) पांडिचेरी (प्रशासन) अध्यादेश, १९६२ (१९६२ का संख्या ८) **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल०टी० ४५९/६२]**

कृतिम रेशम के वस्त्र (उत्पादन और वितरण) नियंत्रण (दूसरा संशोधन) आदेश, १९६२ और पटसन (अनुज्ञप्ति देना और नियंत्रण), (संशोधन) आदेश, १९६२

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : मैं अत्यावश्यक पण्य अधिनियम १९५५ की धारा (३) की उप-धारा (६) के अन्तर्गत निम्नलिखित आदेशों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) दिनांक ८ सितम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० २७८० में प्रकाशित नकली रेशम के कपड़े (उत्पादन तथा वितरण) नियंत्रण (दूसरा संशोधन) आदेश, १९६२ ।

(दो) दिनांक १५ सितम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० २८३३ में प्रकाशित तटसन (लाइसेंस देना तथा नियंत्रण) (संशोधन) आदेश, १९६२ । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल०टी० ४६०/६२]**

खादी और ग्रामोद्योग आयोग (चौथा संशोधन) नियम, १९६२, अत्यावश्यक पण्य अधिनियम १९५५ के अधीन अधिसूचना, इंग्लेंड तथा अमरीका में औद्योगिक सुरक्षा सम्बन्धी भारतीय उत्पादकता दल

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग एक्ट, १९५६ की धारा २६ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक २९ सितम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी०

†मूल अंग्रजी में

एस० आर० १२७० में प्रकाशित खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग (चौथा संशोधन) नियम, १९६२। [पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० ४६२/६२]

(दो) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उपधारा (६) के अन्तर्गत दिनांक २२ सितम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० २८९६।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० ४६३/६२]

(तीन) ब्रिटेन तथा अमरीका में औद्योगिक सुरक्षा संबंधी भारतीय उत्पादकता दल का प्रतिवेदन। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० ४६४/६२]**

संविधान के अनुच्छेद संख्या ३५९ के अन्तर्गत अधिसूचना

†श्री दातार : मैं संविधान के अनुच्छेद ३५९ के खंड (३) के अन्तर्गत दिनांक ३० अक्तूबर, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १४१८ की एक प्रति जिसमें उक्त अनुच्छेद के खंड (१) के अधीन राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया आदेश प्रकाशित किया गया है, सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० ४६५/६२]**

कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२ के अधीन अधिसूचनायें आदि

†श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) कर्मचारी भविष्य निधि योजना, १९५२ में कुछ और संशोधन करने वाली कर्मचारी भविष्य निधि एक्ट, १९५२ की धारा ७ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक १ सितम्बर, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या ११७२।

(दो) दिनांक २९ सितम्बर, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या १२९९।

(तीन) दिनांक २९ सितम्बर, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या १३००।

(चार) दिनांक ६ अक्तूबर, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या १३२१।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० ४६६/६२]।

(२) कर्मचारी भविष्य निधि एक्ट, १९५२ की धारा १ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत निकाली गई दिनांक १५ सितम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १२३२ की एक प्रति जिसके अनुसार उक्त एक्ट को लकड़ी उद्योग संबंधी कुछ प्रतिष्ठानों पर लागू किया गया है।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० ४६७/६२]

(३) कोयले के अतिरिक्त अन्य खानों संबंधी औद्योगिक समिति के तीसरे अधिवेशन के, जो नई दिल्ली में ३ अक्तूबर, १९६२ को हुआ था, मुख्य निष्कर्षों की एक प्रति। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० ४६८/६२]।**

(४) केन्द्रीय मजूरी बोर्ड की सीमेंट उद्योग में मजूरी बढ़ाने की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के बारे में दिनांक २२ सितम्बर, १९६२ का सरकारी संकल्प संख्या डब्लू० बी०—६(१)/६२ की एक प्रति।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० ४६९/६२]

---

†मूल अंग्रेजी में

सरकारी बचत प्रमाणपत्र अधिनियम, १९५९ के अधीन अधिसूचना

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : मैं सरकारी बचत प्रमाणपत्र एक्ट, १९५९ की धारा १२ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक १ सितम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ११५८ में प्रकाशित डाक-घर बचत प्रमाण-पत्र (पांचवां संशोधन) नियम, १९६२ की एक प्रति सभा पटल पर रखती हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० ४७०/६२]

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

†**सचिव**: मैं संसद की दोनों सभाओं द्वारा गत सत्र में पारित किये गये और ७ सितम्बर, १९६२ को सभा को दी गई अन्तिम रिपोर्ट के बाद राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित विधेयकों की प्रतियां राज्य सभा के सचिव द्वारा विधिवत् प्रमाणित रूप में, सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम विधेयक, १९६२

(२) नागालैंड राज्य विधेयक, १९६२

(३) आसाम राइफल्स (संशोधन) विधेयक, १९६२

(४) भूमि अर्जन (संशोधन) विधेयक, १९६२

(५) विधिवक्ता (तीसरा संशोधन) विधेयक, १९६२

(६) अणु शक्ति विधेयक, १९६२

(७) प्रत्यर्पण विधेयक, १९६२

(८) भारत का रक्षित बैंक (संशोधन) विधेयक, १९६२

(९) बैंकिंग समवाय (संशोधन) विधेयक, १९६२

(१०) उद्योग (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, १९६२

(११) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग (संशोधन) विधेयक, १९६२

(१२) गन्ना नियंत्रण (अतिरिक्त शक्तियां) विधेयक, १९६२

ईसाई विवाह तथा वैवाहिक वाद विधेयक

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को उपस्थापित करने का समय बढ़ाया जाना

†**श्री मूल चन्द दुबे** (फर्रुखाबाद) : मैं निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करता हूं :—

"कि ईसाइयों के विवाह तथा वैवाहिक वादों संबंधी विधि को संशोधित तथा संहिताबद्ध करने वाले विधेयक संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को उपस्थापित करने के लिये नियत समय अगले सत्र के अन्तिम दिन तक बढ़ा दिया जाये ।

---

†मूल अंग्रजी में

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद): हमें यह बताया जाये कि समय बढ़ाने की मांग के कारण क्या हैं ?

दुबे : कारण यह है कि केवल कुछ दिन ऐसे थे जब समिति की बैठक ो सकती थी। इसलिये समय बढ़ाने की मांग की गई है।

श्री राम सेवक यादव : मैंने वर्तमान मंत्रिमंडल के विरुद्ध एक अविश्वास प्रस्ताव दिया था। मुझे सूचना मिली है कि अभी तक आपने उस पर कोई निर्णय नहीं लिया, उसे पढ़ा नहीं। क्या मैं जान सकता हूं कि उस पर कब तक निर्णय लिया जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : क्या जो मौजूदा आइटम चल रहा है उसे छोड़ दूं और आपका आइटम ले लूं। माननीय सदस्य से मैं कहना चाहता हूं कि एक आइटम तो खत्म हो ले तो दूसरा लिया जाये, दरम्यान में तो दूसरा नहीं लिया जा सकता।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बेरकपुर) : विलम्ब का कारण यह रहा है कि हम चाहते थे कि ईसाइयों के सभी वर्ग अपने ज्ञापन दें जिसकी प्रतीक्षा करनी पड़ी और हम यह भी चाहते थे कि सभा इस विधेयक को अधिक एकमत होकर स्वीकार कर सके।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि ईसाइयों के विवाह तथा वैवाहिक वादों संबंधी विधि को संशोधित तथा संहिताबद्ध करने वाले विधेयक संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवदन को उपस्थापित करने के लिये नियत समय अगले सत्र के अन्तिम दिन तक बढ़ा दिया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री राम सेवक यादव : मैंने मौजूदा मंत्रिमंडल के विरुद्ध......

अध्यक्ष महोदय : आपका नोटिस मुझे ११ बजने में जब पांच मिनट रहे थे तो मिला। अब मैं वहां जाता हूं तो उसे देखूंगा।

श्री राम सेवक यादव : क्या मैं समझूं कि उस पर कल निर्णय लिया जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : आपको उसकी सूचना पहुंचायी जायेगी।

गोपनीय सत्र के बारे में

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** (जोधपुर) : मैंने निवेदन किया था कि राष्ट्रीय आपात पर विचार करने के लिये सभा की गुप्त बैठक की जाय। संसद कार्य मंत्री ने संकेत किया था कि सरकार का इस बारे में निर्णय हमें बताया जायेगा।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य, प्रतिरक्षा तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : कुछ सदस्यों से मुझ यह प्रार्थना मिली थी और मैंने इस पर ध्यानपूर्वक विचार किया था। मैं समझता हूं कि अभी गुप्त अधिवेशन वांछनीय नहीं। यदि भविष्य में आवश्यक हुआ तो मैं बताऊंगा। आरम्भ में ही गुप्त अधिवेशन का देश पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य इससे सहमत होंगे।

मेरे नाम दो संकल्प हैं। क्या मैं उन दोनों को इकट्ठे लूं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

†अध्यक्ष महोदय : उन्हें क्रमवार पेश किया जाये। वे भाषण एक दें। चर्चा भी इकट्ठी होगी।

आपात की उद्घोषणा तथा चीन द्वारा अतिक्रमण के बारे में संकल्प

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य, प्रतिरक्षा तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :—

"यह सभा राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद ३५२ के खंड (१) के अधीन २६ अक्तूबर १९६२ को जारी की गयी आपात की उद्घोषणा का अनुमोदन करती है।"

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं इसे सदन के सामने रखता हूं।

संकल्प प्रस्तुत हुआ :

"यह सभा राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद ३५२ के खंड (१) के अधीन २६ अक्तूबर, १९६२ को जारी की गयी आपात की उद्घोषणा का अनुमोदन करती है।"

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"यह सभा इस बात पर अत्यधिक खेद प्रकट करती है कि एक-दूसरे की स्वतंत्रता, एक दूसरे पर आक्रमण न करने और एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप न करने तथा शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की मान्यता के आधार पर चीनी लोक गणराज्य की सरकार के प्रति भारत के निरन्तर सद्भावना और मैत्री प्रदर्शित करने के बावजूद भी चीन ने इस सद्भावना और मैत्री तथा पंचशील के सिद्धांतों के प्रति, जिन से दोनों देश सहमत थे, विश्वासघात किया है और उसने भारत पर आक्रमण तथा सशस्त्र सेनाओं से भारी हमला किया है।

"हमारी सशस्त्र सेनाओं के जवान तथा अफसर हमारी सीमाओं की रक्षा करते हुये जिस वीरता से लड़े हैं यह सभा उसकी अत्यधिक प्रशंसा करती है और उन शहीदों के प्रति अपनी सम्मानपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करती है जिन्होंने अपनी मातृभूमि के गौरव तथा अखंडता की रक्षा के लिये अपने प्राणों की आहुति दे दी है।

"यह सभा भारत पर चीन के आक्रमण से उत्पन्न आपात-कालीन स्थिति तथा संकट का सामना करने के लिये भारतीय जनता के अभूतपूर्व तथा सहज उत्साह की भी सराहना करती है। इस गम्भीर राष्ट्रीय संकट का मुकाबला करने के लिये जनता के सारे साधनों को जुटाने में सभी वर्गों के लोगों में मिलकर प्रयत्न

---

†मूल अंग्रेजी में

करने की जो गहरी उमंग है उसके लिये यह सभा आभारी है। स्वतंत्रता तथा बलिदान की ज्वाला फिर से दहक उठी है, और भारत की आजादी और अखंडता के लिये समर्पण की भावना नय सिरे से पैदा हो गई है।

"यह सभा आक्रमण और हमले के विरुद्ध संघर्ष की इस भीषण घड़ी में अनेक मित्र देशों से प्राप्त सहानुभूति और नैतिक तथा भौतिक सहायता के लिये आभार प्रकट करती है।

"यह सभा भारत की पुण्य भूमि से हमलावर को खदेड़ देने के लिये, चाहे इसके लिये कितना ही लम्बा तथा कठिन संघर्ष क्यों न करना पड़े, भारतीय जनता के दृढ़ संकल्प का आशा और दृढ़ विश्वास के साथ समर्थन करती है।"

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं इस संकल्प को भी सदन के समक्ष रखता हूं।

संकल्प प्रस्तुत हुआ :

"यह सभा इस बात पर अत्यधिक खेद प्रकट करती है कि एक-दूसरे की स्वतंत्रता, एक दूसरे पर आक्रमण न करने और एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप न करने तथा शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की मान्यता के आधार पर चीनी लोक गणराज्य की सरकार के प्रति भारत के निरन्तर सद्भावना और मैत्री प्रदर्शित करने के बावजूद भी चीन ने इस सद्भावना और मैत्री तथा पंचशील के सिद्धांतों के प्रति, जिन से दोनों देश सहमत थे, विश्वासघात किया है और उसने भारत पर आक्रमण तथा सशस्त्र सेनाओं से भारी हमला किया है।

"हमारी सशस्त्र सेनाओं के जवान तथा अफसर हमारी सीमाओं की रक्षा करते हुये जिस वीरता से लड़े है, यह सभा उसकी अत्यधिक प्रशंसा करती है और उन शहीदों के प्रति अपनी सम्मानपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करती है जिन्होंने अपनी मातृभूमि के गौरव तथा अखंडता की रक्षा के लिये अपने प्राणों की आहुति दे दी है।

"यह सभा भारत पर चीन के आक्रमण से उत्पन्न आपात-कालीन स्थिति तथा संकट का सामना करने के लिये भारतीय जनता के अभूतपूर्व तथा सहज उत्साह की भी सराहना करती है। इस गम्भीर राष्ट्रीय संकट का मुकाबला करने के लिये जनता के सारे साधनों को जुटाने में सभी वर्गों के लोगों में मिलकर प्रयत्न करने की जो गहरी उमंग है उसके लिये यह सभा आभारी है। स्वतंत्रता तथा बलिदान की ज्वाला फिर से दहक उठी है, और भारत की आजादी और अखंडता के लिये समर्पण की भावना नये सिरे से पैदा हो गई है।

"यह सभा आक्रमण और हमले के विरुद्ध संघर्ष की इस भीषण घड़ी में अनेक मित्र देशों से प्राप्त सहानुभूति और नैतिक तथा भौतिक सहायता के लिये आभार प्रकट करती है।

"यह सभा भारत की पुण्य भूमि से हमलावर को खदेड़ देने के लिये, चाहे इसके लिये कितना ही लम्बा तथा कठिन संघर्ष क्यों न करना पड़े, भारतीय जनता के दृढ़ संकल्प की आशा और दृढ़ विश्वास के साथ समर्थन करती है।"

†**श्री जवाहरलाल नेहरू:** अध्यक्ष महोदय, एक गम्भीर संकट के कारण, संसद की बैठक निश्चित तिथि से पहले बुलाई गई है। सदन को और भारत के सब लोगों को और विश्व के बड़े भाग को ज्ञात है कि चीन ने भारी सेनाओं के साथ भारत पर आक्रमण कर दिया है और कुछ गम्भीर लड़ाइयां हुई हैं, जिनमें दोनों ओर आदमी हताहत हुये ह ।

उत्तर में पांच साल तक हमारी सीमा पर चीनियों ने हम पर आक्रमण जारी रखा है। शुरू में यह आक्रमण छिप कर होता था। कभी कभी कुछ मुठभेड़ भी होती थी, जिन्हें सीमा घटनायें कहा जा सकता है। इस समय हमें भारी फौजों के एक नियमित हमले का सामना है।

चीन, जो कि साम्राज्यवाद का विरोधी होने का दावा करता है, एक ऐसी नीति का अनुसरण कर रहा है जिसका उदाहरण अठारहवीं और उन्नीसवी शताब्दी में मिल सकता है। उन दिनों में यूरोप के साम्राज्ञी देश औद्योगिक क्रांति के बल और हथियारों से एशिया और अफ्रीका के बड़े भाग बलपूर्वक हथिया लेते थ । वह साम्राज्य अब नहीं है और यूरोपीय देशों के बहुत से उपनिवेश आज़ाद हो चुके हैं। किन्तु आश्चर्य है कि चीन की सरकार जो साम्राज्य की विरोधी थी, आक्रमण और साम्राज्य की नीति अपना रही है।

यह दुःख की बात है कि हम पर जिन्होंने सारे विश्व में शांति का प्रयत्न किया है और चीन के साथ मित्रता चाही है, उनके साथ सद्भावना का व्यवहार किया है और विश्व की परिषदों में उसके लिये प्रयत्न किया है, उस देश की ओर से आक्रमण किया जाये, जो अपने आपको साम्राज्यवाद का विरोधी कहता है ।

इतिहास के इस विचित्र चक्कर से हमें ऐसी स्थिति का सामना है, जिस का कि हमें एक सौ वर्ष से अनुभव नहीं हुआ। हाल के वर्षों की कुछ घटनाओं के बावजूद, जैसा कि सुएज़ की घट ना, हमने यह समझ लिया था कि ऐसा अतिक्रमण अब पुरानी बात है।

हमारी सीमाओं पर पांच वर्षों में चीन के अतिक्रमणों से यद्यपि काफी परेशानी हुई, फिर भी हमें यह ख्याल नहीं था कि चीन भारी फौजों से भारत पर आक्रमण करेगा। अब हम ने वह आक्रमण देख लिया है और इससे हमें और बहुत से देशों को धक्का पहुंचा है।

इतिहास ने एशिया में और संभवतः सारे विश्व में एक नया पलटा खाया है और अब हमें अपनी तूरी ताकत से अपनी आजादी के खतरे का मुकाबला करना है। यह खतरा केवल हमें नहीं ह बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार के सारे अभिसमय भंग कर दिये गये हैं और इसका प्रभाव सारे विश्व पर पड़ा है। कोई भी आत्म-सम्मान करने वाला देश जो अपनी आजादी को प्यार करता चाहै, इस नीती के सामने झुक नहीं सकता। भारत कभी भी नहीं झुकेगा, चाहे कुछ भी परिणाम हो। हम इस चुनौती को स्वीकार करते हैं, चाहे परिणाम कुछ भी हो।

यह चुनौती हमारे लिये एक अवसर भी है। वास्तव में भारत के लोगों ने लाखों की संख्या में जो एकता और उत्साह दिखाया है, जो पहले कभी देखने में नहीं आया। एक संकट आ गया है और हम इस का मुकाबला करने के लिए खड़े हो गये है।

ने एक मैंसंकल्प प्रस्तुत किया है जिसमें राष्ट्रपति द्वारा उद्घोषित राष्ट्रीय संकट की स्थिति का अनुमोदन मांगा गया है। यह विदेशी सेनाओं द्वारा आक्रमण के समय अनिवार्य था और संविधान में ऐसे संकट के समय के लिए इसके लिय व्यवस्था है। मुझे विश्वास है कि सदन

†मूल अंग्रजी में

इस उद्घोषणा का अनुमोदन करेगा और बाद में भारत रक्षा अध्यादेश और अन्य कदमों का भी अनुमोदन करेगा जो कि उठाये जा रहे हैं।

मैं चाहता हूं कि सदन इतिहास की दृष्टि से इस पर विचार करे। हम भारत नहीं बल्कि एशिया या दुनिया के इतिहास के चौराहे पर खड़े हैं ; क्योंकि इस झगड़े का प्रभाव सब पर पड़ेगा। इस का प्रभाव एशिया पर पड़ेगा, जिस के दो बड़े देश चीन और भारत हैं। इस का प्रभाव सारे विश्व पर पड़ेगा। इस समय हमें इस बेरहम और नग्न आक्रमण से बहुत धक्का लगा है। विश्व ने देश के लोगों की प्रतिक्रिया भी देखी है और विश्व अभी ये भी देखेगा कि भारत के लोग आज़ादी को खतरे के समय कैसे काम करते हैं।

यह स्वाभाविक है कि हमें धक्का लगे और हमें जोश आये। किन्तु हमें याद रखना है कि इतिहास का यह मोड़ जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। मालूम नहीं कि हमें कितने अर्से तक, कितने सालों तक इस का सामना करना पड़े। किन्तु यह कितनी देर भी रहे हमें राष्ट्र को इस का सामना करने के लिए तैयार और प्रशिक्षित करना है। मैं इस भावना से सदन को नेतृत्व करने के लिए कहता हूं।

हमारी सीमाओं पर चीनी आक्रमण पांच साल पुराना है और सदन कई बार इस पर विचार कर चुका है। पिछले अवसर पर यह चर्चा १२ अगस्त, १९६२ को हुई थी। बहुत से श्वेत पत्र जारी किये गये हैं, जिनमें भारत और चीन सरकारों के बीच लम्बा पत्र व्यवहार दिया गया है। आज भी मैंने श्वेत-पत्र संख्या ७ पटल पर रखा है। २२ अगस्त, १९६२ को चीन को एक नोट भेजा गया था। इस का उत्तर १३ सितम्बर को मिला। किन्तु उत्तर भजने या प्राप्त होने से पहले, ८ सितम्बर, को चीन की फौजें अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पार कर के नेफ़ा के उत्तर पश्चिम कोने में थागला चोटी के पार चोला चौकी पर आक्रमण करने लगे। हमने सोचा था कि हम इस नये आक्रमण का मुकाबला करने के समर्थ होंगे और हमने उस क्षेत्र में अपनी सेनाएं मजबूत करने के लिए कदम उठाये।

इस नये आक्रमण के पांच दिन बाद, १३ सितम्बर को चीनी सरकार ने एक धमकी का उत्तर दिया और मांग की कि सीमान्त प्रश्न पर चर्चा की जाये। हम पहले साक्ष्य दे कर दिखा चुके हैं कि हमारी सीमा मेकमाहन लाइन है। यह सीमा मि० मेकमाहन ने निर्धारित नहीं की थी, चाहे कोई भी उत्तरदायी हो, यह हिमालय की चोटी पर दोनों देशों के बीच पुरानी सीमा थी। कुछ हद तक चीनी भी इसे मानते थे यद्यपि अप्रत्यक्ष रूप से। बर्मा में इस लाइन को वे अवश्य मानते थे।

संवैधानिक या कानूनी दृष्टि से इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि एक सीमान्त गांव लांगजू को छोड़ कर चीनी उस लाइन के इस पार कभी नहीं आये।

यह मेकमाहन लाइन, जिसे चीनी अवैध कहते हैं, १९१४ में ४८ वर्ष पूर्व निर्धारित की गई थी। चाहे यह वैध है या नहीं यह पिछले ५० वर्ष से भारत का अंग रहा है और इस का पुराना इतिहास भी हमारे पक्ष में है। पचास साल से यह सीमा हमारी उत्तरी सीमा रही है। वास्तव में यह ५० वर्ष से पहले भी थी। यद्यपि चीनी इसे नहीं मानते थे--- १९१३ में उन की आपत्ति मेकमाहन लाइन पर नहीं थी, उन की आपत्ति संधि के एक और भाग पर थी जिसके द्वारा अन्दरूनी और बाहरी तिब्बत का विभाजन किया गया था—तथापि इस आपत्ति के कारण उन्हें सारी संधि पर आपत्ति थी। यद्यपि चीनी इसे स्वीकार नहीं करते थे यह सीमा लगभग ५० वर्ष से हमारे नकशों, संविधान, संगठन और प्रशासन आदि में कायम है। उन के इसे स्वीकार न करते

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

हुए भी, क्या वे इसे भंग करने के लिए सशस्त्र आक्रमण कर सकते हैं। स्वयं चीनियों को मालूम है कि भारत का इस क्षेत्र पर कब्जा रहा है। यदि कोई व्यक्ति इस लम्बे पत्र व्यवहार को पढ़े, तो वह देखेगा कि उन की तथाकथित सीमा बदलती रहती है। यह सीमा वहां हो जाती है जहां वे इसे निर्धारित करते हैं और इस मामले में उन्होंने बहुत सी परस्पर विरोधी बातें की हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि स्वतंत्र होने के बाद हमने नेफा के एक बड़े भाग पर कब्जा कर लिया है। यह एक विचित्र बयान है क्योंकि इस लाइन को १९१३-१४ से स्वीकार किया जाता रहा है। इस के अतिरिक्त हम चाहते थे कि सीमान्त क्षेत्रों के आदिमजाति लोग हमारी आजादी में भाग लें। अंग्रेजों ने उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया था और केवल गड़बड़ के समय हस्तक्षेप करते थे। किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि वे मेकमोहन लाइन को ही सीमान्त समझते थे। उन्होंने वहां कोई पूरी प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित नहीं की। आजादी के बाद, हम चाहते थे कि भारत के अन्य भागों की तरह इन क्षेत्रों का भी विकास किया जाय। इसलिए हमने वहां न केवल प्रशासन चालू किया बल्कि स्कूल, अस्पताल, सड़कें, आदि भी बनाईं। चीनी इसी को हमारा कब्जा कहते हैं। कोई भी व्यक्ति जो इन पत्रों को पढ़े और पिछले इतिहास को पढ़ें तो वह कि इस क्षेत्र पर कई सालों से हमारा कब्जा हर अर्थ में रहा है---कानूनी पहलू से संवैधानिक पहलू से, प्रशासनिक पहलू से, और अमली तौर पर।

कानूनी और संवैधानिक पहलू चाहे कुछ भी हो, क्या इस प्रकार के अचानक हमले को न्यायोचित करार दिया जा सकता है। सदन को याद होगा, कि हम इस मामले पर कई बार जर्चा चुके कर चुके है, अधिकतर लद्दाख में उन के आक्रमण को ध्यान में रखते हुए क्योंकि नेफ़ा के क्षेत्र के लांगजू को छोड़ कर और कोई घटना नहीं हुई थी।

बातचीत के दौरान में उन की स्थिति बिल्कुल स्पष्ट नहीं होती थी और उन की बातों के दो दो अर्थ निकाले जा सकते थे। कई बार आश्वासन देकर वे मुकर जाते थे। मुझे याद है जब कि पांच या ६ वर्ष पहले चीन के प्रधान मंत्री के साथ मेरी लम्बी बातचीत हुई थी। बातचीत के तुरन्त बाद मैंने एक नोट तैयार किया था, ताकि मैं बातचीत को भूल न जाऊं। यह नोट हमारे कार्यालय में है।. उस नोट का एक भाग मैंने चीनी सरकार को भेजा था, किन्तु उन्होंने इसकी सचाई से इन्कार कर दिया था। मुझे इस पर बहुत आश्चर्य और दुःख हुआ, क्योंकि मुझे तो यकीन था। मुझे यकीन है कि चीनी प्रधान मंत्री ने मुझे यह निश्चित उत्तर दिया था कि यद्यपि चीनी सरकार मेकमाहन लाइन को अवैध समझती है, फिर भी चूंकि वे हमारे साथ मंत्री रखना चाहते हैं और इतने तथ्यों के होते हुए, वे इसे मानने के लिए तैयार होंगे। मुझे यह अच्छी तरह से याद है। बाद में उन्होंने इस से इन्कार किया। इसलिए यह कहना कठिन हो जाता है कि किसी विशेष समय पर उन की स्थिति क्या थी।

बात अब यह है कि चाहे वे मेकमाहन लाइन को मानें या न मानें कुछ सप्ताह पहले तक यह पूर्ण रूप से हमारे कब्जे में थी, इस ओर का सारा इलाका कई पीढ़ियों से हमारे कब्जे में है। १९१३-१४ की वाद की तिथि भी दी जा सकती है। फिर भी चीनी सरकार के हमले को कैसे न्यायोचित ठहराया जा सकता है।

सदन ने देखा होगा कि नेफ़ा की हाल की घटनाओं के सम्बन्ध में चीनी सरकार ने एक विचित्र रवैया अपनाया है। वे कहते जा रहे है कि भारत ने उन पर हमला किया है और उन के सीमान्त सैनिक केवल अपनी रक्षा कर रहे हैं। मुझे कहना पड़ेगा कि यह तथ्यों के बिल्कुल उलट है और झूठ को सचाई और सचाई को झूठ किये जाने के इस प्रयत्न से मुझे बहुत आश्चर्य हुआ

है क्योंकि उन का कहना बिल्कुल निराधार है। तथ्य केवल एक है और वह यह कि इन सब वर्षों में हमारा कब्जा मेकमाहन लाइन तक रहा है, हम एक इंच भी उस के आगे नहीं गये और न ही दूसरे के क्षेत्र पर नजर रखी है। वे वहां आ गये हैं। मान लीजिये कि मेकमाहन लाइन कहां है इस के बारे में संदेह हैं। किन्तु बात यह है कि उन्होंने ऐसे क्षेत्र पर हमला किया है, जो पिछले १० हजार साल कभी उन के कब्जे में नहीं रहा। वर्तमान चीनी सरकार लगभग १२ वर्ष पहले बनी थी। इसलिए उन का दावा केवल इन १२ वर्षों में या उस से पहले तिब्बत के द्वारा किया जा सकता है। यह सच है कि पिछले काफी समय से तिब्बत और भारत के बीच, अंग्रेजों के जमाने में भी, सीमान्त के कुछ प्रश्न थे। किन्तु ये सब प्रश्न छोटे छोटे सीमान्त क्षेत्रों के बारे में थे। तिब्बती सरकार ने और न और किसी ने कभी इतने बड़े क्षेत्र पर, जो नेफ़ा का दो तिहाई है और लद्दाख के इतने बड़े क्षेत्र पर दावा किया है।

अतः हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं, जिसे झुठलाया नहीं जा सकता, और वह यह है कि चीनी भारी फौजों के साथ इस क्षेत्र में आये हैं, जो कि लम्बे अर्से से भारत में रहा है और भारत द्वारा प्रशासित किया गया है। यदि इस पर उन का कोई दावा था, तो वे शान्तिपूर्ण तरीके से बातचीत कर के समझौता कर सकते, मध्यस्थ थे नियुक्त किया जा सकता था या विश्व न्यायालय में मामला पेश किया जा सकता था।

यहां मैं इसे दुर्भाग्य की बात समझता हूं कि चीन की वर्तमान सरकार का संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रतिनिधित्व नहीं है। माननीय सदस्य हैरान होते हैं जब हम इस प्रतिनिधित्व का समर्थन करते हैं। हम ने वर्तमान हमले के बावजूद चीन का समर्थन किया है। यह पसन्द या नापसन्द का प्रश्न नहीं है। यदि चीन का संयुक्त राष्ट्र में प्रतिनिधित्व न हो, तो विश्व में निःशस्त्रीकरण नहीं हो सकता, क्योंकि यह तो हो नहीं सकता कि सारा विश्व तो निःशस्त्रीकरण अपना ले और चीन को पूरी तरह शस्त्रों से लैस रहने दिया जाये। इसलिये मुझे हर्ष है कि हम ने क्रोध के बावजूद अपना दृष्टिकोण कायम रखा है और इस का समर्थन अब भी किया है। कठिनाई यह है कि उन्हें किसी न्यायाधिकरण या विश्व न्यायालय के सामने नहीं लाया जा सकता। वह एक अनुत्तरदायी देश है, जो समझता है कि केवल युद्ध से ही झगड़े निबटाये जा सकते हैं और जिसे शान्ति से कोई लगाव नहीं है और जिसके पास बहुत शक्ति है। यह स्थिति न केवल भारत के लिये बल्कि सारे विश्व के लिये खतरनाक है। मैं साम्यवाद या गैर-साम्यवाद के प्रश्न में नहीं जा रहा हूं। मेरे विचार में यह इस मामले का बड़ा पहलू नहीं है। साम्यवाद सहायता दे सकता है किन्तु मुख्य विषय यह है कि एक साम्राज्यवादी देश दूसरे देश पर जान बूझ कर आक्रमण करता है . .

†**श्री त्यागी** : (देहरादून) : एक गुलाम सेना के साथ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं नहीं जानता माननीय सदस्य ने क्या कहा है। मैं उस बहस में नहीं पड़ना चाहता। मैं इस बात पर जोर दे रहा हूं, क्योंकि कुछ देश, हर एक मामले को साम्यवाद और गैर-साम्यवाद की दृष्टि से देखते हैं। इस का परिणाम यह है कि वह प्रश्न के बुनियादी पहलू को नहीं देख सकते। साम्यवाद सहायता करे या न करे, साम्यवाद कुछ उन्हें बल दे या कमजोरी। हमें आज ऐसे अतिक्रमण का सामना है, जो १८वीं या १९वीं शताब्दी में देखा जाता था, उस समय तो कोई साम्यवाद नहीं था।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री रंगा : (चित्तूड़)** : यह२० वीं शताब्दी है।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** अत : हमें अपनी सीमाओं पर आज इस नये किस्म के साम्राज्यवाद का सामना है। एशिया को इस का सामना है और सारे विश्व को इस की चिन्ता है। फिलहाल हमें चिन्ता सब से अधिक है, हमें इस का मुकाबला करना है और भार स्वयं उठाना है, यद्यपि कुछ मित्र देशों ने हमारी सहायता की है और हम इसके लिये उनके आभारी हैं।

यह कहना कि हमने चीनी राज्यक्षेत्र पर अतिक्रमण किया है, ऐसी बात है जो मेरे जैसे आदमी को समझ नहीं आ सकती। क्या ऐसा हो सकता है कि हम अपने विरुद्ध अतिक्रमण करे, अपने ही देश की भूमि पर अतिक्रमण करें और वे पहाड़ पार कर के हमारे देश में आ कर रक्षा करें। यह बड़ी विचित्र बात है कि अपने कर्मों को न्यायोचित ठहराने के लिय लोग क्या क्या नहीं करते।

यह सच है कि जब ८ सितम्बर को हमें मालूम हुआ कि वे थागला चोटी को पार कर हमारे क्षेत्र में आ रहे हैं, तो हमारी चौकियों में पर्याप्त संख्या में सिपाही थे। किन्तु यदि बहुत बड़ी संख्या में सेनाएं आ जायें, तो एक साधारण चौकी उन का मुकाबला नहीं कर सकती। इसलिये हमने चौकियों को मजबूत करने के लिये और सेनाएं भेजने के लिये तुरन्त पग उठाये। इस संबंध में एक दुर्भाग्य की बात याद रखनी चाहिये। हम ने जो सेनाएं भेजीं, वे काफी जवान और सशक्त थीं, किन्तु उन्हें भारत के मैदानों से १४००० फुट की ऊंचाई पर भेजना पड़ा। कोई व्यक्ति चाहे कितना बलवान हो उसे उस मौसम के अनुकूल होने के लिये समय चाहिये। हम ने कुछ और सेनाएं भेजीं और समझा कि वे चीनियों का मुकाबला कर सकेंगी। चीनियों ने भी अपनी सेनाएं बढ़ानी शुरू कर दीं। उनके लिये ऐसा करना अधिक आसान था, क्योंकि तिब्बत में उन की बहुत फौजें थीं। मैं नहीं जानता कि कितनी होंगी। पहले ११ डिवीजन थे, अब सुना है १३ या १४ डिवीजन हैं। आप सोचिये कि केवल तिब्बत में उनकी कितनी भारी सेनाएं हैं।

†**श्री रामेश्वरानन्द** : अब तो आपको चाइनीज की मनोवृत्ति का पता चल गया होगा . . .

†**श्री जवाहर लाल नेहरू :** मेरे विचार में यदि माननीय सदस्य इस बारे में बहुत उत्सुक हैं तो हम उन्हें सीमा पर भेज देंगे। शायद भाषणों से चीनियों पर प्रभाव पड़ । इसलिये सबसे पहले चूंकि चीनी फौजें बहुत समय तक तिब्बत के पठार पर रहीं थीं, अतः चीनी फौजों ने पूर्णतया अपना जीवन वहां की जलवायु के अनुरूप बना लिया था। यह चोटी के बिल्कुल समतल पर नहीं था, बल्कि उसके नीचे था ।

दूसरे, पिछले कुछ वर्षों में सारे तिब्बत पर सड़कें बन गई हैं और वहां के अत्यन्त सख्त जलवायु में सड़कों के बनाने का मतलब पत्थर इत्यादि को हटा कर केवल भूमि को समतल करना है, क्योंकि उतनी ऊंचाई पर सीमेंट आदि की आवश्यकता थी। वहां भूमि भी बहुत सख्त है। अतः वहां सड़कें हैं और वे शायद तिब्बत से शीघ्र सूचना पर एक भाग से दूसरे भाग को सफर कर सकते हैं।

अतः वे थागला चोटी की दूसरी ओर बहुत फौजें ला सकते थे। हम शीघ्र उन्हें नहीं देख सके क्योंकि वे चोटी की दूसरी ओर थीं। यद्यपि चीनी थागला चोटी को पार करके कुछ फौजें और ला रहे थे, वे देखी नहीं जा सकीं। वह नजदीक ही दूसरी ओर बहुत संख्या में

---

†मूल अंग्रेजी में

फौजें ला रहे थे और २० तारीख को हुई लड़ाई के पिछले कुछ दिनों में उन्होंने बहुत से लोग जमा किये। यह नहीं पता कि कितने : हमारी फौजों से छै, सात और आठ गुना। अतः उन्हें न केवल फौजें लाने परन्तु थागला चोटी की दूसरी ओर वह सब कुछ पहुंचाने का, जो शीघ्र लाया जा सकता था, और उन्हें भेजने के मामले में ज्यादा अच्छी स्थिति में है। मैं केवल उन ऊंचाईयों पर अचानक भेजे जाने वाली सेना को सामरिक दृष्टि से विपरीत परिस्थिति का जिक्र कर रहा हूं। उनकी सब आवश्यक वस्तुएं हवाई जहाजों द्वारा भेजी जाती हैं। हमारी वायु सेना ने, कभी कभी शत्रुओं की गोलाबारी के और इतने ऊंचे पहाड़ों की कठिनाइयों के बावजूद, वहां बहुत अच्छा काम किया है। इस प्रकार यह चलता रहा।

हमारी तैयारी न होने की बहुत आलोचना हुई है। मेरी भी इसमें से बहुत कुछ अज्ञानिता की धारणा है। **(अन्तर्बाधा)**

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : हम अन्तर्बाधा नहीं डालना चाहते। आप अपनी इच्छानुसार उत्तर देते रहिए।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : बहुत सी यह बात तथ्यों की जानकारी न होने के कारण हैं। उन में से कुछ ठीक हैं। सबसे पहले यह बिल्कुल सत्य है कि हमारी फौजों पर चीनियों के दो या तीन डिवीजनों द्वारा आक्रमण का मुकाबला करने के लिये हम तैयार नहीं थे।

श्री रामेश्वरानन्द : मैं जानना चाहता हूं कि अब तक आप क्या कर रहे थे **(अन्तर्बाधाएं)**

अध्यक्ष महोदय: आप सुन तो लीजिए आराम से, इस तरह इंटरेयशन्स करने से कैसे काम चलेगा ?

श्री रामेश्वरानन्द : यह दुराग्रह में आज तक फंसे रहे और अब हमारी बात सुनना भी नहीं पसन्द करते।

अध्यक्ष महोदय : आप सुन तो लें आराम से।

श्री रामेश्वरानन्द : मैं तो यह जानना चाहता हूं कि यह क्या कर रहे थे ? वह लोग हमला कर रहे थे तब यह क्या कर रहे थे ?

श्री बागड़ी : जब स्वामी जी ने कुछ कहा तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि उन को फ्रंटियर को भेज दो। फ्रंटियर में जायेंगे हमारे बच्चे, वह बहादुर हैं। वह चीन तक जायेंगे और जीत कर आयेंगे। **(अन्तर्बाधाएं)**

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मेरे विचार में स्वामीजी ने . . .

श्री राम सेवक यादव : स्वामी जी की परेशानी यह है कि वे इस बोली को समझते नहीं हैं, आप उन को समझाइये।

श्री जवाहरलाल नेहरू : यही मैं कह रहा था कि मुश्किल यह है कि स्वामी जो कुछ भी नहीं समझते।

श्री राम सेवक यादव : स्वामी जी सब कुछ समझते हैं . . .

श्री जवाहरलाल नेहरू : यह बोली की बात नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री राम सेवक यादव : अध्यक्ष महोदय, किसी माननीय सदस्य के लिये यह कहना कि वह कुछ समझते नहीं हैं, यह ठीक नहीं है । **(अन्तर्बाधाएं)**

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी तकलीफ को भी समझें। अगर स्वामीजी इस बोली को नहीं समझते और प्राइम मिनिस्टर साहब दूसरी बोली में बोलें तो कई और माननीय सदस्य नहीं समझेंगे । इसलिये यह तो सुन लीजिये। उस के बाद हम देखेंगे कि स्वामी जी को कैसे समझाया जाय ।

श्री राम सेवक यादव : प्रधान मंत्री जी ने एक बार यह भी किया था कि इस देश की बोली में यहां बोले थे। अब यह अंग्रेजी में बोल रहे हैं। यदि इस प्रश्न पर हिन्दी में बोलते तो अच्छा होता ।

श्री रामेश्वरानन्द : जब मैंने छः महीने पहले कहा था तो आप ने कहा था कि वह सब भाषण छपे हुए हैं हिन्दी में ।

अध्यक्ष महोदय : यह तो कोई अजब बात नहीं कि स्वामी जी को इलहाम हो जाये पहले से लेकिन इस समय तो हम को सुनने दीजिए । **(अन्तर्बाधाएं)**

श्री रामेश्वरा नन्द : हम को हुआ है, यही हम कहते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : अब स्वामी जी आराम से बैठेंगे ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मुझे अफ़सोस है कि इस मामले में स्वामी जी का कहना माना नहीं जा सकता। मैं खुशी से उसे अनुगृहीत करता, परन्तु मेरी कठिनाई जैसा कि आप ने स्वयं बतलाया है यह है कि इस प्रकार के विषय को यदि मैं अंग्रेज़ी में न बोलूं तो नहीं समझेंगे ।

मैं सैनिक तैयारी न होने के बारे में बोल रहा था। यह बिल्कुल सच है कि हम दो या तीन डिवीजनों के भारी अतिक्रमण का मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं थे, परन्तु सड़कों, कम्बलों इत्यादि के लिए जो अन्य बातें कही जाती हैं वे बहुत हद तक गलत हैं । **(अन्तर्बाधाएं)**

†**श्री मोहन स्वरूप :** (पीलीभीत) : हथियारों के विषय में क्या स्थिति है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** यह बात अजीब है कि यहां बहुत से व्यक्ति जिन्हें हथियारों के विषय में जानकारी नहीं हथियारों की बात करते हैं । **(अन्यर्बाधाएं)**

†**अध्यक्ष महोदय :** हम माननीय प्रधान मंत्री की सुन लें। सब को अपने विचार व्यक्त करने का मौका मिलेगा। हम प्रधान मंत्री को सुन रहे हैं ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मैं ब्यौरे में जाना नहीं चाहता। मैं यह जानना चाहता था कि जो आलोचनाएं की जाती हैं, उन में से कुछ उचित हैं, बहुत सी उचित नहीं हैं । हथियारों के बारे में साधारणतया संसद् में खुलमखुला बात नहीं की जाती परन्तु मैं प्रसन्नतापूर्वक यह बताऊंगा कि हम ने क्या किया है, हम ने क्या नहीं किया है और हमें किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा ।

माननीय सदस्यों को याद होगा कि स्वतन्त्रता मिलने तक हमारा प्रतिरक्षा विभाग पूर्णतया युद्धकार्यालय के अधीन था और युद्धकार्यालय न केवल नीति निर्धारित करता था, परन्तु इस

---

†मूल अंग्रेजी में

बात पर बल देता था कि प्रत्येक चीज यथासम्भव व्हाइट हाल के द्वारा प्राप्त की जाए। पिछले महायुद्ध में विदेशों, इग्लैंड से युद्ध सामग्री प्राप्त करने की कठिनाइयों के कारण, हमारे कुछ हथियारों के कारखाने बने, परन्तु वे अभी प्रारम्भिक अवस्था में ही थे। सब से पहली समस्या जिस का हमें समाधान करना था वह व्हाइट हाल के वातावरण से छुटकारा पाना था और वहां की प्रत्येक चीज लेने और अपनी नीति निर्धारित करने आदि की अपनी प्रथा को खतम करना था। मेरे विचार में हम ने इन वर्षों इस उद्योग को बनाने के लिए अच्छा काम किया है।

हमारे सामने इस बात की छूट रही है कि हम विदेशों से हथियार खरीदें या अपने आप बनाएं। स्पष्टतः स्वयं हथियार बनाना बहुत अच्छा है क्योंकि उस से देश की औद्योगिक और अन्य दिशाओं में विकास होता है और दूसरे आप बाहर ही से हथियार प्राप्त करने पर निर्भर नहीं रह सकते। किसी समय भी वे आप को न दें। आर्थिक दृष्टि से भी बाहर से हथियार लेना ठीक नहीं। अतः हमने स्वयं हथियार बनाने की कोशिश की है और हम ने अच्छी प्रगति की है। मुझे नहीं पता शायद हम और अधिक प्रगति कर सकते थे। कई प्रकार की कठिनाइयां हैं। एक उद्योग का विकास देश की सम्पूर्ण औद्योगिक पृष्ठभूमि पर निर्भर है। हम ने इस बात पर जोर दिया है।

हथियारों, अपने आप चलने वाली बन्दूकों और शेष हथियारों के बारे में बहुत कुछ कहा गया। हम तीन चार वर्षों से हथियार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, परन्तु एकस्वों इत्यादि और पर्याप्त विदेशी मुद्रा प्राप्त करने की कठिनाइयां हैं। अन्त में इन कठिनाइयों पर काबू पाया और इस वर्ष हथियार बनाने आरम्भ कर दिए और हम उन्हें बना रहे हैं।

पहले हमें बहुत से हथियार विदेशों से मंगवाने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं था। हमें हथियार मिल जाते, परन्तु हम हथियार लेने से हिचकिचाते थे। हम उन्हें स्वयं बनाना चाहते थे। यदि हम शान्ति के समय में सब हथियार बाहर से मंगवाते, तो हमें बहुत व्यय करना पड़ता। हमारी सब योजनाएं समाप्त हो जातीं। जंग के लिए हथियारों पर करोड़ों रुपये खर्चने पड़ते हैं। कई हजार करोड़। इस से हमारी सारी अर्थव्यवस्था जटिल हो जाती। मामला भिन्न है जब हम बड़े भारी संकट का सामना कर रहे हैं जिस के विषय में हमारे लोगों की बड़ी प्रबल भावनाएं हैं, और जिसे विश्व भी देखता है। इस समय हम चीजें अच्छी शर्तों पर ले सकते हैं और लोग बहुत धन व्यय करने को तैयार हैं।

मैं चाहता हूं कि आप इन बातों को समझें कि हवाई जहाजों के उद्योग, हथियार बनाने के उद्योग को आधुनिकतम बनाने के लिए पूरी कोशिश की गई है। हम इस मामले में अमेरिका, सोवियत संघ और इंगलैंड का मुकाबला नहीं कर सकते। हमारे लिए अपने बुनियादी उद्योग और विज्ञान को इतना आगे ले जाना सम्भव नहीं है। परन्तु वैज्ञानिक रूप में हम ने काफी प्रगति की है। सब से महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रतिरक्षा विज्ञान विभाग जो हमने बनाया है उच्च स्तर की चीज हैं। उस में लगभग २,००० वैज्ञानिक काम करते हैं।

यदि कुछ गलतियां की गईं या देरियां हुईं, इस समय उन की मुझे छानबीन नहीं करनी है। इस समय आरोप लगाना और यह कहना कि अधिकारी या मंत्री इस के लिए जिम्मेदार हैं अच्छी बात नहीं है। एक तरह से हम सब पर आरोप आना चाहिए। (अन्तर्बाधाएं)

यह सही है कि पहली अक्तूबर से जब कि मैं विदेश यात्रा से आया था, मैं इस मामले में सीधे रूप से सम्बन्धित रहा हूं—पहले प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा सम्बन्धित था। मैं, चीफ आफ

[श्री जवाहरलाल नेहरु]

स्टाफ और अन्य सम्बन्धित व्यक्ति इकट्ठे बैठे हैं और मामलों की चर्चा की है। स्वभावतः विशेषज्ञों, चीफ आफ स्टाफ और उनके सलाहकारों ने युद्ध नीति के बारे में निर्णय करना है। मैं ने यह निर्णय नहीं करना। मुझे इस के बारे में अधिक नहीं पता। मैं उन्हें प्रश्न पूछ सकता हूं, उन्हें सुझाव दे सकता हूं। अन्तिम रूप से कार्यवाही करना उनके हाथ में है।

हमने कई कदम उठाए। २ अक्तूबर को हम ने जनरल कौल को जो उस समय छुट्टी पर थे वापस बुला लिया। हमने नेफा नागाहिल्स इत्यादि को अलैहदा करके कमांड का तरीका बदला। वह वहां लगभग २४ घण्टे के अन्दर गये। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें लड़ाई का तजुर्बा नहीं था। यह बात ठीक नहीं है। उन्हें बर्मा में लड़ाई का तजुर्बा था। जब काश्मीर में दिक्कत हुई तो वे वाशिंगटन में हमारे सैनिक सहकारी थे। उन्होंने हमें वहां भेजने के लिए प्रार्थना की; हम ने उन्हें वहां भेजा। मैं अपने कई अधिकारियों को जानता हूं। उन में से कई अच्छे हैं। केवल हौसले, उपक्रम और मेहनत में उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जो हमारे अधिकारी बहुत भारी काम कर रहे हैं चाहे वह कौल हो या कोई और उन की इस प्रकार से निन्दा की जानी और विदेशी संवाददाताओं द्वारा जो विदेशों में समाचार भेजते हैं निन्दा की जानी उचित नहीं है। यह बहुत ही अनुचित और गैर जिम्मेदारी का काम है जब कि वे इतना उत्तरदायित्व का काम कर रहे हैं।

जब जनरल कौल यहां से गये तो वे अचानक १४,००० फुट की उंचाई पर गए, उन्हें प्रतिदिन पहाड़ी इलाके में एक चौकी से दूसरी चौकी जाने में १६ से २० मील चलना पड़ा। वे बीमार हो गए और वे ४ या ५ दिन बाद जानकारी देने यहां आए।

श्री रामेश्वरानन्द : जो मारे गए उनका क्या बना जी ? क्या उनका वहां इलाज नहीं हुआ ?

श्री जवहाहरलाल नेहरू : मैं स्वामी जी से एक प्रार्थना करूंगा कि हम इस वक्त हंसी मजाक नहीं कर रहे हैं। हम बहुत अहम बातों पर गौर कर रहे हैं जिन से भारत का भविष्य बंधा हुआ है। वह समझते हैं कि हम हंसी मजाक कर रहे हैं।

श्री रामेश्वरानन्द : हम आपके साथ हैं..... (**अन्तर्बाधा**)

हम आपके साथ हैं। देश के लिए मरने के लिए तैयार हैं। हमारी सुनो तो सही।

†**अध्यक्ष महोदय :** हमें प्रधान मंत्री को सुनना चाहिए ताकि हम उन्होंने जो कहा आलोचना कर सकें। जब माननीय सदस्यों के बोलने की बारी आए तो वे आलोचना कर सकते हैं।

श्री रामेश्वरानन्द : आप हमें समझाने लगे हैं तो दो शब्द हिन्दी में बोल दें।

अध्यक्ष महोदय : मैंने यही कहा कि आप अभी खामोश रहें, आपकी भी बारी आयेगी और आप खूब उस वक्त कहें जितना आपका जी चाहे।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** चीनियों द्वारा यह आक्रमण २० अक्तूबर को केवल नेफा में ही नहीं हुआ। उसी दिन लद्दाख से नेफा तक सारी सीमा पर आक्रमण हुआ। यह कहना कि चूंकि हम ने नेफा में उन पर आक्रमण किया—हमारा उन्हें बाहर निकालना और उन पर आक्रमण बिल्कुल उचित है—इसलिए उन्होंने लद्दाख की सारी पंक्ति के साथ साथ आक्रमण किया गलत बात का कहना है।

---

†मूल अंग्रेजी में

२४ तारीख को लगभग सब सरकारों के या राज्यों के अध्यक्षों को एक पत्र भेजा गया जिस में चीनी आक्रमण की सारी पृष्ठभूमि की व्याख्या की और इस आक्रमण का मुकाबला करने के दृढ़-निश्चय के बारे में भी कहा। इस सन्देश की एक प्रति मैंने सभा पटल पर रख दी है। हमें कई सरकारों के उत्तर आ गए हैं। उन्हौंने वर्तमान संकट में हमारे प्रति सद्भावना और सहायता करने की भावना व्यक्त की है।

इस भारी आक्रमण के चार या पांच दिन बाद चीनी प्रधान मंत्री ने एक प्रस्ताव रखा जिस में तीन बातों का उल्लेख किया है। उन प्रस्तावों की स्वीकृति से युद्ध विराम हो सकता है। यह बहुत अस्पष्ट था। उन का मतलब बिल्कुल स्पष्ट नहीं था। परन्तु स्पष्टीकरण के बाद भी हमें यह प्रतीत हुआ कि इस प्रस्ताव का मतलब यह था कि वे हमारे क्षेत्र पर जहां थे हम उन के वहां रहने के अधिकार को मान लें। हमारी सेना को लगभग २० किलोमीटर पीछे हटना था। दूसरे शब्दों में यद्यपि चीनी फौजों को हमारे क्षेत्र पर थोड़ा पीछे हटना था हमें और आगे पीछे हटना था। उन्हें हमारे क्षेत्र पर अपनी शक्ति बढ़ाने का अवसर मिलता ताकि बाद में वे आगे हमारे ऊपर आक्रमण करते। हमारे लिए इसे मानना असम्भव था। दूसरे देशों में इस के बारे में कुछ अस्पष्टता थी, परन्तु हमारे बताने से वह दूर हो गई है।

हमने सुझाव दिया कि वे ८ सितम्बर से पहले के स्थान पर चले जाएं अर्थात् मैकमोहन लाइन के पीछे और लद्दाख में भी ८ सितम्बर, के बाद वे जितना आगे बढ़े हैं उतना पीछे हट जाएं। कुछ मित्रों ने कहा है कि यह प्रस्ताव हमारी कमज़ोरी ज़ाहिर करता था। हमें उन्हें पूर्ण रूप से जाने के लिए कहना चाहिए था। सदन को हमारी कमज़ोरी या शक्ति का निर्णय करना है और प्रस्तावों में भी कुछ असलीअतें होनी चाहिएं, क्योंकि हमें न केवल इनका पालन करना है, परन्तु बाहर अपने मित्रों को विश्वास दिलाना है कि उचित प्रस्ताव रख रहे हैं जिसे कार्यान्वित किया जा सकता है। प्रस्ताव यह था कि नेफा और लद्दाख में वे ८ सितम्बर की पंक्ति पर वापस चले जाएं। तब अशान्ति को दूर करने के लिए आगे क्या कदम उठाए जाएं इस पर विचार करने के लिए हम अपने प्रतिनिधि भेजने को तैयार थे। जब इस बात पर समझौता हो जाता तो प्रश्न के गुणों पर विचार करने के लिए हम मिल सकते थे। यह हमारा तीसरा क़दम होता। हम ने यह प्रस्ताव रखा है और हम इसे मानते हैं। मेरे विचार में यह उचित प्रस्ताव है और किसी तरह से भी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल या कमज़ोर नहीं है।

इसी बीच में हमारे कुछ मित्र देशों ने, जिनके इरादे अच्छे हैं, युद्ध विराम के लिये और गुणावगुणों पर मामले के विचार के लिए विभिन्न कोशिशें कीं। युद्ध बन्द करने की उन की इच्छा प्रशंसनीय है और हम उन की इच्छा का स्वागत करते हैं। परन्तु चूंकि उन्हें पूरी जानकारी नहीं थी, अतः कभी कभी उन्होंने कुछ ऐसे प्रस्ताव रखे जिन का स्थिति से अधिक सम्बन्ध नहीं था।

मैं केवल उन में से एक का ही ज़िक्र करूंगा। वह संयुक्त अरब गणराज्य द्वारा दिया गया प्रस्ताव है। इस मामले में मैं प्रधान नासर की अभ्यर्थना करता हूं कि उन्होंने अस्पष्ट प्रस्ताव नहीं दिया। लोग हमें अच्छा बनने और शांतिप्रिय रहने की सलाह देते हैं, मानो हम युद्ध करना चाहते हैं। हमारा मन युद्ध की ओर नहीं है। इसीलिए युद्ध के लिए हमारी कमज़ोरी है। यह भिन्न बात है कि हम ने ऐसा किया है। मैं पिछली बात कह रहा हूं। अतः जो लोग अच्छा बनने की सलाह देते हैं उसका कुछ मतलब नहीं है, जब तक कि वे झगड़े को अच्छी प्रकार नहीं समझते हैं। प्रधान नासर ने मामले को समझने का कष्ट किया और कुछ प्रस्ताव रखे थे। ये प्रस्ताव बिल्कुल हमारे प्रस्ताव जैसे नहीं थे, परन्तु काफी तौर से हमारे प्रस्तावों के अनुकूल थे। उन्होंने फ़ौजों के ८ सितम्बर की स्थिति तक वापिस चले जाने पर बल दिया। यह बड़ी बात थी। यह हमारे प्रस्ताव के अनु ार थी। चीन ने प्रधान नासर के प्रस्ताव को नहीं माना है।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

यह संकट हम ने नहीं पैदा किया है। चीन ने अपने तथा कथित प्रदेशिक की दावों को हमारे ऊपर सैनिक शक्ति-द्वारा लादने की कोशिश की है। यथार्थ में, वे दावा किये हुए क्षेत्र पर से भी आगे बढ़ गए हैं। जैसा मैं ने कहा उनकी सीमा बदलती रहती है। जो क्षेत्र उन के हाथ आ जाये उन की सीमा बन जाता है।

अपनी सीमाओं और मातृभूमि की रक्षा के लिए हम ने सब मित्र देशों से सहायता मांगी है। सहानुभूमि और सहायता की हमारी अपील का शीघ्र उत्तर जो विभिन्न देशों ने दिया है मैं उनका आभारी हूं। यह सहायता बिना शर्तों के है। अतः इसका हमारी तटस्थ निती पर जिसकी हम कदर करते हैं सीधा प्रभाव नहीं पड़ता। जिन देशो ने हमारी सहायता की है उन्होंने इस बात को माना है और यह स्पष्ट कर दिया है कि वे यह आशा नहीं करते हैं कि हम वह नीति छोड़ दें। जो अमरीका, इगलैंड और अन्य मित्र देशों ने शीघ्रता से हमें सहायता दी है। हमारा सम्पर्क दूसरे कई देशों से है। हम ने अपना अन्य मित्र देश जैसा कि सोवियत संघ और फ्रांस से भी युद्ध का सामान देने के लिए प्रार्थना की है।

हम ने अकसर घोषणा की है कि हम किसी अन्य का क्षेत्र लेना नहीं चाहते। हम अपने क्षेत्र से संतुष्ट हैं। इसका और पहलू भी है। हमारी भूमि को कोई लेना चाहता है हमें उस के आगे नहीं झुकते और यद्यपि आक्रान्ता देश को आरंभ में कुछ सफलताएं मिली हैं मुझे यह नहीं पता कि उन के मन में क्या है? वह इसे सौदेबाज़ी के लिये प्रयोग में लाना चाहते हैं या उन के अन्य बुरे इरादे है—हम उन के आगे झुक नहीं सकते चाहे इसका कुछ भी नतीजा निकले।

कुछ लोगों ने कहा है कि "हम योजनाएं छोड़ दें और हम युद्ध की कोशिश की ओर अधिक ध्यान दें सकें"। युद्ध की कोशिश क्या है लोग आगे फौजियों के बारे में सोचते हैं। यह ठीक है। वे खतरे का मुकाबला कर रहे हैं। जिस प्रकार के संघर्ष में हम हैं उस खेत में भी प्रत्येक किसान और कारखाने में प्रत्येक मजदूर सिपाही है। लड़ाई के अतिरिक्त हमारी युद्धकी कोशिश इस बात में है कि हम सदेव खेत में और कारखाने में अधिक से अधिक उत्पादन करें। यह कोशिश हमारे विकास पर निर्भर है आज हम दस या बारह वर्ष पहले से खेत और कारखाने में वैसी कोशिश करने के लिए अधिक योग्य है। यह बात निःसन्देह है। अभी हम ने काफी विकास नहीं किया है। आशा है कि इस संकट के कारण हम अधिक तेजी से विकास करेंगे? इस बात क. हमेशा याद रखना है कि आज फौज आधुनिक हथियारों से लड़ती है जो हथियार देश में ही बनाने हैं। यह बात उद्योग के विकास पर निर्भर करती है। और उस उद्योग की बुनियाद कृषि पर है। यदि हम ने सफल होना हैं तो कृषि और उद्योग जो हमारे पंचवर्षेय योजना में बुनियादी चीज़ें है उन के अतिरिक्त सभी बातों में हम ने विकास करना है। बिजली युद्ध की कोशिश के लिय उद्योग और कृषि के लिये बहुत आवश्यक है। अतः पंच वर्षीय योजनाओं को समाप्त करने के लिए कहना अपनी शक्ति के असली साधनों को न समझना है। हमें पंचवर्षीय योजना को कार्यान्वित करना है और कई बातों में लक्ष्यों से आगे बढ़ना है। कुछ अनावश्यक बातों को हम छोड़ सकते हैं, परन्तु पंच वर्षीय य जना की मुख्य बातों के लिए हमें पूरी कोशिश करनी है मुख्य चीजों में कृषि बहुत महत्वपूर्ण है। द्यन्नों की कमी होते हुए देश कैसे लड़ सकता है? मेरे विचार में हमें खाद्यान्न की कमी नहीं होगी। हम ने अधिक से अधिक उत्पादन करना है जो कि कठिन बात है। पंचवर्षीय योजना में हम ने कृषिउत्पादन के लिए ध्येय भी निर्धारित किए हुए हैं, परन्तु पिछले एक दो वर्षों से बाढ़ और अन्य कारणों से हम अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाए है?

यद्यपि हम अपने ध्येय से पीछे हट गऐ हैं हमें तृतीय योजना के ध्ययों से भी अधिक उत्पादन करना है और मुझे यकीन है कि हम कर सकेंग । यदि खाद्य मंत्रालय के कार्यालय में ध्येय निर्धारित करे तो हम आसानी से उन्हें नहीं पूर्ण कर सकते । हमें किसान के पास जाना है और उस के वर्तमान कोटा और शक्ति को अधिक उत्पादन के लिए प्रयोग में लाना है । लोगों की और किसानों की जिन्होंने अपना सहयोग दिया हैं प्रतिक्रिया से अधिक प्रसन्नता देने वाली और उत्साह देने वाली कोई बात नहीं है । उन्हें उस प्रतिक्रिया को अधिक उत्पादन में ही बदलना चाहिए ? मुझे विश्वास है कि यदि हम ठीक प्रकार से उन के पास जाए तो वे ऐसा कर सकते है । उद्योग और शिक्षा की तरह कई अन्य चीजों में के सम्बोधन में भी ऐसा ही किया जा सकता है । हमें उन सब को युद्ध की कोशिश का अंग मानना है । इस तरह से हम न केवल अपने राष्ट्र का अधिक तेजी से निनर्माण कर सकते हैं परन्तु इसे अधिक शक्तिशाली , अधिक समाजवादी विचारों वाला बनाएंगे और समाजवादी ढांचे की बुनियाद डालेंगे ।

यह खतरा जिसका हमें सामना करना है एक गम्भीर आतंक है । इस चुनौती को अपनी प्रगति के लिए और हमारी सीमाओं पर आच्छादित काले बादल को इस देश में न केवल स्वतंत्रता अपितु कल्याण के उज्जवल सूर्य में बदलने के लिये एक अवसर बताया जा सकता है ।

हमें इसे समूचे राष्ट्र के प्रयत्न के रूप में देखना हो । । कुछ लोग कहते हैं कि हम सैनिक राष्ट्र बनना चाहते हैं, हम वस्तुत: यह चाहते हैं कि सारा राष्ट्र इस महान कार्य के लिये तैयार हो और वे अलग अलग कार्य करें भले ही व ख हो या कारखानों में । इस प्रकार सब साथी मिल कर राष्ट्र को सुदृढ़ बनायेंगे तथा सफलता प्राप्त करेंगे । अतः हमें न केवल शस्त्रों से अपितु कृषि, उद्योग के साधनों से भी तत्पर रहना चाहिय ।

किसी व्यक्ति को इस कार्य की महत्ता कम नहीं समझनी चाहिये न इस संबंध में कोई भ्रांति होनी चाहिये । इसके लिये हमें लम्बे अर्से तक प्रयत्न करने की आवश्यकता होगी । तथा हमें इसके लिये प्राणापण से प्रयत्न करना है प्रतिरक्षा कोष इत्यादि के लिये कुछ दे देना ही पर्याप्त नहीं है । अपितु हमें अन्त तक सुदृढ़ और मजबूत बने रहना है । अतः हमें इस संकट का सामना करने के लिय न केवल आज ही तयारी करनी है अपितु भविष्य में भी सदैव तयार रहना है । तभी हमें वह निश्चय और शांति प्राप्त हो सकेगी जिसकी हमें आवश्यकता है । तो इसकी झलक लोगों के वर्तमान उत्साह से मिल गयी है, न केवल युवक अपितु बूढ़े और बच्चे सभी इस समय उत्साह से भरपूर हैं ।

अन्त में मैं अपने सनिकों के संबंध में भी दो शब्द कहना चहता हूं । ये सैनिक और वैमानिक असाधारण परिस्थितियों में लड़ रहे हैं, उनको हम बधाई देते हैं और अपनी सहायता का पूरा आश्वासन देते हैं । हम अथवा हमारे उत्तराधिकारी उन्हें कभी नहीं भूल सकेंग । मुझे विश्वास है कि इस संबंध में सभा के सभी पक्ष संगठित होकर खड़ रहेंगे तथा यह सिद्ध कर देंगे कि स्वतन्त्र भारत जिसने सदव शांति और मित्रता का पक्ष लिया है वह कभी इस प्रकार के आक्रमण को बरदाश्त नहीं कर सकता है । यदि हम शांति के लिये कार्य कर सकते हैं तो आक्रमण के समय भी हम डट कर मुकाबला कर सकते हैं ।

अतः मैं सभा से अनुरोध करता हूं कि ये संकल्प पारित किये जायें ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं इन दोनों संकल्पों को सभा पटल पर रखता हूं । माननीय सदस्य अपने स्थानापन्न प्रस्तावों को प्रस्तुत कर सकते हैं ।

†**डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी** : मैं स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या १ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : (केन्द्रपाड़ा) : मैं प्रस्तवा संख्या २ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : मैं संशोधन संख्या ४ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री किशन पटनायक** (सम्बलपुर) : मैं संशोधन संख्या ५ और ६ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री डा० उ० मू० त्रिवेदी** (मंदसौर) : मैं संशोधन संख्या ७ और ८ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री फ्रेंक एंथनी** (नाम निर्देशित–आंग्ल भारतीय) : मैं सशोधन संख्या १० प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री नी० श्री कान्त नायर** (क्विलोन) : मैं संशोधन संख्या ११ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री राम रतन गुप्त** : (गौंडा) : मैं प्रस्ताव संख्या १२ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री राम सेवक यादव** (बाराबंकी) : मैं संशोधन संख्या १३ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री पाराशर** (शिवपुरी) : मैं संशोधन संख्या १४ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री रंगा** (चित्तूर) : मैं संशोधन संख्या १५ और १६ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री प्रकाश वीर शास्त्री** (मैं संशोधन संख्या १७ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री शि० मूर्ति स्वामी** (कोप्पल) : मैं संशोधन संख्या १८ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री तिरुमल राव** (काकिनाडा) : मैं संशोधन संख्या १९ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री विभूति मिश्र** (मोतिहारी) : मैं संशोधन संख्या २० प्रस्तुत करता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : उक्त उन दोनों संकल्पों तथा इन संशोधनों और स्थानापन्न प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा की जायेगी।

श्री बागड़ी (हिसार) : स्पीकर साहब, मैं यह दरख्वास्त करना चाहता हूं कि टाइम लिमिट चाहे कम रखी जाये, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आनरेबल मेम्बरों को बोलने का मौका दिया जाये, ताकि सारे देश के ख्यालात हाउस के सामने आ सकें। आप लीडर्ज को जरूर ज्यादा टाइम दें, लेकिन ज्यादा से ज्यादा मेम्बर्स को अपने विचार रखने का मौका दें।

अध्यक्ष महोदय : आज बिजिनेस एडवाइजरी कमेटी बठेगी, जिस में लीडर्ज आफ ग्रुप्स अपनी अपनी राय दे सकते हैं। उस वक्त हम फैसला करेंगे कि इस पर कुल कितना वक्त खर्च हो। जब तक वह कमेटी फैसला नहीं करती, तब तक इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है।

श्री हरिविष्णु कामत : मेरी तजवीज़ है कि आज चार बज बिजिनेस एडवाइजरी कमेटी की बठक हो।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। इसी को उस का नोटिस समझ लिया जाय। लीडर्ज आफ ग्रुप्स आज चार बज उस कमेटी की मीटिंग में तशरीफ लायें। मैं उन का मशकूर हूंगा। उस में हम इस बारे में फसला कर लेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

इस वक्त टाइम लिमिट आध घंटा होगी।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : (कलकत्ता-मध्य) : मैं अपने दल की ओर से इस संकल्प का पूरा पूरा समर्थन करता हूं। सभा का यह कर्तव्य है कि वह देश को इस परिस्थिति की गम्भीरता से परिचित करवाये। निसंदेह इस संबंध में सोच विचार करने में हमने कुछ समय लिया है तथापि एक बार निश्चय करने पर हम इस विषय में अपना पूरा पूरा सहयोग देंगे।

हमें यह स्वीकार करना चाहिये कि स्वतन्त्रता के पश्चात से हमें पहिली बार एक महान संकट का सामना करना पड़ रहा है। तथापि मैं अपने दल की ओर से यह घोषणा करता हूं तथा हम उन सभी व्यक्तियों से सहमत हैं जो इस समय प्रधान मंत्री द्वारा अनुसरण की जा रही नीतियों का समर्थन करते हैं। चीन ने हमारे सीमान्त पर जो आक्रमण किया है उसका तनिक औचित्य नहीं है। साथ ही हम यह आशा भी करते हैं कि विश्व मत इस विषय पर और प्रबलता से व्यक्त होगा। दोनों में पूरे पैमाने पर युद्ध छिड़ जाने का विचार निसंदेह बहुत खतरनाक है तथा केवल हमारी सरकार द्वारा ही इस समय सम्मानपूर्वक शांति पर जोर दिया जा रहा है। प्रधान मंत्री आज भी इस बात पर जोर दे रहे हैं। इसी लिये यद्यपि हम पुरजोर यह बात कह रहे हैं कि हम पूरी ताकत से मातृभूमि की रक्षा करेंगे साथ ही हम यह भी कहना चाहते हैं कि हम देश में एक ऐसी एकता पदा करेंगे जो कि हमें इस संकट का सामना करने के लिये बल प्रदान करेगी।

अब मैं उस नीति को लेता हूं जिसका प्रधान मंत्री अमल में लाना चाहते हैं। जैसे उन्होंने अनुरोध किया है हमें इस संकल्पों का समर्थन करना चाहिये। प्रतिदिन के कार्य संचालन तथा संगठन कार्य में परिवर्तन करने का काम प्रधान मंत्री पर छोड़ दिया जाना चाहिये। ऐसा करना आवश्यक समझा गया है। लोग पूरे तौर पर उनके पीछे हैं। प्रधान मंत्री ने बातचीत के लिये जो ८ सितम्बर वाली बात कही है हम उसका पूरी तरह समर्थन करते हैं।

प्रधान मंत्री ने औद्यागिक और कृषि उत्पादन को बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया है वह समय को देखते हुए बहुत उचित है। देश के मजदूर इस समय की गम्भीरता को पूरे तौर से अनुभव कर रहे हैं तथा वे प्रत्यक संभव सहयोग देंगे हमें इस बात का पूरा पूरा विश्वास है।

तथापि सरकार को मुनाफाखोरों, काला बाजार करने वालों तथा पूंजीपतियों से सावधान रहना चाहिये। सरकार को इन तत्वों पर पूरा नियन्त्रण रखना चाहिये। जिस से कि यह लोग मौके से लाभ उठा कर देश के हितों को ठेस पहुंचाने का कोई कार्य न करें। जनता को यह आश्वासन दिया जाना चाहिये कि सामान्य जरूरत की चीजों के मूल्य स्थिर रखे जायेंगे।

इस संबंध में मुझे आशा है कि प्रो० महालानोबिस समिति का प्रतिवेदन शीघ्र प्रस्तुत किया जायेगा जिससे कि उसके आधार पर हम नीतियां निश्चित कर सकें।

अभी अभी कुछ पूंजीपति इस बात पर कहने लगे हैं कि लोगों को समान त्याग करना पड़ रहा है। ऐसी कोई चीज नहीं है। इस प्रकार की भावना का अन्त किया जाना चाहिये।

यह बात जानकर अत्यन्त प्रसन्नता है कि इस संकट काल में भी प्रधान मंत्री नेहरू ने देश की तटस्थता की नीति को कायम रखा है। वस्तुत: इस बात के प्रयत्न किये जा हे हैं कि भारत इस नीति से च्युत हो जाये। हमारा देश किसी गुट की दया पर निर्भर नहीं रहेगा। तटस्थता की नीति हमारे समाजवादी समाज की रचना के प्रयास का अभिन्न अंग है तथा हमें उस पर कटिबद्ध रहना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हो० ना० मुकर्जी]

पंचशील का आज दुनिया मजाक उड़ाने लगी है। भले ही पंचशील के संबंध में चीन ने कुछ भी किया हो यह ऐसी वस्तु है जो संसार के दुखों को दूर कर सकती है। इसी सिद्धांत को लेकर हमने पहिले युद्ध जीता था तथा इस समय भी इसके आधार पर ही हम युद्ध कर रहे हैं।

मुझे यह संवाद देख कर दुःख हुआ कि हमारे दल के बहुत से सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। मैं नहीं जानता कि इसका क्या कारण है। यदि कुछ लोगों को हमारे कथन पर विश्वास नहीं है तो भविष्य उनको यह सिद्ध करेगा कि हम अपने कथन के सच्चे हैं तथा जो कुछ हम कहते हैं उस पर अमल करते हैं। हमारा दल अनुशासन बद्ध है तथा हम कह कर उससे फिसलने की बात नहीं जानते हैं।

जब एक ओर प्रधान मंत्री देश में एकता की बात कह रहे हैं तो आप उन्हें हटाने की नीति का व्यवहार कर रहे हैं। यह अनुचित है कि हमारे विरुद्ध अब भी कोई कार्य किया जाये जब कि हम आपको सब कुछ खुलासा कह चुके हैं और अतना संकल्प पारित कर चुके हैं। अतः मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि सरकार इस समय साम्यवादियों के विरुद्ध जो कार्यवाही कर रही है वह अवांछनीय है।

वर्तमान संकट के समय हमें इस प्रकार काम करना चाहिये कि दुनियां को हमारी एकता का पता लगे और आपस में किसी प्रकार के भेदभाव की वृद्धि न होने पावे।

सभा में भी एसे प्रश्न नहीं उठाये जाने चाहिये जिनको सैनिक तथा राजनैतिक रूप से बहुत महत्व दिया जाता है उन पर यहां चिल्लाने से कोई लाभ नहीं है अपितु उन्हें प्रधान मंत्री वित्त मंत्री तथा उन के सहयोगियों को दिया जाना चाहिये।

हमें इस संकट के समय दलगत बातों का विचार त्याग देना चाहिये तथा अपने कर्त्तव्य का पूरा सच्चाई से पालन करना चाहिये। मुझे विश्वास है कि यदि हम भारत की महान परम्पराओ के अनुरूप कार्य करेंग तो हम इस संकट का सफलता से मुकाबला कर सकेंगे।

†**श्री रंगा** (तिरूपति): मैं सर्वप्रथम उन जवानों को अपनी श्रद्धाजलि अर्पित करना चाहता हूं जिन्होंने मातृभूमि के लिये अपने प्राणों का अर्पण कर दिया है।

साथ ही हमें इस समय उन गलतियों पर भी पश्चाताप करना चाहिये जिनके परिणाम-स्वरूप हमें इस संकट का सामना करना पड़ा है। मुझे उन तिब्बत वासियों के लिये हार्दिक सहानुभूति है जिन्हे अपनी स्वतंत्रता से हाथ धोना पड़ा है।

माननीय श्री ही० ना० मुकर्जी ने पंचशील का उल्लेख किया था। उसके सम्बन्ध में आचार्य कृपालानी ने यह कहा था कि इसकी उत्पत्ति तिब्बत पर कब्जा करने के समय हुई। माननीय सदस्य चाहते हैं कि हम आज भी उसी पर चिपके रहें।

चीन तो हमें हमेशा अपनी आकाँक्षाओं के बारे में बताता रहा है। परन्तु हमने उसके आक्रमण को केवल घुसपेट ही समझा। हमने भगवान बद्ध की तरह व्यवहार करना चाहा परन्तु उसका जो परिणाम हुआ वह हमने २० अक्तू १९६२ को देख और हमारे

†मूल अंग्रेजी में

प्रधान मंत्री जी को कहना पड़ा कि हम तैयार नहीं थे। अब हमारे प्रधान मंत्री ने जो राष्ट्र अध्यक्षों के पत्र लिखे हैं उसे बहुत पहिले लिखा जाना चाहिए था। हमें अपने सभी मित्रों को अपनी स्थिति के प्रति जागरूक रखना चाहिए था। इसी तरह सब कुछ होते हुए भी हम अपने जवानों की जरुरतों को भी ठीक ढंग से पूरा न कर सके। खेद की बात है कि हम नेपाल और दक्षिण पूर्वी एशिया के राष्ट्रों को पूरी तरह अपने साथ नहीं रख सके। जिन लोगों की हमने सहायता की, जिनकी आजादी की लड़ाई में हमने पूरी सहायता दी, वे भी आज हमारे साथ नहीं। आखिर हमारी नीति में कुछ तो दोष होगा ? इस असफलता के कारण कभी न कभीं तो दिखाई दे ही जायेंगे। इससे अधिक मैं कुछ नहीं कहना चाहता। परन्तु अब कुछ आशा की किरण है। आशा करनी चाहिए कि लोकतंत्र की व्यक्तिवाद पर जो विजय हुई है, उसकी पृष्ठभूमि में हम उचित ढंग का प्रतिरक्षा मंत्रालय का नेतृत्व निर्माण कर सकेंगे।

मेरा निवेदन है कि हमारे प्रधान मंत्री जी ने अपने स्पनों की असफलताओं को स्वीकार ये कर के अच्छा ही किया है। स्वप्न कभी सच्चे नहीं होते। हमारे देश के नेताओं के इस तरह के स्वप्न देख कर बाहर के लोग हैरान होते हैं और कहते हैं कि किस तरह के लोग भारत का नेतृत्व कर रहे हैं। अच्छा हुआ हमने आपातकालीन स्थिति की घोषणा कर दी। गत सत्र में भी हमारे नेता श्री प्र० के० देव ने यह मांग की थी कि सरकार को चीन से कूटनीतिक सम्बन्ध विच्छेद कर के युद्ध स्थिति की घोषणा कर देनी चाहिए। मुझे याद है प्रधान मंत्री ने उनका मजाक उड़ाया था और उन्हें लड़ाई की बातें फैलाना वाला तक कह दिया था। मुझे हर्ष है कि आज युद्ध में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रधान मंत्री और सरकार जनता से सहयोग की मांग कर रहे हैं। और उन्होंने इस बात पर सहमति प्रकट की कि राष्ट्रपति आपातकालीन स्थिति घोषित कर दें।

इस बात के बावजूद कि जनता को यह आश्वासन दिया जा रहा है कि जब तक हम इस युद्ध विजयी नहीं हो जाते हम युद्ध जारी रखेंगे। परन्तु हमारे मित्र बार बार शांति शांति की बात प्रधान मंत्री को याद दिला रहे हैं। हमें यह बात याद रखनी चाहिए कि जब युद्ध जीत लिया जाता है तो शांति की स्थापना तो होती ही है। जब जापान हार गया तो चीन में शांति की स्थापना तो हुई ही थी। हमें सोचना है कि हम किस प्रकार की शांति चाहते हैं। बातचीत करने की आवाजें भी उठ रही हैं। समझ में नहीं आ रहा कि यह सब क्यों? हम किस आधार पर और क्या बातचीत करना चाहते हैं। इन मामलों में तो कुछ स्पष्टतः से काम लिया ही जाना चाहिए। हम यह चाहते हैं कि चीनी यहां ५ वर्ष, चार वर्ष अथवा दो वर्ष पहिले थे वहां चले जायें। मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि देश के करोड़ों लोगों की यही आकांक्षा है कि जब तक चीनियों के कब्जे में भारत की एक इंच भूमि भी है उनसे कोई बातचीत नहीं हो सकती। सरकार को इस बात की ओर पूरा ध्यान देना चाहिये।

प्रधान मंत्री का कहना है कि हम युद्ध के अभ्यस्त नहीं हैं। परन्तु मेरा निवेदन है कि हम इंग्लैंड की तरह युद्ध कालीन नेतृत्व की प्रणाली अपना सकते हैं। चीन ने हमारे पर आक्रमण कर दिया है तो हमें युद्ध के वातावरण से परिचित होना ही होगा। खेद है कि आज देश में वह वातावरण निर्माण नहीं हो सका। यह कहना ठीक नहीं कि हम ४० करोड़ हैं और वे ६० करोड़ हैं। हमें तो संघर्ष की पूरी तैयारी करनी चाहिये और सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के निर्माण की व्यवस्था करनी चाहिए। हमें शक्तिशाली बनना होगा। परन्तु प्रश्न है कि क्या हम तटस्थता की नीति को अपनाते हुए शक्तिशाली बन सकते हैं। आज श्री

[श्री रंगा]

मुकर्जी और उनके तत्व को मानने वाले सभी कह रहे हैं कि यह तटस्थता का आधार हमारे देश की संस्कृति है। मुझे आश्चर्य होता है कि हमारे मित्रों को आज भारतीय संस्कृति की याद कैसे आ गयी। हमें एक बात स्पष्ट समझ लेनी चाहिए कि हमें कोई लाभ नहीं हुआ है। हमें उन सभी राष्ट्रों का धन्यवाद करना है जिन्होंने आवश्यकता के समय हमें सहायता दी है। आज हमारे सामने एक ही योजना और एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि 'हमें युद्ध जीतना है।' हमारी सभी गतिविधियों की दशा बस इसी ओर होनी चाहिए।

पाकिस्तान का व्यवहार ठीक नहीं। उसका ढंग संसार भर के लोक तंत्र के लिये खतरनाक है। परन्तु हमें याद होना चाहिए कि जब पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने दोनों देशों की सामान्य प्रतिरक्षा की बात की थी तो हमें यह बात पसन्द नहीं आई थी। हमें प्रयत्न करना चाहिए कि दोनों देशों के विवाद का कोई हल निकल आये, और दोनों में कोई समझौता हो जाये। दो मोर्चों पर हमारे लिए लड़ना कठिन होगा। आज पाकिस्तान के नेता चीन की नकल कर के हमारी कठिनाइयों का लाभ उठाना चाहते हैं।

हमारा दल, लोक तंत्र में एक विरोधी दल की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए संसद् में है। हमें यह जिम्मेदारी पूरी करनी है। हम सरकार की भूलों पर चुपचाप नहीं बैठ कसते। हम सरकार की आलोचना करना नहीं छोड़ सकते। परन्तु इसका यह मतलब कदापि नहीं कि देश की रक्षा के मामले में किसी से पीछे हैं। हमें अपने राष्ट्र के साथ खड़े हो कर पूर्ण शक्ति से आक्रमणकारी का मुकाबला करना है। इस मामले में हम सरकार के साथ हैं और उन समस्त राजनीतिक दलों के साथ हैं जो ईमानदारी से आज देश रक्षा की कार्यवाहियों का समर्थन कर रहे हैं। इस दृष्टि से मैं अपने देशवासियों को अपनी श्रद्धा के फूल भेंट करता हूं और उनके प्रति आभार प्रदर्शन करता हूं। सभी दलों ने इस मामले में अपने कर्त्तव्य का पालन किया है। सारे राष्ट्र में एक जागृति की लहर दौड़ गयी है। और मुझे इस बात का हर्ष है कि हमारे प्रधान मंत्री ने इस जागृति के अस्तित्व को, स्वीकार करते हुए इसे संकल्प में स्थान दिया है। आशा है कि आने वाली पीढ़ियां यही कहेंगी कि जब देश पर संकट आया था तो हमारे नेताओं ने ठीक ही रास्ता अपनाया था, और एक लम्बे संघर्ष के लिए अपने आप को तैयार कर लिया था।

†**श्री उ० न० ढेबर** (राजकोट) : आज देश को जिस महान संकट का सामना है उसके सम्बन्ध में आपने मुझे अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं। शायद सदन को इस प्रकार के संकट का सामना कभी भी नहीं करना पड़ा होगा।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

यह समस्या बड़ी विकट है। श्री रंगा कुछ बातें कह रहे थे। मैं इसे स्वीकार करता हूं कि लोकतंत्र में विरोधी दलों का कुछ स्थान होता है। परन्तु आज जो स्थिति है उसे देखते हुए हमें तनिक जिम्मेदारी से काम लेना चाहिए। आज हमें विरोध करने की नहीं प्रत्युत संगठन करने की बात सोचनी चाहिए। आज हमें मतभदों को भुला कर प्रधान मंत्री को पूर्ण सहयोग देना चाहिए। मतभदों की बातें हम बाद में भी कर सकते हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पंचशील समाप्त

---

†मूल अंग्रेजी में

नहीं हुआ। पंचशील तो संसार की आवश्यकता है। आज हम चीन का विरोध केवल इस लिए कर रहे हैं क्योंकि वह पंचशील को भंग कर रहा है। भारत तो शांति प्रिय देश है और वह शांति के नाम पर आत्मसमपर्ण नहीं करेगा। आज देश की रक्षा की भावना सारे देश में दिखाई देती है। युद्ध के मैदान में भी हमारे जवान देश के मान की रक्षा के लिये और बल के सामने न्याय की विजय के लिए लड़ रहे हैं।

यह ठीक है कि हम तैयार नहीं थे। अब हम पर अपने १५०० मील के सीमान्त की रक्षा का उत्तरदायित्व है। आज चीनियों का उद्देश्य तीन मित्र राज्यों अर्थात् नेपाल, भूटान और सिक्कम को घेरे में लेना है। तथा तिब्बत की भांति बाद में उन पर हमला करके प्रवेश करना है। उनकी दीर्घकालीन योजना "डिक्टेटरशिप' की स्थापना है जिससे बाद में वे "साम्यवाद' को फैला सकें। उसका दूसरा उद्देश्य भारत को दक्षिण पूर्वी देशों की नजरों में गिरा कर के उसे अलग-अलग कर देना है। उनका तीसरा उद्देश्य भारत की अर्थ-व्यवस्था को अस्त-व्यस्त कर देना जिससे यह देश उनके मित्रों के लिए अच्छा स्थान बन सके। हमें अपनी नीतियों को केवल वर्तमान खतरे का सामना करने के विचार से ही नहीं, अपितु भविष्य के विचार से भी बनाना चाहिये।

साम्यवादी दल को हड़तालों के बारे में अपनी नीति स्पष्ट करनी चाहिय। भारतीय मजदूर संघ (आई० टी० यू० सी०) को वर्तमान संकट में किसी हड़ताल न करने का वचन देना चाहिये। उसे मूल्यों के प्रश्न का भी अनुचित लाभ नहीं उठाना चाहिये। समय आ गया है कि सरकार अपने व्यय के आकार पर विचार करे तथा समस्त अनावश्यक खर्चे को बन्द कर दे। कई ऐसे सरकारी विभाग हैं जिन्हें इस समय बन्द किया जा सकता है। कई दूसरे विभागों में कई सुविधाओं को बन्द किया जा सकता है। उदाहरणार्थ सामुदायिक विकास विभाग अपनी ६,००० जीप गाड़ियों का त्याग कर सकता है।

हमें नेपाल, भूटान, सिक्कम तथा दक्षिण पूर्वी देशों के साथ अपने सम्बन्धों पर पुनः विचार करना चाहिये। यदि कोई गलतफहमीयां हों तो समय है कि उन्हें दूर किया जाये। शांति समय की अर्थ-व्यवस्था को नया रूप देने के लिये भी प्रयत्न किए जाने चाहिये जिससे हम बिना किसी कठिनाई के युद्ध-कालीन अर्थ-व्यवस्था को अपना सकें। इस बारे में सरकार बिना बाजी के सुझावों पर विचार करे।

हमें पूर्ण विश्वास है कि हम चीनियों को खदेड़ देंगे। कोई भारतीय कहने वाला इन्सान उनके समक्ष आत्म समर्पण नहीं करेगा। पूरी शक्ति से हम अपनी स्वतन्त्रता के लिये लड़ेंगे जो कि हमने १९४७ में प्राप्त की :

डा० गोविंद दास (जबलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक हम कांग्रेस वालों का सम्बन्ध है वहां तक हम तो अपनी सरकार और प्रधान मंत्री जी के साथ है ही परन्तु आज सारा देश उन के साथ है। जो समर्थन उन को इस समस्त देश से प्राप्त हुआ है वह एतिहासिक समर्थन है। मैं तो यहां तक कहने के लिये तैयार हूं कि वैसा समर्थन जिस समय हम अंग्रेज सरकार से लड़ते थे और इस देश में स्वराज्य की स्थापना करने का प्रयत्न करते थे उस समय भी नहीं मिला जैसा समर्थन कि आज उन्हें और उन की सरकार को मिल रहा है।

श्री ही० ना० मुकर्जी ने अपने साम्यवादी दल की ओर से भी उन के प्रस्ताव का समर्थन किया है। परन्तु उस समर्थन में उन्होंने जो भाषण दिया उस भाषण को थोड़ा ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिये। एक बात जो उन्होंने उस भाषण में कही उससे उन का समर्थन बहुत दूर तक धुल जाता है। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि चीन के मोटिव्स चाहे कुछ भी हों, यही तो सब से बड़ा झगड़ा

[डा० गोविंद दास]

इन वर्षों में रहा है कि हम सदा कहते रहे है कि चीन ने हमारे ऊपर आक्रमण किया है जिसे कि साम्यवादी दल ने नहीं माना और आज इस स्थिति के होने के बाद भी श्री मुकर्जी और उन का दल चीन के क्या मोटिव्स हैं इस सम्बन्ध में कोई जिक्र नहीं करना चाहते। बात यह है कि उन का दल कुछ ऐसा दल है जो कभी भी इस भूमि को अपनी मातृभूमि नहीं मानता रहा है और जिसकी दृष्टि हमेशा मास्को और पेकिंग की ओर रही है। गत स्वातंत्र्य युद्ध के समय भी इस दल ने क्या किया था यह हमारे सामने है। इस दल का इतिहास ही कुछ देशप्रेम का इतिहास नहीं रहा है बल्कि जिसका कि इतिहास देशद्रोह का इतिहास कहा जा सकता है। इसलिये मैं एक बात कहना चाहता हूं कि उन के समर्थन के बावजूद भी उन का दल क्या करता है उस पर हमें कड़ी नजर रखनी होगी ।

आज इस देश के समस्त दलों ने हमारे प्रधान मंत्री का सर्वसम्मति से समर्थन किया है। लेकिन साम्यवादी दल में जब इस सम्बन्ध में मत लिये गये तो आप जानते हैं कि एक तिहाई मत विरुद्ध थे। हमारे ऊपर जो आक्रमण हुआ है उस सम्बन्ध में स्पष्ट घोषणा करने के बारे में जब मत लिये गये तो मैंने यह पढ़ा कि ६० उस के पक्ष में थे और ३० उस के विरुद्ध थे। इसलिये में कहना चाहता हूं कि हमें इस सम्बन्ध में बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है।

श्री रंगा का भाषण भी मैंने बड़े ध्यान से सुना। जहां तक पंचशील का सम्बन्ध है श्री ढेवर भाई ने उस का बड़ा सुन्दर उत्तर दे दिया है। पंचशील एक ऐसा सिद्धान्त है जो केवल हमारे देश से ही सम्बन्ध नहीं रखता वरन् सारे संसार से सम्बन्ध रखता है। जब इस प्रकार की आपत्तियां आयें और उन आपत्तियों के काल में भी हम अपने सिद्धान्तों पर डटे रहें तभी उन सिद्धान्तों की कुछ कीमत रहती है। रंगा जी ने कहा कि जवाहरलाल जी उन्हें आज स्फूर्ति नहीं देते। उन्होंने कहा कि गांधी जी के समय गांधी जी से ही नहीं वरन् जवाहरलाल जी से भी उन्हें स्फूर्ति मिलती थी। मुझे उन की यह बात सुन कर आश्चर्य हुआ। जवाहरलाल जी आज समूचे देश को किस प्रकार की स्फूर्ति दे रहे हैं वह आज देश की परिस्थिति में एक अंधा आदमी भी जान सकता है। आज यदि जवाहरलाल जी हमारे प्रधान मंत्री न हों तो हमारे देश की क्या दशा हो इस की कल्पना उन्हें करनी चाहिए ।

नौन एलाइनमेंट की पालिसी के सम्बन्ध में उन्होंने एक बड़ी विचित्र बात कही। उन्होंने कहा कि नौन एलाइनमेंट की पालिसी हमारी संस्कृति के विरुद्ध है। मेरी समझ में इन की यह बात नहीं आई। कम से कम संस्कृति के सम्बन्ध में मैं एक छोटा सा विद्यार्थी रहा हूं। प्रोफेसर रंगा यहां इस समय मौजूद नहीं हैं। मैं उन से पूछना चाहता हूं कि सम्पूण इतिहास में एक दृष्टान्त भी वह इस बात का बतला दें कि हम ने किसी दूसरे देश पर किसी दूसरे देश के साथ रह कर आक्रमण किया हो, या किसी भी मामले में हम ने सत्य और न्याय को छोड़ कर किसी एक देश के समर्थन में किसी दूसरे देश का विरोध किया हो। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतिहास का एक छोटा सा विद्यार्थी हूं। मैं कहना चाहता हूं कि हमारा सारा इतिहास नान-एलाइनमेंट पालिसी का इतिहास है।

माननीय सदस्य, प्राफेसर रंगा ने हमारी योजना के सम्बन्ध में जो बात कही है, उस से मैं बिल्कुल सहमत हूं। मैं उन से बिल्कुल सहमत हूं कि इस वक्त हमारी योजनायें इस प्रकार की बननी चाहिये कि जो हमारी विजय की योजनायें हों, आज चारों तरफ से हम जिन शत्रुओं से घिरे हुए है, उन से इस देश के बचाव की योजनायें हों। माननीय सदस्य, श्री ढेवर ने इस सम्बन्ध में बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे हैं।

मने अभी आप से निवेदन किया है कि मैं इतिहास का एक छोटा सा विद्यार्थी रहा हूं। जहां तक भारत की जनता का सम्बन्ध है, वह सदा बड़ी स्वातंत्र्य-प्रेमी जनता रही है। सब से पहले इस देश पर आक्रमण हुआ ईरान से काइरस का और काइरस को धराशायी होना पड़ा भारत की सीमा पर। इस को धराशायी किया दरबिकी और मसगेत नामक आदिवासी जातियों ने। उसके बाद यूनान का आक्रमण हुआ और अभी इतिहास के सम्बन्ध में जो खोजें हुई है, उन से प्रकट होता है——केवल हमारे इतिहास से ही नहीं, बल्कि यूनान के इतिहास से भी यह बात सिद्ध होती है——कि सिकन्दर यहां जीतकर नहीं, हार कर गया था। उस के बाद सेल्युकस का आक्रमण हुआ और यह एक सर्वमान्य बात है कि सल्युकस को चंद्रगुप्त के सामने हारना पड़ा और उस को चन्द्रगुप्त के साथ अपनी कन्या का विवाह करना पड़ा। उसके बाद शक और हूण आए और वे भी इस देश में तब रह सके, जब वे इस देश में पच सके। उस के बाद मुसलमानों का आक्रमण हुआ। मुसलमानों का राज्य भी इस देश का राज्य हो गया था। जैसे ही औरंगज़ेब ने अकबर की नीति के विरोध में अपना शासन चलाया, वैसे ही मुसलमानी राज्य ख़त्म हो गया। फिर अंग्रेज़ यहां पर आए। १८५७ में हम ने उन से युद्ध किया; उस में हम असफल हुए, लेकिन उस के एक वर्ष बाद ही इस देश में कांग्रेस की स्थापना हुई। गांधी जी के नेतृत्व में हमने अंग्रेज़ों के विरुद्ध १९२० से १९४७ तक शान्तिपूर्ण युद्ध किया। सारी प्रजा ने वह युद्ध किया और इस देश में प्रजातन्त्र की स्थापना की। चाहे हम शताब्दियों तक पराधीन रहे हों, लेकिन हम ने देखा है कि भारत की प्रजा सदा स्वातंत्र्य-प्रेमी रही है। उसको स्वतंत्रता सदा प्रिय रही है। हजारों वर्षों के इतिहास में जो स्वातंत्र्य-प्रेम हम को दृष्टिगोचर होता है, वही स्वातंत्रय-प्रेम हम को आज दृष्टिगोचर हो रहा है।

चीन से हमारा २१०० वर्ष का संबंध रहा है, अच्छे से अच्छा संबंध रहा है। इतिहास साक्षी है कि हमारे और चीन के बीच कभी कोई लड़ाई नहीं हुई। आधुनिक काल में भी हम ने चीन का इतना समर्थन किया। साम्यवादी देशों को छोड़ कर शायद भारतवर्ष ही पहला देश था, जिस ने चीन की साम्यवादी सरकार को मान्यता दी। हम ने राष्ट्र संघ में भी चीन के प्रवेश के लिये प्रयत्न किया। इतने पर भी चीन ने हमारे साथ विश्वासघात किया। उस ने हमारी पीठ में छुरा भौंका है और एक शर्मनाक इतिहासिक कार्यवाही की है।

आज चीन मैकमाहन लाइन को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। जब से चीन का झगड़ा उठा है, मैंने कई बार इस सदन में कहा है कि अगर उस को मैकमोहन लाइन स्वीकार नहीं है, तो हमें भी उसे स्वीकार नहीं करना चाहिये। हमारे रामायण, महाभारत, पुराणों और काव्यों आदि में मानसरोवर और कैलाश का भारत के अंग के रूप में उल्लेख आया है। हम को कहना चाहिये कि हमको भी मैकमोहन लाइन स्वीकार नहीं है और हम भी आज मानसरोवर और कैलाश को अपने देश में लाना चाहते हैं।

गांधी जी अगर कोई गलती करते थे, तो वह उस को हमालयन ब्लंडर कह कर स्वीकार करते थे। जहां तक तिब्बत का संबंध है, हम ने एक गलती की कि हम ने तिब्बत पर चीन का आधिपत्य स्वीकार कर लिया। मैं उस को सदा गलती मानता रहा हूं। जब तिब्बत पर उसका अधिपत्य स्वीकार किया गया, तब भी मैं ने उस का विरोध किया था। तिब्बत पर चीनियों का आधिपत्य होने के बाद वे तिब्बत के साथ इस प्रकार का व्यवहार करेंगे और वहां पर खून की नदियां बहाई जायेंगी, यह हम ने कभी आशा नहीं की थी। उस के बाद चीन ने हमारे साथ जो व्यवहार किया, उस की भी हमें उम्मीद नहीं थी। इस बात पर आज हम को विचार करना है। अपने समर्थन में मैं इस देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति, राजेन्द्र बाबू, का भी मत रखना चाहता हूं, जो कि

[डा० गोविंद दास]

एक विचारशील और दूर-अंदेश व्यक्ति हैं । उन्होंने यह मत व्यक्त किया है कि बिना तिब्बत के स्वतन्त्र हुए भारतीय स्वतन्त्रता को हमेशा एक न एक दिन धक्का लगने का खतरा बना रहेगा ।

अन्त में मैं फिर यह कहना चाहता हूं कि आज सरकार को सारे देश का समर्थन प्राप्त है और प्रधान मंत्री, श्री जवाहरलाल नेहरू, को सारे देश का समर्थन प्राप्त है । यह हमारे सौभाग्य की बात है कि आज हमारे प्रधान मंत्री जवाहरलाल जी सदृश व्यक्ति हैं । मुझे पूरा विश्वास है कि जो व्यक्ति स्वतंत्रता के युद्ध में हमेशा गांधी जी का दाहिना हाथ रहा है, उसी व्यक्ति के नेतृत्व में हम इस लड़ाई में भी जीत कर रहेंगे । इस समय हम कुछ हट रहे हैं । वह एक स्वाभाविक बात है । १९१४ और १९३९ की लड़ाई में भी जर्मनी पहले आगे बढ़ा था । उस की तैयारी थी, लेकिन अन्त में उस को हारना पड़ा । मुझे विश्वास है कि पंडित जी के नेतृत्व में अन्त में हम जीतेंगे और चीन को हटा सकेंगे ।

पंडित जी ने जो प्रस्ताव उपस्थित किये हैं, मैं उन का हृदय से समर्थन करता हूं ।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** (मंदसौर) : मैंने पूर्ण रूप से जागरूक होकर ध्यान से वे प्रस्ताव पढ़े हैं जिन्हें हमारे प्रधान मंत्री महोदय ने यहां प्रस्तुत किया है । मेरा मत है कि इसमें से कुछ रह गया है । और उस कमी को मेरा संशोधन स्वीकार करके पूरा किया जा सकता है । यह बड़े ही आश्चर्य की बात है कि हमारी सरकार तैयार नहीं थी और हमारे प्रधान मंत्री इस तथ्य को स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं । पांच वर्ष से यह आक्रमण की स्थिति चल रही थी, परन्तु हमारे प्रधान मंत्री ने देश को तैयार ही नहीं किया । अब इस पर क्या कहा जाए । हमारे शांति प्रिय होने का कोई लाभ नहीं हुआ और आक्रमणकारियों ने हम पर हमला कर ही दिया ।

मैं प्रधान मंत्री की भूलों को बताना नहीं चाहता क्योंकि इससे संगठन में बाधा पड़ती है, परन्तु भूलें उन्होंने बहुत की हैं । हम अपने मतभेद भुला कर देश की रक्षा करना चाहते हैं । इस पर भी मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि चीन के जिस कृत्य को हमारे प्रधान मंत्री दुर्व्यवहार कहते हैं उसे अब वह हमला कह रहे हैं । यह शायद इस लिये कि हम निरन्तर बचाव का ही पक्ष नहीं लेते रहना चाहते । हमें भी चोट करके शत्रु को अपनी सीमाओं से बाहर करना ही होगा । इस पवित्र कार्य को करते हुए हमें अपने शत्रु पर कोई रहम नहीं खाना चाहिये ।

ऊपर से हम लड़ाई की बातें कर रहे हैं और अन्दर से हम किसी तरह का समझौता करने की बात सोच रहे हैं । मेरे विचार में हमें बातचीत करके समझौता करने की बात हर समय नहीं सोचनी चाहिये । हमें सारा ध्यान इस ओर लगाना चाहिये कि हम किस प्रकार अपने शत्रुओं को अपनी पवित्र भूमि से निकाल सकते हैं । और हमने बातचीत भी करनी है तो यह बातचीत बहादुरों की तरह होनी चाहिये, कायरों की तरह की नहीं । जब तक हम चीनियों को अपनी भूमि से निकाल नहीं लेते, बातचीत का कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होना चाहिये । शत्रुओं को बाहर धकेल देने के बाद ऐसे बहुत से अवसर आयेंगे जब हम उनसे बातचीत कर सकेंगे ।

हमने हमेशा चीन का साथ दिया । चाऊ-एन-लाई भारत आये तो उनका सार्वजनिक स्वागत किया गया । इस प्रकार का स्वागत उनका किसी भी स्थान पर नहीं हुआ । हम जोर जोर से हिन्दी चीनी भाई भाई चिल्लाते रहे । इस परिस्थिति में उसने हमारी पीठ में छुरा

---

†मूल अंग्रेजी में

भौंका। हमने संयुक्त राष्ट्र संघ में हमेशा चीन को स्थान दिलाने का प्रयत्न किया। आज तक किसी भी राष्ट्र ने इस प्रकार हम पर हमला करने का साहस नहीं किया जैसा कि चीन ने किया है। हमने किसी प्रकार की उत्तेजना भी किसी को नहीं दी। अतः हमें चीनियों को पवित्र हिमालय से निकालना है। इस बारे में मेरा इतना ही निवेदन है कि चीन के संदर्भ में जो महान भूलें हमारे प्रधान मंत्री ने की हैं उसे इतिहास भुला नहीं सकता। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सेठ गोविन्द दास ने इस बात को स्वीकार किया है कि तिब्बत को चीन को देकर हमने हिमालय जैसी भूल की है। हम अल्जीरिया पर तो आंखें दिखा सकते थे परन्तु जब तिब्बत का प्रश्न आया तो हम मौन धारण किये रहे। इस पर भी हम सारे एक राष्ट्र के रूप में अपने प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू के पीछे खड़े हैं, सब ने मतभेद भुला दिये हैं। हम सब का एक ही उद्देश्य है कि चीनियों को अपनी पवित्र भूमि से निकाला जाये। आज सारे देश में एक सांस्कृतिक एकत्व का निर्माण हुआ है। सारा राष्ट्र अपने उत्तरदायित्व के प्रति जागरूक हो उठा है और सब की यही एक आकांक्षा है कि हमने जो कठिन बलिदानों से स्वतन्त्रता प्राप्त की है उसे कायम रखा जाये। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारी शांति की इच्छा का अर्थ कमजोरी लगाया जा रहा है। और यह आशा करते रहना गलत होगा कि चीनियों के साथ कोई समझौता हो सकेगा। हमें अपनी समस्त शक्ति दुश्मन को अपने देश से खदेड़ देने में लगा देनो चाहिये तभी यह समस्या संपूर्ण ढंग से हल हो सकेगी।

सरकार को अपनी पिछली गलतियों को दोहराना नहीं चाहिये। समस्त देश उसके साथ है और आक्रमणकारी को निकाल फेंकने के लिये दृढ़ प्रतिज्ञ है। हमें उन लोगों से सावधान रहना चाहिये जो देश भक्त नहीं हैं और जो देश की मुक्ति" की बात करते हैं। हमें यह भी समझना चाहिये कि हमारे मित्र कौन हैं। पाकिस्तान से हम मित्रता की आशा नहीं कर कसते।

संकल्प में संशोधन किया जाना चाहिये। हमें उस समय तक बातचीत नहीं करनी चाहिये जब कि आक्रमणकारियों को अपने राज्यक्षेत्र से बाहर न कर दिया जाये।

हमें अपनी पिछली गलतियों से सबक लेना चाहिये जिनके कारण हम कोई भी तैयारी नहीं कर सके। प्रशासकीय व्यवस्था को चीन के साथ दीर्घकालीन युद्ध की आवश्यकताओं के अनुकूल बनाया जाना चाहिये। भर्ती के संबंध में शीघ्रता की जानी चाहिये। इस संबंध में हमें ग्रामीण क्षेत्रों पर अधिक निर्भर करना चाहिये। इस संबंध में नागरिक क्षेत्रों पर निर्भर करने से यह खतरा रहेगा कि सशस्त्र सेनाओं में गैर वफादार लोग न प्रवेश पा जायें। नागरिक सुरक्षा के लिये पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिये।

मैं पुनः यह बात कहता हूं कि मैं ने जान बूझ कर सरकार द्वारा की गयी महान भूलों के बारे में कुछ नहीं कहा। न मैं कुछ कहना ही चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि इस संकट के काल में हम अपने मतभेद भूल जायें। हमें अपने उन मित्रों का भी धन्यवाद करना चाहिये जो तुरन्त हमारी सहायता को आये हैं। और आवश्यकता के समय पर हमारा साथ दे रहे हैं। उन जवानों को भी नहीं भूलना चाहिये जो कि देश के लिये अपना सर्वस्व त्याग रहे हैं। अन्त में मैं अपने दल की ओर से सरकार को यह विश्वास दिलाता हूं कि जब तक हम चीन को अपनी भूमि से बाहर नहीं निकाल जाते, हम सरकार को अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे। और इस कार्य के लिये बड़े से बड़ा बलिदाल करने में भी संकोच नहीं करेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री फ्रैंक ऐन्थानी : उपाध्यक्ष महोदय, आज सारा राष्ट्र चीन के हमले के कारण हिल उठा है। उसने बिना किसी प्रकार की उत्तेजना के भारत पर आक्रमण किया है। आज स्थिति पर विचार करते हुये हमें अपनी जिम्मेवारी का पूर्ण रूप से अहसास करना चाहिये। भारत को आज एक ऐसे शत्रु से सामना करना पड़ रहा है जिसका कोई भी सिद्धान्त नहीं है। हमारा एक लक्ष्य रहना चाहिये कि हम आक्रमणकारी चीन को किसी न किसी प्रकार से देश की धरती से खदेड़ दें।

इसमें मुझे कोई सन्देह नहीं कि संकट के काल में सभी भारतीय अपने छोटे मोटे मतभेद भूल जायेंगे। इस समय हमें श्री जवाहरलाल नेहरू के पीछे एक राष्ट्र के रूप में खड़े हो जाना चाहिये। चीन के इरादे बहुत समय पहले ही प्रकट हो गये थे। उस चुनौती का सामना करने के संमंबध में जो गलतियां हुई हैं उनको दोहराया नहीं जाना चाहिये। हमारी तटस्था की नीति को जो रूप दिया गया है वह गलत सिद्ध हुआ है जैसा कि इस तथ्य से स्पष्ट है कि हमारे पड़ोसियों में कटुता और अमित्रता की भावना उत्पन्न हुई है। पाकिस्तान हमारा शत्रु है, नेपाल का रवैया अमैत्रीपूर्ण है और लंका तथा बर्मा का उदासीनता पूर्ण। हमें पाकिस्तान के साथ तनाव दूर करना चाहिये और नेपाल तथा अन्य पड़ोसी देशों के साथ मित्रतापूर्ण संमंध बनाने चाहियें। हमने तिब्बत पर चीन का आधिपत्य स्वीकार करके जो गलती की थी उसी का फल हम भुगत रहे हैं। हमने चीनीयों को अपने पर आक्रमण करने का अड्डा दे दिया है। हम तो जैसे स्वप्न लोक में विचरण करते रहे हैं। यथार्थ को देखने का हमने कभी प्रयत्न नहीं किया।

मलाया के प्रधान मंत्री ने ठीक हीकहा है कि जब चीन ने तिब्बत पर कब्ज़ा किया था तो हम अच्छी तरह समझते थे कि वह अब भारत की सीमाओं की ओर बढ़ेगा। हमने दो बार संयुक्त राष्ट्र संघ में तिब्बत के प्रश्न को प्रस्तुत किया परन्तु भारत ने हमारा समर्थन ही न किया। इस वर्ष भी हम तिब्बत के प्रश्न को वहां उठाना चाहते थे परन्तु हमें डर था कि भारत का समर्थन प्राप्त नहीं हो सकेगा। अतः हमने ऐसा नहीं किया। मेरा निवेदन यह है कि मैं तटस्थता की नीति पर आक्षेप नहीं करना चाहता परन्तु हमें गत १२ वर्षों में जो कुछ प्राप्त हुआ है उसे अवश्य अपने सामने रखना चाहिये। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि गत कई वर्ष के अनुभव के बाद हमें यह भी पता लग जाना चाहिये कि चीन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। अतः हमारा चीन से यह कहना कि यदि वह ८ सितम्बर १९६२ की लाइन तक हट जाय तो हम बात करने के लिए तैयार हैं, उचित दिखाई नहीं देता। मुझे तो ऐसा लगता है कि ऐसा कर के हम भारत पर चीन के अतिक्रमण का समर्थन करते हैं। मेरा तो स्पष्ट मत है कि हमें उन के साथ उन शरतों पर कोई बात चीत नहीं करनी चाहिये।

इस के साथ ही हमें यह भी साफ़ समझ लेना चाहिये रूस चीन के मुकाबले में हमारी सहायता नहीं कर सकता। वह स्पष्टतः चीन के साथ है। और हमें उसकी सहानुभूति के पात्रों के सम्बन्ध में कोई गलती नहीं करनी चाहिये। यदि भारत में लोकतंत्र समाप्त हो गया तो सारे एशिया में ही ही उसकी समाप्ति समझनी चाहिये। चीन के हमले को रोकने के लिये हमें जो कुछ करना चाहिये उस सम्बन्ध में मैं ने अपना संशोधन प्रस्तुत किया है। हमें राष्ट्र को चीन के साथ पूर्ण युद्ध केलिये तैयार करना चाहिये तथा इस के लिये उन प्रजातांत्रिक देशों की सहायता प्राप्त करनी चाहिये जो भारत की पूर्व में प्रजातंत्र के अन्तिम स्तम्भ के रूप में रक्षा करने का प्रयत्न कर रहे हैं। हमें यह समझना चाहिये कि चीन के साथ सीमित युद्ध का विचार गलत है। पूर्ण युद्ध अनिवार्य है। सरकार को किसी प्रकार का नर्म व्यवहार नहीं करना चाहिये। भारत की जनता यह बिल्कुल नहीं चाहती कि चीनियों के साथ किसी प्रकार की भी बात-चीत की जाये। हमारा तो केवल एक ही लक्ष्य होना चाहिये कि हमने अपनी पवित्र भमि से खदेड़कर उन्हें बाहर निकालना है।

†श्रीमती रेणुका राय (मालदा): कुछ लोग कहते हैं कि चीन समाजवादी होने के कारण विस्तारवादी नहीं हो सकता । चीन समाजवादी नहीं है साम्यवादी है क्योंकि समाजवादी देश लोकतन्त्रात्मक होते हैं ।

यह ठीक है कि नेफा में हम लड़ने के लिए त्यार नहीं थे, क्योंकि हमें विश्वास था कि वे लद्दाख का क्षेत्र भी लेना चाहते हैं । आरम्भ में जो जवान पर्याप्त हथियारों के बिना बहादुरी से लड़े उन का नाम भारत के इतिहास में सुनहरी शब्दों में लिखा जाएगा। जो गलतियां हो गईं उन के बारे में हमें अधिक समय नहीं बर्बाद करना चाहिए।

लोगों में जो जोश है वह बड़ा उत्साहप्रद है । हमें उसका उचित लाभ उठाना चाहिये । यदि हम उस का प्रयोग नहीं करते तो सारा जोश कम हो जाएगा ।

हमें अपना व्यय कम करना चाहिए । मैं प्रधान मंत्री से सहमत हूं कि यह कहना गलत है कि हमें अपनी योजनाओं को खत्म कर देना चाहिए।

योजनाओं की सफलता पर युद्ध की सफलता निर्भर है । सरकार को फजूल के व्यय को कम करना चाहिये । हमारे सरकारी विभागों में मितव्ययता होनी चाहिये । तभी लोगों पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा ।

हमें भारत विरोधी प्रचार को रोकने की कोशिश करनी चाहिए । हमें आपात अध्यादेशों का जो शीघ्र कानून बनने वाला है प्रयोग करना चाहिये । कलिम्पोंग और आसाम इत्यादि भी भारत विरोधी प्रचार बहुत अच्छा होता है ।

कम्युनिस्ट दल के सभी सदस्यों पर आरोप नहीं लगाना चाहिए । उन के दल ने अपने संकल्प में कहा है कि युद्ध की कोशिशों का समर्थन करते हैं ।

हमारा प्रचार बिल्कुल असफल है । यह बड़े दुःख की बात है कि जब कि पीकिंग रेडियो अपने विचारों का खूब अच्छे ढंग से प्रचार करता है । आकाशवाणी उनके झूठ का भली प्रकार से विरोध नहीं करती है । आकाशवाणी पर भारत के जवानों की बहादुरी के बारे में बताया जाना चाहिये ताकि उस से लोगों को प्रेरणा मिले । लोगों से मिले गये धन इत्यादि के ब्यौरे देने में अधिक समय नहीं लगाना चाहिये ।

यहां तक कि विदेशों में प्रचार का सम्बन्ध है वह बिल्कुल नहीं के बराबर है । अतः इस मामले में भी शीघ्र ही प्रभावशाली कदम उठाने चाहिएं । आकाशवाणी को शीघ्र सही समाचार देने चाहियें । यदि सम्भव हो तो नौजवानों को रेडियो पर बुलाना चाहिये । इस से लोगों का उत्साह बढ़ेगा ।

चीन की स्थिति के बारे में लोगों को सही स्थिति से अवगत करना चाहिये । उनको वहां की आर्थिक स्थिति के बारे में बताना चाहिये ।

हमें अपनी तटस्थ नीति की प्रशंसा करनी चाहिये । यह नीति होते हुए भी अमरीका, इंगलैंड और कनाडा ने हमें हथियार दिए हैं ।

८ सितम्बर तक चीन की फौजों के हट जाने के प्रस्ताव का यह मतलब नहीं है कि जितना क्षेत्र उन के पास रह जाएगा हम उनपर उनका आधिपत्य मान लेंगे । चीन द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकार करने पर तो अशांति को समाप्त करने के लिये वार्ता होगी ।

---

†मूल अंग्रेजी

[श्रीमती रेणुका राय]

इस खतरे के समय भी हमें शांत रहना चाहिये। डरना नहीं चाहिए। हमें अपनी कठिनाइयों का सामना करना है । अतः अन्त में विजय हमारी होगी यद्यपि हमें कुछ असफलताएं भी मिलें।

†**श्री दासप्पा** (बंगलौर) : चीन के आक्रमण से देश में ऐसी एकता की भावना पैदा हुई है जो पहले कभी नहीं हुई है । यह देश के भविष्य के लिये बहुत लाभकारी है।

चीन के आक्रमण की बुराई पर अच्छाई निहित है। देश की एकता से लाभ उठा कर देश को इतना शक्तिशाली बना लेना चाहिये कि उसकी ओर कोई देख न सके ?

चीन ने जो हमारे साथ गद्दारी की है उस का कोई उदाहरण नहीं मिलता । हमारी उन के प्रति मित्रता होते हुए हमें उन से यह आशा कभी न थी ।

श्री ही० ना० मुकर्जी ने सरकार के संकल्प का जो समर्थन किया है, उन्होंने वह बहुत अच्छा किया है । उन्हें विदेशों से सहायता के बारे में कुछ कहना चाहिए था

यह लड़ाई भारत और चीन के बीच है न कि कम्युनिस्टों और भारत में। अतः चीन के अतिरिक्त अन्य कम्युनिस्ट देशों को चीन का समर्थन नहीं करना चाहिये ।

हमें अपनी तटस्थ नीति को नहीं बदलना चाहिये।

मैं जवानों को उन्हों को बहादुरी के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

हमारे पास अनुभवी जनरल हैं। यदि हम उन की सेवाओं का उपयोग करें तो हम चीनियों को बाहर निकाल सकते हैं।

हमें मितव्ययता की नीति अपनानी चाहिये ।

हमें अपने प्रचार की व्यवस्था को बढ़ाना चाहिये। हमें समाचारपत्रों के सहयोग की बहुत ही आवश्यकता है । आशा है कि समाचारपत्र इस संकटकालीन स्थिति में हमारी सहायता करेंगे ।

मैं प्रधान मंत्री को आश्वासन दिलाता हूं कि सारा देश उन के पीछे है। सारा देश इकट्ठा हो कर प्रत्येक कुर्बानी करने के लिये तैयार होगा।

†**श्री नी० श्रीकान्तन् नायर** (क्विलोन) : मैं उन जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने बड़ी बहादुरी से देश की रक्षा के लिए लड़ाई की है।

इस समय हमें अपने देश में जो देश द्रोही हैं उन से जागरूक रहना चाहिये। हमें समाजवाद की नीति को नहीं छोड़ना चाहिये ।

अब जब कम्युनिस्टों ने देश का साथ देने का निर्णय किया है तो हमें उन्हें देश की सहायता करने देनी चाहिये ।

मजदूरों ने सरकार का साथ देने का निर्णय किया है। सरकार को उन के हितों की रक्षा करनी चाहिये । उनकी असली मजदूरी व्यय कम होती जा रही है ।

मूल अंग्रेजी में

जो संसद् सदस्य कुछ शक्ति रखते हों उन्हें सीमा पर भेज देना चाहिये ताकि वे वहां जवानों को मिलें और उन के बारे में आकर संसद् को बताएं। इस से जवानों को भी हौसला मिलेगा।

हमें विदेशों से सहायता बिना शर्त के लेनी चाहिए।

कार्य मन्त्रणा समिति

सातवां प्रतिवेदन

†**श्री राने (बुलडाना)** : मैं कार्य मंत्रणा समिति का सातवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

इसके पश्चात् लोक सभा मंगलवार ९ नवम्बर, १९६२/१८, कार्तिक १८८४ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

[गुरुवार, ८ नवम्बर, १९६२
१७ कार्तिक १८८४ (शक)]

विषय		पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित
प्रश्न संख्या

१	नेरियामंगलम में फाइटो केमिकल प्लांट	१–२
२	कपड़े की कीमत .	२–३
३	नेपाल में भारत विरोधी प्रदर्शन	३–४
४	विश्व व्यापार सम्मेलन	४–५
५	महालनोविस समिति की रिपोर्ट	५–७
६	केन्द्रीय औषधि पुनर्नियंत्रण संस्था	७–८
७	अफगानिस्तान के साथ व्यापार करार	८–१०
८	दिल्ली /नई दिल्ली में पार्कों का विकास	१०–११
९	विद्युत् तथा परिवहन	११–१३
१०	हैदराबाद में संश्लिष्ट औषधि कारखाना	१३–१४
११	स्कूलों में टेलीविजन	१४–१५
१२	किराये की बकाया रकम	१५–१७
१३	कांगो की स्थिति	१७–२०
१४	पटसन की वस्तुओं का निर्यात	२०–२१
१५	गोआ की जेंं	२१–२२
१६	औद्योगिक श्रमिकों के लिये उपभोक्ता सहकारी संस्थाएं.	२२
१७	यिवना में भारतीय राजनयाधिकारी की मृत्यु	२२–२३
१८	सन्थाल शरणार्थियों का पुनर्वास	२४–२५
१९	आयात प्रतिबन्ध	२६

प्रश्नों के लिखित उत्तर

२०	कढ़ाई किये गय कपड़े का निर्यात	२६–२७

विषय		पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)

तारांकित
प्रश्न संख्या

२१	रुई का भाव	२७
२२	नेपाल को माल का भेजा जाना	२७–२८
२३	पुर्तगाल में भारतीय राष्ट्रीयता प्राप्त गोग्रानी	२८
२४	पाकिस्तानी समाचार पत्रों में भारत के विरुद्ध प्रचार	२८–२९
२५	रक्साल में नेपाली नागरिकों द्वारा गोली चलाना	२९
२६	चीनियों के प्रचारा प्रत्युत्तर	३०
२७	सूती कपड़ों का ग्रदन को निर्यात	३०
२८	भारतीय फिल्मों का निर्यात	३१
२९	ग्रामीण उद्योग	३१
३०	हस्तशिल्प की वस्तुग्रों का विपणन	३१
३१	वस्तु विनिमय समझौते	३२–३३
३२	पाकिस्तान से फिल्मों का ग्रायात	३३
३३	पाकिस्तान तथा भारतीय सीमा पुलिस के बीच गोली चलना	३३–३४
३४	गर योजना व्यय में वृद्धि	३४–३५

ग्रतारांकित
प्रश्न संख्या

१	पाकिस्तानी राष्ट्रजनों की भारत यात्रा ग्रौर भारतीय राष्ट्रजनों की पाकिस्तान यात्रा	३५
२	तृतीय योजना में राज्यों को सहायता	३५–३६
३	पंजाब में गन्दी बतिस्यों का हटाया जान	३६
४	कार्यक्षमता ग्रौर कल्याण संहिता	३६
५	पक्षियों ग्रौर पशुग्रों का निर्यात	३६–३७
६	पांडिचेरी में नशीली दवाइयों का उत्पादन	३७
७	नमक उद्योग	३७
८	निर्बाध व्यापार	३८
९	ग्राकाशवाणी के त्रिवेन्द्रम केन्द्र पर ट्रांसमिटर	३८
१०	त्रिपुरा प्रशासन का उद्योग विभाग	३८
११	उड़ीसा के ग्रभाव ग्रस्त क्षेत्र	३८–३९
१२	उद्योगों में सरकारी क्षेत्र का ग्रंश	३९

विषय		पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१३	बिना रोजगार के पंजीबद्ध व्यक्ति . . .	३९-४०
१४	बंगलौर में शराब बनाने का कारखाना .	४०
१५	शैलक्रीट मकान निर्माण योजना .	४०
१६	टिटेनियम प्रोडक्टस लिमिटेड, त्रिवेन्द्रम .	४१
१७	चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए पंखें . .	४१
१८	सरकारी कर्मचारियों के लिए मकानों का आवंटन .	४२
१९	संसद् सदस्यों के लिये फ्लैट .	४२
२०	भूटान में डाक व्यवस्था	४२
२१	टाट के बोरों का निर्यात	४३
२२	माल का आयात	४३
२३	विदेश कार्यालय के लिए इमारत	४४
२४	फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा अस्वीकृत फिल्में	४४
२५	पंजाब में कुटीर उद्योग	४४
२६	कानपुर में कपड़े का स्टाक जमा होना	४५
२७	दंडकारण्य में सहकारी फार्म	४५
२८	कपड़े का आयात	४५-४६
२९	गन्दी बतिस्यां हटाने की योजना	४६
३०	बिजली के डिटोनेटर	४७
३१	लदाख भेजा गया संवाददाताओं का दल	४७
३२	संधारण आयात	४७-४८
३३	पत्रकारिता संस्था .	४८
३४	शरणार्थियों की बतिस्यों से किराये की वसूली	४८
३५	पिम्परी में स्ट्रेपटोमाइसीन का संयंत्र	४८-४९
३६	द्वितीय पंच वर्षीय योजना का पुनरीक्षण	४९
३७	सुन्दर चर्खा केन्द्र	४९-५०
३८	पश्चिमी बंगाल की ग्रामीण अर्थ व्यवस्था	५०
३९	बर्मा में भारतीय	५०
४०	त्रिपुरा के बीड़ी श्रमिकों की मजूरी	५१
४१	सेंट्रल विस्टा और सचिवालय	५१

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
४३	टैगोर के गीत	५२
४४	भारतीय क्षेत्र का एक पाकिस्तानी सैनिक द्वारा प्रतिक्रमण	५२
४५	शीरे से अल्कोहल का निर्माण	५२–५३
४६	औद्योगिक लाइसेंस	५३–५४
४७	रबड़ संयंत्र	५४
४८	कर्मचारियों की भविष्य निधि	५४
४९	मुद्रण उद्योग के लिये विकास परिषद्	५५
५०	जूतों का निर्यात	५५
५१	पंजाब में हस्तशिल्प उद्योग	५५
५२	चाय उद्योग के लिये रसायनिक खाद	५६
५३	पंजाब सम्बन्धी प्रलेखीय चलचित्र	५६
५४	स्थानीय विकास कार्य योजना	५६
५५	पंजाब का औद्योगिक विकास	५६–५७
५६	लाहौल और स्पिती को भारतीय फिल्म डिवीजन का दल	५७
५७	पाकिस्तानियों का राजस्थान में घुस आना	५७
५८	जम्मू के निकट पाकिस्तानी सेना द्वारा गोली वर्षा	५८
५९	तांबा के लिये आवश्यकता प्रमाण पत्र का जारी किया जाना	५८
६०	टेलीविजन सेटों का निर्माण	५९
६१	केरल के लिए आवास बोर्ड	५९
६२	मोटर परिवहन कर्मचारी अधिनियम	५९
६३	औद्योगिक बतिस्यां	६०
६४	इन्द्रा मार्केट, दिल्ली में फ्लैट	६०
निधन सम्बन्धी उल्लेख		६१–६२

अध्यक्ष महोदय ने श्री ब्रह्मजीत सिंह, जो वर्तमान लोक-सभा के सदस्य थे, डा० पी० सुब्बारायन्, जो भारत की संविधान सभा और दूसरी तथा तीसरी लोक-सभा के सदस्य थे और वर्ष १९५९ से १९६२ के बीच परिवहन तथा संचार मंत्री थे और श्री कामेश्वर सिंह, जो भारत की संविधान सभा और अन्तरिम संसद् के सदस्य थे, के निधन का उल्लेख किया।

उसके पश्चात् सदस्य दिवंगत आत्माओं के सम्मान में कुछ समय तक मौन खड़े रहे।

विषय	पृष्ठ
सभा पटल पर रखे गये पत्र . . .	६३–६६

(१) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) श्वेत पत्र संख्या ७, जिसमें जुलाई, १९६२ से अक्तूबर, १९६२ के बीच भारत और चीन की सरकारों द्वारा एक दूसरे को भेजे गये टिप्पण, ज्ञापन और पत्र दिये हुए हैं।

(दो) भारत के प्रधान मंत्री के नाम चीन के प्रधान मंत्री का दिनांक २४ अक्तूबर, १९६२ का पत्र।

(तीन) चीन के प्रधान मंत्री के नाम भारत के प्रधान मंत्री का दिनांक २७ अक्तूबर, १९६२ का पत्र।

(चार) राज्याध्यक्षों के नाम भारत के प्रधान मंत्री का दिनांक २६/२७ अक्तूबर, १९६२ का सन्देश।

(पांच) प्रेसीडेंट गमाल अब्दुल नासर के नाम भारत के प्रधान मंत्री का दिनांक २७ अक्तूबर, १९६२ का पत्र।

(छै) संयुक्त अरब गणराज्य की अध्यक्ष परिषद् का दिनांक ३१ अक्तूबर १९६२ का वक्तव्य।

(२) संविधान के अनुच्छेद ३५२ के खण्ड (२) के उप-खण्ड (ख) के अन्तर्गत दिनांक २६ अक्तूबर, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १४१५ की एक प्रति, जिसमें उक्त अनुच्छद के खण्ड (१) के अधीन २६ अक्तूबर, १९६२ को राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई आपात की उद्घोषणा प्रकाशित की गई है।

(३) संविधान के अनुच्छेद ३५९ के खण्ड (३) के अधीन दिनांक, ३ नवम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १४६४ की एक प्रति, जिसमें उक्त अनुच्छेद के खण्ड (१) के अधीन राष्ट्रपति द्वारा निकाला गया एक आदेश प्रकाशित किया गया है।

(४) दिनांक ५ नवम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १४६५ में प्रकाशित भारत का प्रतिरक्षा नियम, १९६२।

(५) लोक प्रतिनिधित्व, अधिनियम १९५० की धारा २८ की उप-धारा (३) के अधीन दिनांक २८ सितम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ३०३० में प्रकाशित दिल्ली निर्वाचक मण्डल (सदस्यों का निर्वाचन) संशोधन नियम, १९६२ की एक प्रति।

(६) लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम २३९ के अधीन संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पास किये गये संशोधनों के सार रूपभेद किगे गये रूप में निर्वाचनों का संचालन नियम, १९६१ के नियम ९३ की एक प्रति।

विषय पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र—जारी

(७) सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, १९२२ की धारा ८ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक ८ सितम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १२०८ में प्रकाशित सिनमैटोग्राफ (सेन्सरशिप) दूसरा संशोधन नियम, १९६२ की एक प्रति ।

(८) संविधान के अनुच्छेद १२३ (२) (क) के उपबन्धों के अन्तर्गत तीसरी लोक-सभा के दूसरे अधिवेशन को समाप्ति के पश्चात् राष्ट्रपति द्वारा जारी किये गये निम्नलिखित अध्यादेशों की एक-एक प्रति ।

(एक) भारत की प्रतिरक्षा अध्यादेश, १९६२ (१९६२ का संख्या ४)

(दो) विदेशियों सम्बन्धी विधि (लागू करना तथा संशोधन) अध्यादेश, १९६२ (१९६२ का संख्या ५)

(तीन) भारत की प्रतिरक्षा (संशोधन) अध्यादेश, १९६२ (१९६२ का संख्या ६)

(चार) समवाय (संशोधन) अध्यादेश, १९६२ (१९६२ का संख्या ४)

(पांच) पांडिचेरी (प्रशासन) अध्यादेश, १९६२ (१९६२ का संख्या ८)

(९) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा (३) की उप-धारा (६) के अन्तर्गत निम्नलिखित आदेशों को एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक ८ सितम्बर, १९६२ की-अधिसूचना संख्या एस० ओ० २७८० में प्रकाशित नकली रेशम के कपड़े (उत्पादन तथा वितरण) नियंत्रण (दूसरा संशोधन) आदेश, १९६२ ।

(दो) दिनांक १५ सितम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० २८३३ में प्रकाशित पटसन (लाइसेंस देना तथा नियंत्रण) (संशोधन) आदेश, १९६२ ।

(१०) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, १९५६ की धारा २६ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक २९ सितम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १२७० में प्रकाशित खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग (चौथा संशोधन) नियम, १९६२ ।

(दो) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत दिनांक २२ सितम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० २८९६ ।

(तीन) ब्रिटेन तथा अमरीका में औद्योगिक सुरक्षा सम्बन्धी भारतीय उत्पादकता दल का प्रतिवेदन ।

(११) संविधान के अनुच्छेद ३५६ के खंड (३) के अन्तर्गत दिनांक ३० अक्तूबर, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १४१८ की एक प्रति जिसमें उक्त अनुच्छेद के खंड (१) के अधीन राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया आदेश प्रकाशित किया गया है।

(१२) कर्मचारी भविष्य निधि योजना, १९५२ में कुछ और संशोधन करने वाली कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२ की धारा ७ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक १ सितम्बर, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या ११७२।

(दो) दिनांक २९ सितम्बर, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या १२९९।

(तीन) दिनांक २९ सितम्बर, १९६२ को जी० एस० आर० संख्या १३००।

(चार) दिनांक ६ अक्तूबर, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या १३२१।

(१३) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२ की धारा १ की उप धारा (३) के अन्तर्गत निकाली गई दिनांक १५ सितम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १२३२ की एक प्रति जिसके अनुसार उक्त एक्ट को लकड़ी उद्योग सम्बन्धी कुछ प्रतिष्ठानों पर लाग किया गया है।

(१४) कोयले के अतिरिक्त अन्य खानों सम्बन्धी औद्योगिक समिति के तीसरे अधिवेशन के, जो नई दिल्ली में ३ अक्तूबर, १९६२ को हुआ था, मुख्य निष्कर्षों की एक प्रति।

(१५) केन्द्रीय मजूरी बोर्ड की सीमेंट उद्योग में मजूरी बढ़ाने की सिफारिश को कार्यान्वित करने के बारे में दिनांक २२ सितम्बर, १९६२ का सरकारी संकल्प संख्या डब्लू० बी०—६ (१)। ६२ की एक प्रति।

(१६) सरकारी बचत प्रमाण-पत्र, अधिनियम, १९५९ की धारा १२ की उपधारा (३) के अन्तर्गत दिनांक १ सितम्बर, १९६२ में की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ११५८ में प्रकाशित डाक-घर बचत प्रमाण-पत्र (पांचवा संशोधन) नियम, १९६२ की एक प्रति।

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ६९–७०

सचिव ने संसद् की दोनों सभाओं द्वारा गत अधिवेशन में पास किये गये और ७ सितम्बर, १९६२ को सभा को दी गई अन्तिम रिपोर्ट के बाद राष्ट्रपति **की**

प्राप्त निम्नलिखित बिलों की प्रतियां, राज्य सभा के सचिव द्वारा विधिवत् प्रमाणित रूप में, टेबल पर रखीं :—

(१) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम विधेयक, १९६२ ।
(२) नागालैंड राज्य विधेयक, १९६२ ।
(३) आसाम राइफल्स (संशोधन) विधेयक, १९६२
(४) भूमि अर्जन (संशोधन) विधेयक, १९६२
(५) विधिवक्ता (तीसरा संशोधन) विधेयक, १९६२
(६) अणुशक्ति विधेयक, १९६२ ।
(७) प्रत्यर्पण विधेयक, १९६२ ।
(८) भारत का रक्षित बैंक (संशोधन) विधेयक, १९६२ ।
(९) बैंकिंग समवाय (संशोधन) विधेयक, १९६२ ।
(१०) उद्योग (विकास और विनियमन) संशोधन,विधेयक, १९६२ ।
(११) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग (संशोधन) विधेयक, १९६२
(१२) गन्ना नियंत्रण (अतिरिक्त शक्तियां) विधेयक १९६२ ।

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को उपस्थापित करने का समय बढ़ाया जाना

ईसाई विवाह तथा वैवाहिक वाद विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को उपस्थापित करने के लिये नियत समय अगले सत्र के अन्तिम दिन तक बढ़ा दिया गया ।

संकल्प विचाराधीन ७०—९७

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरु) ने आपात उद्घोषणा तथा चीन द्वारा आक्रमण के बारे में दो संकल्प प्रस्तुत किये । दोनों संकल्पों पर एक साथ चर्चा हुई । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

शुक्रवार ९ नवम्बर, १९६२।१८ कार्तिक, १८८४ (शक) के लिये कार्यावलि

आपात उद्घोषणा तथा चीन द्वारा आक्रमन के बारे में संकल्पों पर अग्रेतर चर्चा ।

GMGIPND—LS III—2414 (Ai) LSD— 8-1-63—140.

P L S. 41. IX. 1. 62.

140

© १९६२ प्रतिलिप्यधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त ।

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियम (पांचवां संस्करण) के नियम ३७९ और ३८२ के अन्तर्गत प्रकाशित और भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली की संसदीय शाखा में मुद्रित ।